C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol.V, Third Session, 2014/1936 (Saka)
No.9, Thursday, December 4, 2014/Agrahayana 13, 1936 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
OBITUARY REFERENCE	2
STATEMENT BY MINISTER	3
Railway accident at unmanned level crossing on North Eastern Railway	
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question No.161 to 165	6-45
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.166 to 180	46-99
Unstarred Question Nos.1841 to 2070	100-532

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 533-540

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 541

MATTERS UNDER RULE 377 581-596

(i) Need to check prevalence of Silicosis and Tuberculosis among labourers engaged in quarrying of stone in Rajasthan and take immediate measure for treatment of Afflicted persons

Shri Harish Meena 581-582

(ii) Need to fix the responsibility for misappropriation of funds allocated under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Assam

Shri Rajen Gohain 583

(iii) Need to run Jodhpur-Delhi Express (Train No. 22481) on daily basis and extend it upto Haridwar in Uttarakhand

Shri C.R. Chaudhary 584

(iv) Need to control import of rubber in the country

Kumari Shobha Karandlaje 585

(v) Need to take suitable steps to rejuvenate Mithi River in Mumbai, Maharashtra

Shrimati Poonam Mahajan 586

(vi) Need to provide adequate financial assistance to victims of Endosulfan in Dakshina Kannada, Uttara Kannada and Udupi districts of Karnataka

Shri Nalin Kumar Kateel 587

(vii) Need to convert Indara-Dohrighat railway line in Uttar Pradesh into broadgauge line

Shri Hari Narayan Rajbhar 588

(viii) Need to increase the share of grants to State Governments for education in accordance with the recommendations of the 13th Finance Commission.

Dr. Kirit P. Solanki 588

(ix) Need to enhance the amount of rent for agricultural land used for laying crude oil pipelines in Sanchore in Jalore Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Devji M. Patel 589

(x) Need to impress upon the Government of Uttar Pradesh to restore old pension scheme for retiring teachers and employees

Shri Bhanu Pratap Singh Verma 590

(xi) Need to undertake repair of National Highway No. 532 between Cuddalore and Salem in Tamil Nadu and upgrade it into a four-lane road

Shri A. Arunmozhithevan 591

(xii) Need to address the problem of drinking water in Balasore Parliamentary Constituency, Odisha

Shri Rabindra Kumar Jena 592

(xiii) Need to set up a new High Court for Andhra Pradesh

Shri B. Vinod Kumar 593

(xiv) Need to check the menace of Nilgai (vanroj)causing damage to crops in Uttar Pradesh

Shrimati Anupriya Patel 594

(xv) Need to declare the calamity caused by floods in Assam as National Calamity and provide more funds for rehabilitation of people affected by the fury of floods in the State

Shri Badruddin Ajmal 595

(xvi) Need to interlink Par-Tapti-Narmada, Damanganga-Pinjar and Nar-Par-Girna Rivers

Shri A.T. Nana Patil 596

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE 597

1st Report

REPEALING AND AMENDING (SECOND) BILL, 2014 598-633

Motion to Consider 599-600

Shri D.V. Sadananda Gowda 598-600

Shri B. Senguttuvan 601-602

Shrimati Meenakshi Lekhi 604-605

Shri Rabindra Kumar Jena 606-607

Shri B. Vinod Kumar 608

Dr. Varaprasad Rao Velagappalli 609-610

Shri P.P. Chaudhary 611-612

Dr. Ravindra Babu 613-614

Dr. Kirit P. Solanki 616-618

Shri Sher Singh Ghubaya 619-620

Shri Rattan Lal Kataria 621-623

Shri Ajay Misra Teni 624-626

Shri Gopal Shetty 627-628

Shri Rajkumar Saini	629-630
Shrimati Anupriya Patel	631
Shri Ramesh Chander Kaushik	632-633

DISCUSSION UNDER RULE 193 634-669

Natural calamities in various parts of the country

Shri Mekapati Raja Mohan Reddy	634-636
Shri Prahlad Singh Patel	637-639
Shri Sher Singh Ghubaya	640-642
Shri C.R. Chaudhary	643-644
Shri Nagendra Kumar Pradhan	646-648
Shri Muthamsetti Srinivasa Rao	649-651
Shri Radha Mohan Singh	653-656
Shri Gajanan Kirtikar	657-658
Shri Badruddin Ajmal	659-660
Shrimati Anupriya Patel	661-662
Shri Rajendra Agarwal	663-664
Shri Dushyant Chautala	665-667
Shri T.G. Venkatesh Babu	668-669

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	670
Member-wise Index to Unstarred Questions	671-675

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	676
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	677

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Prof. K.V. Thomas

Shri Anandrao Adsul

Shri Prahlad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

<u>Thursday, December 4, 2014/Agrahayana 13, 1936 (Saka)</u>

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCE

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे महाराष्ट्र के कोल्हापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सातवीं से ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे, श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ के दुःखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। योग्य संसदविद् श्री गायकवाड़ याचिका समिति के सदस्य थे। इससे पहले श्री गायकवाड़ 1962 से 1967 तक और 1972 से 1980 तक महाराष्ट्र विधान सभा के भी सदस्य रहे थे। श्री गायकवाड़ एक विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने ट्रॉफिज तथा मेमॉयर्स इन लेजिसलेचर नाम से पुस्तकें भी लिखी थीं।

उन्होंने व्यापक यात्राएं की थीं। वह क्यूबा, दुबई, मिस्र, कुवैत, निकारागुआ, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम जाने वाले भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य भी थे। श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ का निधन 84 वर्ष की आयु में 2 दिसम्बर, 2014 को कोल्हापुर में हुआ।

हम श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवार को अपनी सांत्वना देते हैं।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कृपया थोड़ी देर खड़ी हो।

11.02 hrs.

The Members then stood in silence for short while.

माननीय अध्यक्ष : सुरेश प्रभु जी सदन को कुछ सूचना देंगे। आज एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ है, वह आज वहां जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कहा है कि वह पहले हाउस को सूचना देंगे।

<u>11.03 hrs</u>

STATEMENT BY MINISTER
Railway accident at unmanned level crossing on North Eastern Railway*

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI SURESH PRABHU): Madam, I am pained to apprise this august House regarding an unfortunate incident which has occurred today at an Unmanned Level Crossing wherein one road vehicle carrying 22 school children dashed against train No. 55135 (going from Azamgarh to Varanasi city) at 08.15 hours today on Unmanned Level Crossing No. 6 C at Km No. 10/5-6 between Khurahat and Mau Junction Railway Stations on Mau-Shahganj section of Banaras Division of North East Railway. Seventeen passengers of the road vehicle have been admitted to two local hospitals in Mau (of which 13 are admitted in the local district at Mau and 4 in a local private nursing home) while 5 passengers are reported to have unfortunately expired.

The senior Railway officials of the North East Railway have been directed immediately to proceed to the site and are supervising rescue and relief operation.

As per the preliminary information received, the incident occurred due to the negligent driving by the driver of the road vehicle. The driver did not stop the vehicle at the Stop Board short of level crossing to check for approaching train as prescribed in Section 131 of the Motor Vehicle Act, 1988. As per information from the site, visibility was poor due to foggy conditions.

On humanitarian grounds, an *ex-gratia* amount of Rs. 2 lakh each to the next of the kin of deceased, Rs. 1 lakh to the grievously injured and Rs. 20,000 to persons who sustained simple injury have been announced.

On behalf of Railways and myself, I express deep condolences to the bereaved families and also express sincere sympathies to the injured. I trust the House will join me in extending heart-felt condolences to the bereaved families.

---

* Placed in Library, See No. LT 943A/16/14.

Madam, I would like to also add that as on 01.04.2014, there are 11,563 unmanned crossings in India. This is very sad that these accidents take place in this manner. While it should be an effort, and all of us join in that effort, to make sure that we have a manned crossing or a crossing in which such accidents do not take place; but while we do that, we are trying to find out a way of preventing such accidents by taking such steps. I am really working on that. I am very sorry to say this, Madam.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I would request the hon. Railway Minister to consider this. Regarding the unmanned level crossings, at least, you can have a provision of underpasses. If you are not able to get the manned road, you give some kind of an underpass or a subway. That is better. Otherwise, there would not be any end to such accidents.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, कल हमने सदन में यह बात उठाई थी कि माननीय प्राइम-मिनिस्टर साहब आये हैं, और मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया था और अपॉलॉजी उन्होंने मांगी थी। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, रोज-रोज वही बातें आप उठाते हैं...(व्यवधान) स्टेटमेंट हमेशा विदेश मंत्री ही देते हैं, ऐसा ही होता आया है। You know it better than me. सौगतराय जी, आपने नोटिस दिया हुआ है, वह मेरे कंसीडिरेशन में है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The Privilege Motion is with me. It is under my consideration.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Q. 161, Shri Dushyant Singh.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now nothing will go on record.

(Interruptions) …[*]

11.07 hrs

At this stage, Shri Shri Deepender Singh Hooda, Shri Gaurav Gogoi, Dr. A. Sampath and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

---

[*] Not recorded.

11.08 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q. No. 161, Shri Dushyant Singh.

(Q. 161)

SHRI DUSHYANT SINGH : Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity. Over the last two fiscal years, as many as 20 road projects valued at Rs. 27,000 crore have failed to receive bids. The amount of roads built for this year and the previous year has fallen extremely short of their targets. As on June this year, there were 260 projects involving Rs. 60,000 crore which were supposed to be taken up under the PPP model; they were stalled. Private players are shying away from PPPs due to high interest rates from the banks and the fact is that the projects are getting shelved. At the same time, the Ministry is talking about constructing 30 kilometres of roads a day by 2016, a large improvement from the current pace of 3 kilometres a day. The Minister has gone to say that he intends to move a model of Engineering Procurement and Construction (EPC) and to securitize the future toll revenues to pay for the cost of construction. Madam, there is a dichotomy between what the figures are showing and what the Minister has stated. His Ministry people have mentioned that they cannot keep the projects under EPC given the financial restraints. In yesterday's List he has mentioned that the rebuilding of projects will be done through additional requirements from the Union Budget. When the Ministry does not have enough money to construct 8500 roads, which is targeted my March end, how do they intend to make the roads? They are not saying this fact, which is clear. You should tell us as to how you will construct the roads through EPC Model. … (*Interruptions*)

SHRI PON RADHAKRISHNAN: Madam, when we are shifting the project from PPP to EPC, a huge amount is required from the Central Government. Earlier there were so many procedures to shift a project from PPP to EPC.…

(*Interruptions*) After that we have made it easy. It is true that many PPP projects were not receiving bids. However, an increasing number of projects are being awarded under EPC Model.… (*Interruptions*) There are enough resources available with NHAI. They are planning to construct 30,500 kilometres of road under EPC Model in next two years. … (*Interruptions*)

SHRI DUSHYANT SINGH : Madam, I am saddened by the fact that the hon. Minister does not know about his subject. His bureaucrats have given him papers on that.… (*Interruptions*)

I want to know whether the statement in the Press reflects the view of the Government of making 30 kilometres of roads. If they are making these roads then what are the key policy changes of the Government?… (*Interruptions*) I would like to know whether they will help people in future to be a part of this road construction under PPP Model and to fulfil the promise to make 30 kilometres of road per day in future.… (*Interruptions*)

SHRI PON RADHAKRISHNAN: We have taken several corrective measures. Actions have been taken to speed up the projects. Under the initiatives taken by the NHAI, the Reserve Bank of India has directed the financial institutions to consider loans regarding highway projects.… (*Interruptions*) The loans to highway projects are classified as secured by the Reserve Bank of India. If the project is delayed due to the financial problem, re-scheduling of premium is also available. … (*Interruptions*) So, 30 per cent of their total collection can be scrutinized for the investment of the road projects. In that way, we have considered so many corrective measures and planned to construct 30 kilometres of road per day. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri A. Anwhar Raajhaa – not present.

Shri C. Suresh Angadi.

… (*Interruptions*)

SHRI SURESH C. ANGADI : Thank you, Madam, for giving me this opportunity. There is a pending proposal with the Central Government to construct 336

kilometres road from Belgaum, Bagalkot and Raichur upto Mahboobnagar, border of Andhra Pradesh. This file is pending with the Central Government from 2009.

I would like to know whether the Ministry is going to take up this upgradation of road from Belgaum to Mahboobnagar and also as to when it will be completed.

SHRI PON RADHAKRISHNAN: We are giving more importance to border road projects. We are trying to complete this work within the scheduled period. I will definitely consider the request of our hon. Member and let him know the details thereof.

HON. SPEAKER: Dr. A. Sampath.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Member, if you do not want to ask the question and decided to come to the Well then, why are you giving your name to ask the question? This is not a proper thing.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, Shri Tathagata Satpathy.

… (*Interruptions*)

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Madam, we have been hearing the replies from the hon. Minister. Nothing seems to be very clear. I want to ask a very short question.

Madam, you would remember, during the 15th Lok Sabha, the Government had introduced a scheme for development of port connectivity to minor and medium ports through the national highway network. The Government of India, till now, has not furnished any information on the modalities of the implementation of the scheme. I would like to know from the hon. Minister what is the status of road connectivity scheme for non major ports in the State of Odisha. … (*Interruptions*) According to the Note given by the Government on 2nd November, 2010 to the Government of Odhisa, the National Highways Authority of India bears 50 per cent of the cost to non major ports in the State. When can we

expect these funds to be released to the Government of Odhisa? … (*Interruptions*) Sir, you had said that 50 per cent would be borne by you. Are you, Sir, going to give that 50 per cent? When would you give it?

SHRI PON RADHAKRISHNAN: Connecting the ports with the National Highways was brought by the then hon. Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee. … (*Interruptions*) The connectivity of the major ports is being studied. … (*Interruptions*) Depending upon the feasibility, this will be awarded. … (*Interruptions*)

SHRI TATHAGATA SATPATHY : The Government had said that there would be connectivity to non major ports. This was announced by the Government on 2nd November, 2010. … (*Interruptions*) It was a project that was launched by the previous NDA Government … (*Interruptions*) not your NDA Government and it was the original NDA Government. … (*Interruptions*)

SHRI PON RADHAKRISHNAN: Sir, non major ports are also taken into consideration depending upon the feasibility study. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Dr. Ratna De.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: If you do not want to ask the question, I will not entertain you in future.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, Shri Gajanan Kirtikar.

श्री गजानन कीर्तिकर : माननीय अध्यक्ष जी, दो वर्ष पूर्व ठाणे-नाशिक नेशनल हाइवे नम्बर 3 का सरकार और निजी भागीदारी के द्वारा विस्तारीकरण और चौड़ा करने का कार्य किया गया था। इसी कांट्रैक्ट में पडघा नाका, टिटवाला नाका और वसीद नाकों पर वाहनों तथा पैदल यात्रियों के लिए सब वे तथा बसों और ट्रकों के स्टापेज बनाने के कार्य भी सम्मिलित थे। परन्तु अभी तक इस तरह का कोई भी कार्य वहां पर नहीं किया गया, जिसके कारण वहां पर हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि प्राधिकरण के दोषी अधिकारियों और निजी कांट्रैक्टर के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई? उपरोक्त कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

SHRI PON RADHAKRISHNAN: Madam, the Ministry has decided to take up CUPs and PUPs at all major national highways to prevent accidents. … (*Interruptions*)

(Q.162)

श्री विनायक भाऊराव राऊत : अध्यक्ष महोदया, भारत को आजादी मिलने के बाद लोकतंत्र प्रणाली को स्वीकार किया गया और इस लोकतंत्र प्रणाली में परम पूज्म बाबासाहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में संविधान समिति का निर्माण हुआ, उस संविधान समिति के माध्यम से भारतीय जनता को मतदान का एक सामान्य अधिकार प्राप्त हुआ, जो एक विशेषाधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य से यह मतदान प्रक्रिया आज पूरी तरह से सुधर नहीं रही है, इसे दोषरहित करने की जरूरत है।

मेरा प्रश्न यह है कि जैसे केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में बहुत बड़ी रिपोर्ट पेश की है। उससे साफ है कि केंद्र सरकार भी इसमें सुधार लाना चाहती है। लेकिन आज की चुनाव प्रणाली में सामाजिक कार्य के बजाय, अच्छे कामों के बजाए धन शक्ति के एक प्रभाव का निर्माण हुआ है। क्या केंद्र शासन, चुनाव आयोग ने इसके नियंत्रण के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं? उन सुझावों को अमल में लाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Madam Speaker, 'electoral reforms' is one of the major issues that is being debated across the country, nowadays. Of course, several steps had been taken earlier. Several Committees and Commissions had given certain suggestions. In January, 2013, all those suggestions, which were given, have been referred to the Law Commission to give a detailed Report. After receiving the Law Commission's Report, we will discuss the matter, in detail.

But one thing is certain that today, the people across the country want to see free and fair elections. It is the intention of the people of this country that money and muscle power in elections have to be reduced.

There are several issues, which are before the Government under its due consideration. But as soon as we get the Report from the Law Commission, we will certainly look into it. We will have discussions with all the stakeholders, political parties and others across the country; and go ahead.

श्री विनायक भाऊराव राऊत : अध्यक्ष महोदया, हिंदुस्तान में कई स्तर के चुनाव होते हैं, जैसे जिला परिषद है, विधान सभा, लोक सभा, नगरपरिषद् या नगरपालिका। हरेक चुनाव में अलग-अलग चुनाव सूची तैयार की जाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या भविष्य में सारे लोकतांत्रिक चुनावों में एक ही मतदाता सूची को अमल में लाया जाएगा या नहीं?

दूसरा, अभी सारे चुनाव ईवीएम के माध्यम से होते हैं। उसके ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ईवीएम का जो सत्यापन है, उसके लिए एक विश्वसनीयता निर्माण होने के लिए, ईवीएम का जो बटन दबाते हैं, उसके साथ-साथ जानकारी के लिए जो पर्ची आनी चाहिए, क्या उसका भी प्रावधान केंद्र सरकार विधि आयोग के माध्यम से करने वाली है?

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Madam Speaker, as far as the local bodies elections are concerned, they come under the jurisdiction of the State Election Commission.

The Election Commission of India will conduct elections for the Members of Parliament and the State Legislatures. There is a thinking before the Government that elections for the Members of Parliament and State Legislatures should be held simultaneously. It is under active consideration of the Government. But only after receiving the Report from the Law Commission, it has to be distributed across the people; and then we will move forward.

As far as Electronic Voting Machines are concerned, we are at it; and we want to see that each and every area is taken into consideration so that we should go ahead.

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY: Thank you, Madam Speaker. The Election Commission has conducted a number of laudable electoral reforms to strengthen democracy and enhance changes of elections on the recommendations made, from time to time, by the following Committees setup by the Government:-

1. Tarkunde Committee, in 1975
2. Goswami Committee in 1990
3. Indrajit Gupta Committee in 1998
4. Election Commission's Recommendations, 1998

But a lot of recommendations, to cleanse the electoral process and check malpractices in elections, are yet to be carried out.

Madam, many parties make tall promises at the time of elections in their manifestos. But they forget them once they get elected. So, I would like to know from the hon. Minister as to how he is going to ensure that the election promises made by the different parties, when they come to power, are adhered to by them.

Also, is there any proposal under consideration of the Government on State funding of elections with a view to check generation and flow of black money in the elections? If so, the details thereof. … (*Interruptions*)

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Madam Speaker, Electoral Reforms Vision Statement has already been prepared.… (*Interruptions*) This was referred to the Law Commission to look into the matter. Various issues, including what he said and also the issue of State funding, need to be taken into consideration. Only after the Law Commission's Report, we can discuss the matter in detail.… (*Interruptions*)

About 17 issues have been referred to the Electoral Reforms Commission. I can place them before the House.… (*Interruptions*) Eligibility of the candidates, what should be done as far as the criminal antecedents of the candidates are concerned, disclosure of the criminal antecedents, negative voting, increasing official limits on campaign expenditure, disclosure of assets and liabilities, curbing the cost of the election expenditure, State funding of elections, changes in preparation of electoral rolls, … (*Interruptions*) curbing of Government sponsored advertisement, restriction of opinion polls, prevention of campaign during 48 hours before elections, avoiding victimization of officers posted for election duties, punishment for electoral offences and adjudication of election disputes, communalization of politics—all these issues have been referred to the Law Commission.

Certainly, this Government is very much eager to see that certain reforms are brought. Along with that, we are also thinking on the lines of giving voting

rights to NRIs and mandatory voting.… (*Interruptions*) All these issues are before us. Certainly, a radical change needs to be brought in the electoral system and this Government is committed to do it.… (*Interruptions*) Only after getting the Report from the Law Commission, we can go ahead.… (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI : Madam, thank you for giving me an opportunity to raise a supplementary.

So many Committees have been formed and electoral reforms have also been done from time to time.… (*Interruptions*) In the recent elections in Jammu and Kashmir there was 71 per cent voting because of the best arrangement done by the Central Government. I congratulate the Government and the Election Commission for that.… (*Interruptions*)

But what is happening recently is that in many elections the people will have their voter ID cards but their names will be missing. The voters' list is not properly maintained.… (*Interruptions*) For example, in February, 2013, there was a local body election. People, who had voted in that local body election in February, 2013, could not vote in the elections held in April, 2013 because their names were deleted. So many things are happening as far as the electoral list is concerned.… (*Interruptions*) What would the Government like to do it to see that electoral roll is properly maintained without victimizing somebody to repeal or add their names? … (*Interruptions*)

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Madam Speaker, several complaints have come as far as this matter is concerned. We have received several complaints across the country.… (*Interruptions*) All these matters have been referred to the Election Commission and we want to see that none of the voters is restrained from voting. So, this is the intention of the Government. We are at it. The Election Commission has taken serious note of it.… (*Interruptions*) We are going one step ahead with regard to this matter.

HON. SPEAKER: Now, Shri Karunakaran.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What happened?

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shrimati P.K. Sreemathi Teacher, Q. No.163—Not Present.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shrimati Ranjeet Ranjan. She is not asking her Question.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not proper. माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं और इस प्रकार से हल्ला होता है तो यह अच्छी बात नहीं है। I am sorry.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Minister, Q. No.163.

(Q.163)

कर्नल सोनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) मैं बताना चाहता हूं कि पीएमजीएसवाई के तहत रोड्स का बहुत काम हुआ है।...(व्यवधान) उसके जो मापदंड हैं, उनके तहत पहले वहां काम होता है जहां एक हजार लोगों की आबादी है, पांच सौ की आबादी है या ढाई सौ लोगों की आबादी है।...(व्यवधान) परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेगिस्तान के अंदर मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर, जैसेलमेर के अंदर ढाणियां हैं।...(व्यवधान) उनकी आबादी बहुत कम है।...(व्यवधान) कहीं 25 लोगों की आबादी है, कहीं 50 लोगों की आबादी है या कहीं 100 लोगों की आबादी है। वहां करीब 90 परसेंट ग्रामीण एरिया में लोग रहते हैं। वहां करीब 50 ऐसी जगह हैं, जहां 15-20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है।...(व्यवधान) एक प्रस्ताव आया था, जिसके तहत ढाणिया को क्लब किया जाना था। ...(व्यवधान) 25, 50 की आबादी की जो ढाणियां हैं, उनका कलस्टर बनाया जाए, ताकि आबादी वाला जो मापदंड है, वह पूरा हो सके।

मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या वे राजस्थान सरकार को बताएंगे और वहां सर्वे कराकर इस तरह की जो ढाणियां हैं, उन्हें कलस्टर बनाया जाए ताकि उनकी आबादी ढाई सौ-तीन सौ से ऊपर हो जाए। मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या वहां सड़कों का काम कराने के लिए यहां से फंड्स का एलाटमेंट करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, हमने जो नीति निर्धारित की है, उसमें जो मैदानी इलाके हैं उनमें पांच सौ या पांच सौ से ज्यादा की आबादी होगी, वहां हम यह सुविधा दे सकेंगे।...(व्यवधान) इसके साथ-साथ जो स्पेशल कैटीगिरी की स्टेट्स हैं, जिसमें नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स जैसे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड हैं, जो ऐसे इलाके हैं, जहां हमने 500 के नियम को 250 किया है,...(व्यवधान) इसी प्रकार से लेफ्ट विंग एक्सट्रिमिज्म इलाके हैं, उनमें सौ से कम आबादी के इलाकों को भी कवर करने का निश्चय किया है। जहां तक ढाणियों का संबंध है, अगर कहीं पांच या सात मकान हैं और आबादी उतनी नहीं है, तो हम वहां इस स्थिति को नहीं ले कर जा सकते हैं।...(व्यवधान) लेकिन जैसे माननीय सदस्य ने ढाणियों का कलस्टर कहा है, अगर वे मिलाकर पांच सौ की आबादी बनती है, तो वहां हम जरूर सड़क पहुंचा सकते हैं।...(व्यवधान)

SHRI P.R. SENTHILNATHAN : Thank you, Madam Speaker. Under PMGSY Scheme, selection of village roads is done on the basis of 2001 Census. Since 2011 Census has been completed, I want to know whether the Government has any

proposal to change the guidelines for selection of village roads as per 2011 Census to cover more villages. … (*Interruptions*)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: The criterion to select a particular village is the same and that is based on the 2001 Census. The scheme was launched in 2000-2001 and it became effective after 2003-04. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri M.K. Raghavan – Not present.

Shrimati Hemamalini.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI HEMAMALINI : Thank you, Madam. I would like to know the present status of Uttar Pradesh under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. I am very much pained with the pathetic condition of roads in my constituency. Crores of devotees from all over the world come there. They do the *Braj Parikarma* bare feet. Villagers of my constituency are also suffering due to miserable conditions of these roads there. … (*Interruptions*)

Mathura being one of the most religious destinations, I request the Government to take up this issue immediately. … (*Interruptions*)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH : Madam, this Question relates to rural roads, and it is not connected with Mathura. … (*Interruptions*) Mathura being a town, it is the domain of the State Government and the State Government can take action in this regard. … (*Interruptions*)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : महोदया, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विपणन जैसी सुविधाएं उपलबध कराती है।...(व्यवधान) इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गयी थी।...(व्यवधान) तब से अब तक इस क्षेत्र में काफी काम हुआ है, लेकिन पिछले दस वर्षों में इसमें जितनी गतिशीलता से काम होना चाहिए था, उसमें अवरोध आया है।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों के शत प्रतिशत गांवों को इस प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से कब तक जोड़ लिया जाएगा?...(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमने ग्रामीण क्षेत्रों में इस सुविधा को देने के लिए जब यह कार्य योजना शुरू की तो शुरू में वर्ष 2012 में जो हमने फंड्स प्रोवाइड किए थे, जो अंशदान दिया था, उसमें से राज्य सरकारों ने 8,885 करोड़ रुपये का उपयोग ही नहीं किया।...(व्यवधान) उसके बाद हमने राज्य सरकारों से निरंतर सम्पर्क बनाकर वर्ष 2013 में यह जो सरप्लस पैसा था, इसे कम कर 4,000 करोड़ रुपये तक लेकर आए।...(व्यवधान) वर्ष 2014 में इसके काम ने गति पकड़ी है।...(व्यवधान) उसके हिसाब से अब सिर्फ 804 करोड़ रुपये विभिन्न सरकारों के पास बचा हुआ है।...(व्यवधान) जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात की गयी है तो उसमें यह नियम है कि किसी भी गांव की आबादी अगर 500 से ज्यादा की है और वह गांव अगर पहाड़ पर स्थित नहीं है तो हमने वहां सड़क बनाने का फंड दिया है।...(व्यवधान) हमने 84% गांवों को सड़कों से जोड़ा है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Mohammad Salim, do you want to ask a Question or not?

… (*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM : I want to ask a Question, but what about the House? … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You can ask your Question, and the hon. Minister will answer to it.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: If you want, then you can ask your Question.

… (*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM : Madam, if you see 'Part (b)', where is the answer to it? … (*Interruptions*) The Question was asked कि आपने क्या-क्या प्रस्ताव रिसीव किया है?...(व्यवधान) सरकार कहती है कि वह सदन के पटल पर है, लेकिन जो प्रस्ताव उन्होंने क्लियर किया है, उसमें सिर्फ वही दिया हुआ है।...(व्यवधान) बाकी जो प्रस्ताव सरकार के पास आए हैं, उसका कोई ब्यौरा नहीं है।...(व्यवधान) वह हमें मालूम होना चाहिए।...(व्यवधान) सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? पार्ट-बी सम्पूर्ण नहीं है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Minister, do you have the details for it?

… (*Interruptions*)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : मैडम स्पीकर, हमने वर्ष 2014-2015 में 22,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।...(व्यवधान) जैसा मैंने कहा कि अभी तक वर्ष 2014-2015 में हमें 14,391 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं और ज्यों-ज्यों राज्य सरकारों से हमारे पास यह आता है, उसी अनुसार हम पैसे रिलीज करते हैं।...(व्यवधान) इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है।...(व्यवधान) अभी भी 800 करोड़ रुपया विभिन्न राज्य सरकारों के पास पड़ा है, जो उन्होंने खर्च नहीं किया।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Minister, if the detailed Report is there, then you can give it to the Member.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपके पास किस-किस स्टेट से क्या रिपोर्ट आयी है, क्या डिमांड आयी है, अगर वह हो तो आप उसे माननीय सदस्य को दे सकते हैं।

…(व्यवधान)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH : Yes, Madam. … (*Interruptions*)

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदया, यह कहा गया कि आप पहले ही प्रश्न के उत्तर में देखें कि इसमें क्या-क्या पर्याप्त प्रगति हुई है।...(व्यवधान) मैंने पंद्रहवीं लोक सभा में अपने दरभंगा संसदीय क्षेत्र में और जिले में, जिसमें आंशिक रूप से मधुबनी और समस्तीपुर लगते हैं, 442 सड़कों का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें 142 सड़क आईं।...(व्यवधान) वर्ष 2012 में राज्य सरकार द्वारा 207 सड़कों की निविदाएं की गयी थीं।...(व्यवधान) जब हमने उस पर आपत्ति की तो उसे कैन्सल किया गया, क्योंकि वह गड़बड़ था।...(व्यवधान) जब दूसरी बार पुनः वे टेंडर किए गए, तब हूबहू वैसी आपत्तियां आयीं। ...(व्यवधान) यहाँ लोगों के हित में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ने की योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में बनायी गयी थी। ...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वे 207 योजनाएं, जो वर्ष 2012 में तैयार होकर वर्ष 2013 तक बन जानी चाहिए थीं, वे अभी तक अधर में क्यों पड़ी हुई हैं?...(व्यवधान) जिस कम्पनी ने गड़बड़ी की थी, क्या वह ब्लैक लिस्ट हुई, क्या उसके ऊपर एफ.आई.आर. हुई और क्या उसकी बैंक गारन्टीज को फ्रीज किया गया है? ...(व्यवधान) केन्द्र सरकार इसके ऊपर मुझे जवाब दे, क्योंकि, वहाँ के 45 लाख आम लोग इस कारण से सफर कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: महोदया, बिहार के अन्दर 51 प्रतिशत सड़कों पर काम हुआ है और मैं यह मानता हूँ कि बिहार में जिस रफ्तार से प्रगति होनी चाहिए थी, उस रफ्तार से नहीं हुई है। ...(व्यवधान) जहाँ तक

ब्लैक लिस्ट करने की बात है, काम का आबंटन करने की बात है, यह प्रान्तीय सरकार का काम है। ...(व्यवधान) हम उनको बुलाकर जो निर्धारित मापदंड हैं, उसके अनुसार उनको देते हैं। ...(व्यवधान) जो इररेगुलर टेन्डर्स हुए हैं, उनको कैन्सिल भी किया गया है। ...(व्यवधान) स्टेट को ही उन पर कानूनी एक्शन लेना है और स्टेट को एक्शन लेने के लिए हमने कहा भी है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, if you want more discussion on this subject, you can give a notice for Half-an-Hour discussion or something like that and I will allow it, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रश्न पूछना है।

...(व्यवधान)

(Q. 164)

SHRI ANANDRAO ADSUL : Our Power Minister is a very dynamic Minister. He is utilizing his total powers to develop the power sector.

India has become the world's third largest producer of electricity in the year 2013 with 4.8 per cent global share in electricity generation surpassing Japan and Russia. However, it could not produce electricity to the extent of its installed capacity resulting in acute shortage of electricity throughout the country. The *per capita* electricity consumption is also lower as compared to many other countries.

I would like to know from the hon. Minister about the steps that are proposed to be taken to utilize the full installed capacity and to add more capacity.

श्री पीयूष गोयल : महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। …(व्यवधान) वास्तव में आज देश की विडम्बना है कि एक तरफ लाखों करोड़ रूपये लगाकर इंस्टाल की हुई कैपेसिटी फ्यूल के लिए तरस रही है। …(व्यवधान) न गैस है, न कोयला है और जिस प्रकार की नीतियाँ कई वर्षों से चल रही हैं, उसमें गैस के प्लांट तो लगे, लेकिन पर्याप्त मात्रा में गैस का उत्पादन नहीं हुआ। …(व्यवधान) बिजली के प्लांट तो लगे, लेकिन कोयले का निर्माण नहीं हुआ। …(व्यवधान) इस विडम्बना को सॉल्व करने के लिए इस सरकार ने कई कदम उठाये हैं। …(व्यवधान) एक तरफ गैस की प्राइस जो कई महीने से पूर्व सरकार तय नहीं कर पायी थी, उसे इस सरकार ने तय किया है। …(व्यवधान) इससे गैस का उत्पादन बढ़ेगा। …(व्यवधान) विदेश से भी गैस लाकर, गैस के प्लांट ज्यादा से ज्यादा चलें, यह हमारा प्रयत्न है। …(व्यवधान)

दूसरी तरफ कोयले के आबंटन में हुयी गड़बड़ियों के कारण कई वर्षों तक जो कोयले की खानें बन्द थीं और कोयले का उत्पादन नहीं हो रहा था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। …(व्यवधान) उसके बाद हम उसे एक ट्रांसपेरेंट, बहुत ईमानदार तरीके से ई-ऑक्शन द्वारा ऑक्शन करके काम में लायेंगे। …(व्यवधान) इन कोयले की खदानों से ज्यादा से ज्यादा कोयला उत्पादन हो, इसके लिए कोल इंडिया के प्रोडक्शन को भी हम डबल कर रहे हैं। …(व्यवधान) एनटीपीसी जैसे जो बाकी उपक्रम हैं, ये भी कोयला उत्पादन करके देश में कोयले के भण्डार को बाहर निकालें, इन प्लांट्स को कोयला मिले और बिजली का उत्पादन बढ़े। …(व्यवधान) जनता कई वर्षों से त्रस्त है, इंडिपेंडेंस के 67 ईयर्स बाद भी जनता त्रस्त है। …(व्यवधान) उत्तर प्रदेश, झारखंड बिहार में बहुत ही कम बिजली मिलती है। …(व्यवधान) इन सभी इलाकों में बिजली 24 घंटे 7 दिन मिले, की योजना लेकर हम जनता की सेवा में हाजिर हुए हैं।…(व्यवधान)

SHRI ANANDRAO ADSUL : Madam Speaker, many States including Maharashtra have been facing power shortage due to tariff disputes.… (*Interruptions*) There should be a uniform policy which is acceptable to all to fix tariff for procuring power from private companies.… (*Interruptions*) I would like to know from the hon. Minister as to what steps have been taken or proposed to be taken by the Union Government in this direction?… (*Interruptions*)

श्री पीयूष गोयल : सम्मानीय सदस्य प्रश्न उठाना चाहते हैं कि जो पुराने प्लांट्स लगे हुए हैं, वे फिक्स टैरीफ पर कई राज्यों को बिजली देते हैं। विदेशी कोयले की कीमत बढ़ने और भारतीय रुपए की कीमत घटने से, उनमें कठिनाइयां चल रही हैं। …(व्यवधान) यह विवाद कई महीनों से चल रहा है। …(व्यवधान) यह विवाद सुप्रीम कोर्ट और ऐपटेल में सबजूडिस है। …(व्यवधान) पिछले ऑर्डर में ऐपटेल ने यह कहा है कि जो 5 राज्य इससे प्रभावित हैं और जो दो कंपनियां ऐपटेल में गई हैं, वे मिल-जुल कर लचीले तरीके से कुछ न कुछ एग्रीमेंट के साथ ऐपटेल में पेश हों, तभी इन प्लांटों के लिए सलूशन निकल सकता है। …(व्यवधान)

जहां तक फ्यूचर की बात है, हम समझते हैं कि जो पुरानी गाइडलाइन्स हैं उनको रीलूक करने की आवश्यकता है। …(व्यवधान) इनमें कुछ फ्लॉस हैं, कुछ इम्प्रैक्टिकलिटिज हैं, इसलिए स्पेशल कमेटी बैठाने के लिए तय किया गया है, जो इस पूरे बीडिंग डॉक्यूमेन्ट्स और बीडिंग के तरीके को नए परिप्रेक्ष्य में देख कर, एक ऐसी परियोजना बनाये जो आगे कभी कठिनाई न दे। …(व्यवधान)

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO: Private Sector investment in power sector and participation of private players under BOT and DBFOT route in power sector is definitely not in line with the nation's power requirement. I think this is because of unfriendly bidding process and formalities. Therefore, I would like to ask hon. Minister whether any delegation from Power Producers' Association have approached the Government to modify the bidding process. What was the Government's response to their delegation's request?

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया जी, माननीय सदस्य ने यू.एम.पी.पी. के संदर्भ में विषय उठाये हैं, वर्ष 2013-2014 में कुछ बीडिंग गाइडलाइन्स चेंज किये गये थे। पहले जो बीडिंग गाइडलाइन्स थे, जिनमें 4 यू.एम.पी.पीज. एलॉट किए गए, उन गाइडलाइन्स के हिसाब से 6 टैरीफ रहते थे जिसमें अगर फ्यूल का

कॉस्ट बढ़े तो लोगों को कठिनाई आये। ...(व्यवधान) वर्ष 2013-14 में नई गाइडलान्स बनी, उनमें फ्यूल को अलाउ किया गया लेकिन साथ ही साथ 3 कंडीशंस रखी गईं।...(व्यवधान)

1. प्लांट 30 वर्षों के बाद सरकार को वापस ट्रांसफर होंगे। हो सकता है कि दोनों पार्टिज में से कोई एक चाहे तो 15 वर्ष के लिए एक्सटैंशन मिल सकता है लेकिन यह गैरन्टी नहीं है। ...(व्यवधान)

2. साथ ही साथ एक इंडीपेन्डेन्ट इंजीनियर की कल्पना की गई जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स् को बड़ा इंक्लूसिव लगा और उसके पावर्स बहुत ज्यादा लगे। ...(व्यवधान)

3. तीसरा जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं, वे प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को सूटेबल नहीं लगे। ...(व्यवधान)

एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स और अन्य कम्पनियों ने सरकार के पास यह दरख्वास्त की है कि इसको रीलूक किया जाए।...(व्यवधान) साथ ही साथ कई कम्पनियां जो यू.एम.पी.पी. के लिए आर.एफ.पी. कर चुकी थी उन्होंने अपने बीड को विथड्रा किया है। ...(व्यवधान) इस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए, एक एक्सपर्ट ग्रुप बैठा कर, इसके द्वारा पूरी गाइडलाइन्स, डी.बी.एफ.ओ.टी. जो नई गाइडलाइन्स हैं जिन पर यू.एम.पी.पी. बीडिंग हो रही थी, पूरे को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है।...(व्यवधान) उस कमेटी के रीकमेंडेशंस के बाद इस पर फाइनल निर्णय लिया जाएगा। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने उत्तर में दो चीजों का जिक्र किया है -- escalation of fixed and fuel charge has been linked to pre-defined parameters and fuel cost has been allowed as a pass through subject. दूसरा जिक्र किया है कि एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स की बॉडी ने डीबीएफओटी के ऊपर दो ऑब्जैक्शन डाले हैं।...(व्यवधान) मेरा सवाल मंत्री जी से यह है कि जैसे अभी पैट्रोल और डीजल के प्राइस प्रत्येक 15 दिन में रिवाइज़ हो रहे हैं, उसी तरह गैस के प्राइस देश, दुनिया में हमेशा रिवाइज़ होते हैं। ...(व्यवधान) उन्होंने फिक्स कर दिया है कि छः महीने में उसे रिवाइज़ करेंगे। लेकिन गैस के प्राइस हमेशा डाउन हो रहे हैं या ऊपर हो रहे हैं। उसी तरह अब इंडियन कोल के मुकाबले इम्पोर्टेड कोल ज्यादा सस्ता नजर आ रहा है।...(व्यवधान) इसे वे कन्ज्यूमर के ऊपर कैसे पास आन करेंगे या इनका बिडिंग डॉक्यूमैंट किस तरह की क्लैरिटी है, मंत्री जी इसे एक्सप्लेन करें?

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, पहली बात गैस के दाम भारत में नियोजित किए जाते हैं, 5.61 डालर का रेट तय किया गया है। ...(व्यवधान) अंतर्राष्ट्रीय गैस की कीमतें

जरूर जुलाई से कम हुई हैं, लेकिन वह डायनामिक प्रोसैस है, गैस कम होगी, ज्यादा होगी। ...(व्यवधान) वैसे ही इम्पोर्टेड कोल सस्ता जरूर हुआ है लेकिन भारतीय कोल इंडिया लिमिटेड के दामों से अभी भी महंगा है। जो नए डॉक्यूमैंट डीबीएफओटी में बनाए गए हैं, उसमें जब दाम बढ़ेंगे और जब घटेंगे, दोनों तरफ के फ्यूल एडजस्टमैंट का प्रोविजन है। ...(व्यवधान) जब भी दाम घटेंगे, उसका बैनीफिट कन्ज्यूमर को पास थ्रू होगा, यह प्रोविजन इस डॉक्यूमैंट में है। इन्होंने जो आपत्ति उठाई है, वह इस प्रोविजन में नहीं है।...(व्यवधान) एपीपी ने आपत्ति उठाई है या प्राइवेट प्लेयर्स ने जो आपत्ति उठाई है, जमीन और ट्रांसफर ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर तीस वर्ष की बात है, उसके ऊपर है, टैक्नीकल स्टैन्डर्ड पर है और इंडीपैंडैंट इंजीनियर पर है। जहां तक कन्ज्यूमर बैनीफिट की बात है, वह पॉज़िटिवली पास आन होगा।

(Q. 165)

SHRI RABINDRA KUMAR JENA : If we look at the Union Budget 2014-15, it is the textile industry which got almost everything what they wanted to have including Rs 425 crore additional allocation, then what was there in the revised allocation of 2013-14 budget…. (*Interruptions*) If I take the case of Odisha, out of 30 districts in Odisha, 24 districts are related to textile and cotton production. … (*Interruptions*) Almost 1,03,000 hectare of land is being used in production of cotton. More than 3 lakh bales are produced every year in Odisha. In 1970s and 1980s, the then Prime Minister of India Shrimati Indira Gandhi not only appreciated Odisha's cotton but also used to get sari for her own use…. (*Interruptions*) In 2014, our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi, while addressing a rally in Bhubaneswar on 11th of February, very well appreciated Odisha's workforce in textile industry for having serious importance and expertise. … (*Interruptions*) In the light of above, may I ask the hon. Minister if he will set up textile cluster in the State of Odisha on the line of 6 clusters that have been announced in the last Union Budget.

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदया, यह सवाल टैक्नीकल टैक्सटाइल से संबंधित है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो कहा है, हम उनकी भावना को समझते हैं। हमारी नजर में ओड़िशा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, ओड़िशा में टैक्सटाइल क्लस्टर बने, यह हमारी रूचि भी है और हम इससे आगे बढ़कर चाहते हैं कि वहां टैक्सटाइल पार्क की स्थापना भी करें। हम माननीय सदस्य से कहना चाहेंगे कि वे उद्यमियों को तलाश करें। अभी हमने विज्ञापन निकाला है। टैक्सटाइल पार्क और टैक्सटाइल क्लस्टर दोनों के संबंध में वे जो सहयोग चाहते हैं, उन्हें देने का प्रयास करेंगे।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना : महोदया, हमारे क्षेत्र से जितनी भी जमीन चाहिए, हम स्टेट गवर्नमेंट से मांग कर दे देंगे। Coming to my second supplementary question, in the Expert Committee Report for Vision 2014-15, the Expert Committee has prepared a roadmap to achieve 300 billion of export by 2024-25 and have entailed an employment of almost 35 million people. This is going to be the highest employment generating sector. In that Expert Committee Report, a ten point agenda has been specified by

the Expert Committee. In Point No. 9 it has been specifically said that the Union Government need to have a partnership with the State Government for promotion and growth of this industry. So, my specific question to the hon. Minister, through you is this. Has any effort been taken to partner with various State Governments including that of Odisha? If so, what are the details and if not, when is the partnership going to happen and what is the time-frame?

श्री संतोष कुमार गंगवार : हम माननीय सदस्य की भावना से सहमत हैं और हम इस बैंत को जानते हैं कि कृषि के बाद टेक्सटाइल क्षेत्र में संभावनाएं सबसे अधिक हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की रुचि इस क्षेत्र में है। वे टेक्सटाइल क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। ह्र(व्यवधान) इसका बहुत अधिक स्कोप है। उड़ीसा के संदर्भ में निश्ंिचत रूप से जो भी अधिकतम प्रयास होगा, हम इस ओर ध्यान देंगे और इस काम को करेंगे। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य से बैंत करके इस संदर्भ में जो भी उनका सुझाव है, उसको हम प्राप्त करके क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री बदरुद्दीन अजमल : महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि असम में जूट की बहुत एवेलिविलिटी है, इसकी जबर्दस्त खेती होती है। मेरे क्षेत्र मनकचर और धुबड़ी में इन सब जगहों पर जूट का बहुत बड़ा उत्पादन होता है, लेकिन पहले इंडस्ट्रीज थी। ह्र(व्यवधान) अब किसानों ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उनको वह रेट नहीं िमलता है। क्या गर्वनमेंट ऑफ इंडिया इस मामले पर ध्यान देगी? मैं मंत्री से पूछाना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा इंडस्ट्री वहां कायम करेगी जिससे इसकी खेती का उत्पादन हो और इन किसानों को इसका लाभ मिले।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदया, हमारी रुचि नार्थ-ईस्ट के िलए बहुत है। हम इसके िलए अलग से दिनांक 20 को असम जा रहे हैं। जिस विषय का सवाल आज यहां पर माननीय सदस्य ने उठाया था, टेक्निकल टेक्सटाइल का, एक बड़ा काम है जिसमें करीब 425 करोड़ रुपये हम लोग खर्च कर रहे हैं। यह आने वाले समय में हमने नार्थ-ईस्ट के िलए तय किया है। उसके तहत इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करेंगे और इस दिशा में हमने बहुत जल्द ही पङ्कैसला लिया है।

DR. PRABHAS KUMAR SINGH : Madam, this is regarding the textiles of Odisha. During the last meeting, hon. Prime Minister, while addressing a meeting at Sambalpur, highly praised the Sambalpur Tie and Dye. Now the real weavers who are looking after the heritage, that heritage is going to die because of the entry of power looms in the Sambalpur textiles and handlooms. They have encroached

the market and now the weavers are going to different States for labour. They are not getting the proper price. I would urge upon the Union Government to look into the matter so that the power loom sector should not enter into the handloom sector. The strict legal action should be taken in this regard.

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदया, जो वे कह रहे हैं उस पर हम ध्यान दे रहे हैं, यह बैंत सही है कि विवर्स को उतना मानदेय नहीं मिलता, जितना मिलना चाहिए। हम लोग मिलकर उसकी चिंता कर रहे हैं कि विवर्स की संख्या कम न हो, बल्कि और बढ़े। यह हमारी रुचि का विषय है। ह्ण(व्यवधान) इस संबंध में हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि जो भी इस संबंध में उनके सुझाव हों, हमको देने का कष्ट करें।

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 944/16/14)

(2) एक) कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 945/16/14)

(3) एक) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 946/16/14)

(4) एक) नॉदर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉदर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 947/16/14)

(5) एक) बम्बई टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बम्बई टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 948/16/14)

(6) एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 949/16/14)

(7) एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 950/16/14)

(8) एक) वुल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वुल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 951/16/14)

(9) एक) सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 952/16/14)

(10) एक) वुल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वुल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 953/16/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi, for the year 2013-2014, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 954/16/14)

(b) (i) Review by the Government of the working of the NTPC Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the NTPC Limited, New Delhi, for the year 2013-2014, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 955/16/14)

(2) A copy of the Notification No. S.O. 2770(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 28th October, 2014 making certain amendments in Notification No. S.O. 2155(E) dated 21st September, 2011 under sub-section (1) of Section 28 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

(Placed in Library, See No. LT 956/16/14)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

(i) The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (except Delhi) (Multi Year Distribution Tariff) Regulations, 2014 published in Notification No. JERC-18/2014 in Gazette of India dated 11th July, 2014.

(ii) The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Procurement of Renewable Energy) First Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. JERC-14/2010 in Gazette of India dated 22nd April, 2014.

(iii) The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2014 published in Notification No. L-1/144/2013/CERC in Gazette of India dated 12th March, 2014.

(iv) The Central Electricity Regulatory Commission (Power System Development Fund) Regulations, 2014 published in Notification No. L-1/148/2014/CERC in Gazette of India dated 10th June, 2014.

(4) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 957/16/14)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi, for the year 2013-2014, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 958/16/14)

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories), Gurgaon, for the year 2013-2014.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories), Gurgaon, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 959/16/14)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Wind Energy Technology, Chennai, for the year 2013-2014, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Wind Energy Technology, Chennai, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 960/16/14)

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sardar Swaran Singh National Institute of Renewable Energy, Kapurthala, for the year 2013-2014, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sardar Swaran Singh National Institute of Renewable Energy, Kapurthala, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 961/16/14)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Central Inland Water Transport Corporation Limited, Kolkata, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Central Inland Water Transport Corporation Limited, Kolkata, for the year 2013-2014, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 962/16/14)

(2) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2013-2014.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2013-2014.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 963/16/14)

(3) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Cochin Port Trust, Cochin, for the year 2013-2014.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cochin Port Trust, Cochin, for the year 2013-2014.

(iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Cochin Port Trust, Cochin, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Cochin Port Trust, Cochin, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 964/16/14)

(4) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Chennai Port Trust, Chennai, for the year 2013-2014, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chennai Port Trust, Chennai, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 965/16/14)

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the National Highways Act, 1956 :-

(i) S.O. 1545(E) to S.O. 1548(E) published in Gazette of India dated 17th June, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches, mentioned therein, of National Highway No. 44 in the State of Tripura.

(ii) S.O. 467(E) published in Gazette of India dated 19th February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 37 (Dibrugarh Bypass Section) in the State of Assam.

(iii) S.O. 487(E) published in Gazette of India dated 20th February, 2014, authorising the Additional Deputy Commissioner (Land Acquisition), District Sonitpur, Assam, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway Nos. 37 & 52 in the State of Assam.

(iv) S.O. 488(E) published in Gazette of India dated 20th February, 2014, authorising the Additional Deputy Commissioner (Revenue), Golaghat,

Assam, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway Nos. 37 & 52 in the State of Assam.

(v) S.O. 1147(E) published in Gazette of India dated 25th April, 2014, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 44 (Agartala-Sabroom Section) in the State of Tripura.

(vi) S.O. 2371(E) published in Gazette of India dated 16th September, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 37 (Demow to Dibrugarh Section) in the State of Assam.

(vii) S.O. 2372(E) published in Gazette of India dated 16th September, 2014, authorising the Additional Deputy Commissioner (Revenue), Golaghat, Assam, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway Nos. 37 & 52 in the State of Assam.

(viii) S.O. 2373(E) published in Gazette of India dated 16th September, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 37 (Numaligarh to Da-Dhara Section) in the State of Assam.

(ix) S.O. 489(E) published in Gazette of India dated 20th February, 2014, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 37 in the State of Assam.

(x) S.O. 1530(E) published in Gazette of India dated 16th June, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1147(E) dated 24th April, 2014.

(xi) S.O. 668(E) published in Gazette of India dated 5th March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 37A (Kaliabhomora bridge-Dolabari Section) in the State of Assam.

(xii) S.O. 669(E) published in Gazette of India dated 5th March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 37A (Kaliabor Tiniali-Kaliabhomora bridge Section) in the State of Assam.

(xiii) S.O. 803(E) published in Gazette of India dated 15th March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 45C (Vikravandi-Kumbakonam-Thanjavur Section) in the State of Tamil Nadu.

(xiv) S.O. 860(E) published in Gazette of India dated 20th March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of Chennai bypass (Phase-I) connecting National Highway Nos. 45 & 4 in the State of Tamil Nadu.

(xv) S.O. 1065(E) published in Gazette of India dated 9th April, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 226 (Thanjavur-Manamadurai Section) in the State of Tamil Nadu.

(xvi) S.O. 1070(E) published in Gazette of India dated 11th April, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 226 (Thanjavur-Manamadurai Section) in the State of Tamil Nadu.

(Placed in Library, See No. LT 966/16/14)

12.03 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Thursday, the 14th August, 2014 adopted the following Motion in regard to the Joint Committee on Offices of Profit:-

> "That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that a Joint Committee on Offices of Profit be constituted for the purposes set out in the Motion adopted by the Lok Sabha at its sitting held on the 1st August, 2014 and communicated to this House, and resolves that this House do join in the said Joint Committee and proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, five Members from among the Members of the House to serve on the said Joint Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that as a result of the election process initiated pursuant to the above Motion, the following four Members of Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:-

(i) Shri Dilipbhai Pandya
(ii) Shri Sukhendu Sekhar Roy
(iii) Shri K.C. Tyagi
(iv) Shri C.P. Narayanan

3. I am also to inform that in order to fill up the remaining one vacancy in the Committee, the election process is being initiated during the current Session of Rajya Sabha itself.'

HON. SPEAKER: Shri P. Karunakaran to present the Report of Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Dr. (Smt.) Ratna De to present the report.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Kharge.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: All of you please go to your seats.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदया, हम हमारी …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप एक मिनट रुकिये।

बात यह है कि आपने जो एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया है, वह excise duty on petrol and diesel effected through notification by Government of India पर है। ऐसा नहीं होता है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सम्माननीय सदस्य हैं। आप सबसे बड़े आपोजिशन दल के नेता भी हैं। आपने जो एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया था और प्रश्न काल के सस्पेंशन का जो नोटिस मेरे पास आया है, उसका विषय बिल्कुल अलग है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप मेरी बात भी समझिये। 400 सदस्य कुछ चाहते हैं और आपका एक ग्रुप कुछ अलग चाहता है। आपने जो नोटिस दिया उस पर आप बोलते कि हमें इस विषय पर कुछ बोलना है, तो बात ठीक बनती है, मगर ऐसा नहीं है। कल जो विषय हो चुका है, माफी मांगी जा चुकी है, सब कुछ कल होने के बाद ...

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको नहीं बोल रही हूं और न ही आपका नोटिस है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will not allow this. I am asking Mr. Kharge. आपने जो नोटिस दिया है, उस विषय पर आपको कुछ कहना है, तो मैं आपको बोलने की अनुमति देती हूं।

जब आप सब अपनी-अपनी जगह पर जायेंगे तभी आपके नेता बोल पायेंगे। मैं हर एक को बोलने नहीं दे सकती। यहां खड़े रहकर बात नहीं हो सकती।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You please go to your seats. Then I will ask Mr. Kharge something.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: All of them have given notices. श्री गौरव गोगोई ने चर्च के बारे में नोटिस दिया है। कल इस पर पूरी चर्चा हुई है और गृह मंत्री जी ने उसका जवाब भी दिया था। मैंने उस विषय को यहां उठाने दिया था। सॉरी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले आप सब अपनी-अपनी सीट पर जाइये। यह पद्धति नहीं है।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हमने प्राइम मिनिस्टर से क्लेरीफिकेशन पूछा था। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने जो नोटिस दिया है, उसकी बात न करके आप जो चाहे, उसे उठायेंगे तो ऐसा नहीं होता है। आप भी एक जिम्मेदार सदस्य हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब पहले अपनी-अपनी सीट पर जाइये।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब पहले अपनी-अपनी सीट पर जाइये।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: All of you please go to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप वैल में बोलेंगे तो मैं कैसे सुनूंगी।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सबसे पहले आप सब अपनी-अपनी सीट पर जाइये।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके सदस्य सिर्फ, आपके सदस्य है, मैंने ऐसा बोला।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब अपनी-अपनी सीट पर जाइये।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हैं? आप अपनी सीट पर जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर जाएंगे तो उनको बोलने का मौका मिलेगा। ऐसे नहीं होता है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सीट पर जाएंगे तो खड़गे जी बोलेंगे।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: First, please go back to your seats. I am sorry.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठिए।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry. First, you will have to go back to your seats. All of you have to go back to your seats. Please go back.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप सब लोग अपनी सीट पर जाइए। मैं खड़गे जी की बात समझ लूंगी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले सब लोग सीट पर जाइए तो मैं खड़गे जी की बात समझूंगी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले सब लोग अपनी सीट पर जाइए, खड़गे जी क्या कह रहे हैं, मैं समझ लूंगी।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: First, please go back to your seats. I am sorry.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हाउस ऑर्डर में नहीं था। आपने क्वैश्चन ऑवर में मौका नहीं दिया।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई नोटिस नहीं था।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हाउस ऑर्डर में नहीं था।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भी अपने आर्डर से नहीं बोल रहे थे। आपने जो नोटिस दिया, उस पर नहीं बोल रहे थे।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry.

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपका माइक भी ऑन नहीं है। Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपके लोग आपको बोलने नहीं देना चाहते हैं। मैं क्या करूं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके अपने लोग आपको बोलने नहीं देना चाहते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, उनको बोलिए कि आपकी मदद करें। सब अपनी सीट पर जाएं। मैं आपको अलाऊ कर रही हूं। आप अपनी सीट पर चले जाएं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : धर्मेन्द्र जी, मुझे मालूम है कि आपकी सीट कहां है। यह नेता जी की सीट है। आप अपनी सीट पर जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप खड़गे जी की मदद कीजिए। अपने नेता की मदद कीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बाद में जो भी हो। पहले अपने नेता का सम्मान कीजिए।

…(व्यवधान)

12.07 hrs.

At this stage, Kumari Sushmita Dev, Shri P. Karunakaran and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप सब शांत बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यहां से आवाज़ नहीं आएगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या हुआ?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, बोलिए। कोई आवाज़ नहीं करेगा। सब चुप बैठेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, क्या आप बोलना चाहेंगे?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भी तो कल से एक महिला के पीछे पड़े हैं इसलिए महिलाएं नाराज़ हो रही हैं। प्लीज़ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इनको बोलने दीजिए। क्या हो रहा है? आप क्यों नहीं जाते हैं?

...(व्यवधान)

12.08 hrs.

At this stage, Kumari Sushmita Dev, Shri P. Karunakaran and some other hon. Members went back to their seats.

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : माननीय अध्यक्ष जी, आप भी दुखी हैं और हम भी दुखी हैं। ...(व्यवधान) ऐसे करके ठीक नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया चुप हो जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यहां से आवाज आ रही है। यह अच्छी बात नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : ये अपनी प्रूव्ड मेजोरिटी से हमें दबाना चाहते हैं।...(व्यवधान) They are provoking. Since you have got majority, you want to suppress us? We have seen many such days.... (*Interruptions*) इसलिए हमें दुख होता है कि एन्टायर ओपोजिशन आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्रधानमंत्री से एक स्टेटमेंट दिलाइए। क्योंकि उनके एक मंत्री महोदय ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज उनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I have allowed him.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसका मतलब है कि कोई भी बात न करना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष महोदया, हम सिर्फ यही चाहते थे कि केवल इस सदन के नेता और नेता सबके हैं जब सदन में रहते हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं और सभी के प्रधानमंत्री हैं। जब प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को कंट्रोल करने के लिए या उनको हिदायत देने के लिए उन्हीं का अख्तियार होता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए सारा सदन यह चाहता था कि ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वे अपोजीशन की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सारा देश यह चाहता है ...(व्यवधान) कि ऐसे वक्तव्य को कंडेम करने के लिए सारा देश अपेक्षा करता है। ...(व्यवधान) इसीलिए प्रधानमंत्री जी से हम चाहते थे। ...(व्यवधान) लेकिन इंटायर अपोजीशन आपसे रिक्वेस्ट करके उनके स्टेटमेंट के लिए प्रतीक्षा कर रहा था।...(व्यवधान) हम यह चाहते थे कि कम से कम आप हमारे रक्षण के लिए आएंगी। ...(व्यवधान) ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है। ...(व्यवधान) यदि सदन में 10 लोग आए तो हाऊस एडजर्न हुआ, ...(व्यवधान) 20 लोग थे तो भी एडजर्न हुआ ...(व्यवधान) और आप भी उस सबकी आई-विटनेस थीं और हैं। ...(व्यवधान) इसके बावजूद, आज 80-90 लोग ठहरकर, सभी पार्टियों के लोग आपसे भी विनती कर रहे थे, ...(व्यवधान) लेकिन मुझे यह लगा कि आज आपने भी मुझे परमिशन नहीं दिया। ...(व्यवधान) शायद, मैं यह तो नहीं कह सकता

...(व्यवधान) कि उनके दबाव में आकर आपने दिया होगा...(व्यवधान) मैं यह तो नहीं कह सकता कि आप उनके दबाव में आकर दिये हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप भी थोड़ा शॉर्ट में अपनी कहिए, किसी को उत्तेजित न करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं तो कोई भी रिकार्ड नहीं होगी।

...(व्यवधान) *

माननीय अध्यक्ष : यदि कोई गलत बात होगी, तो मैं देख लूंगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप चेयर को बोलते ही क्यों हैं? चेयर ने आपको कुछ नहीं बोला, चेयर को कोई नहीं बोलता।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैंने यह बोला कि आपने दबाव में आकर ऐसा किया, ...(व्यवधान) ऐसा मैंने नहीं बोला। ...(व्यवधान) मैं तो यह स्पष्ट बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान) लेकिन यहाँ पर एक ऐसा वातावरण सृजित हुआ, ...(व्यवधान) हमें क्या महसूस हो रहा है, हमारी इतनी कोशिश करने के बाद भी एक घंटे तक यह चला रहा है, ...(व्यवधान) लेकिन आपने मुझे आशीर्वाद नहीं किया। ...(व्यवधान) मुझे अपनी बात कहने के लिए नहीं कहा। ...(व्यवधान) इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। ...(व्यवधान) यह ठीक नहीं है, यदि ऐसा हुआ तो किस ढंग से डेमोक्रेसी चलना चाहिए। ...(व्यवधान) आप तो जानते हैं, आप से पहले भी इस सदन में पेपरवेट्स फेंके जाते थे, पेपर फाड़ा जाता था। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह चर्चा नहीं करनी है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हमने शांतिपूर्ण ढंग से आपके सामने आए, अपने सभी विचार रखे।...(व्यवधान) लेकिन इतने शांतिपूर्ण ढंग से विचार रखने के बावजूद भी हमको मौका नहीं मिला। प्रधान मंत्री जी यहां आकर स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वजह है? इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इस ढंग से अगर सदन को चलाना चाहते हैं कि आपकी मेजॉरिटी है, कुछ भी कर सकते हैं, अगर उनके ऐसे विचार हैं तो यह डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा है।...(व्यवधान) मैडम, आपको इसे कंट्रोल करना चाहिए।...(व्यवधान) आप

* Not recorded.

कस्टोडियन हैं, हरेक सदस्य की बात को उतनी ही सपोर्ट देनी चाहिए, जितनी उनकी बात को देती हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, अब बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इसलिए सरकार के ऐसे एटीट्यूड और बिहेवियर को हम कंडेम करते हैं।...(व्यवधान) उनकी यह आदत ठीक नहीं है।...(व्यवधान) इस सदन में हमेशा प्रधान मंत्री आकर ऐसे स्टेटमेंट देते रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं यही बोलना चाहता हूं। इसीलिए मैं रिप्लाई चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): मैडम, मैं कुछ कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुदीप जी, आपका कोई नोटिस नहीं है। मैं इसे एलाऊ नहीं करूंगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, मैं सभी को एलाऊ नहीं करूंगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी ने चेयर के लिए कुछ कहा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, आपका कोई नोटिस नहीं है। प्लीज मेरी बात सुनिए। Now, I want to say something.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry. Nothing will go on record.

(Interruptions) ...[*]

माननीय अध्यक्ष : किसी की कोई नोटिस नहीं है, इसलिए आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

---

[*] Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठिए। पहले मेरी बात सुनिए। चेयर के बारे में कुछ कहा गया है। You will have to sit and hear me.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप शांति से बैठिए। प्लीज बैठ जाइए।

करूणाकरण जी, आप बैठ जाइए। जब प्रश्न पूछने के लिए आपका नाम लिया, तब आप नहीं बोले। अब आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय खड़गे जी ने सदन में कुछ बात उठाई। पहली बात यह है कि सदन के कुछ नियम हैं, मुझे उनके अनुसार चलना है। माननीय खड़गे जी, आपने जब भी किसी संदर्भ में नोटिस दी, मैंने उसे एलाऊ किया है। आपने जब माफी की बात कही थी, यहां माफी मांगी गयी है। हमारे मंत्री जी ने बोला। जिन्होंने कहा था, उन्होंने माफी मांगी थी। उसके बाद हमने सदन की कार्यवाही चलाई। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। यह बात हो गयी थी। आज आपकी नोटिस केवल और केवल सेंट्रल एक्साइज के बारे में है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरी बात सुनिए।

कल भी यहां हर चीज पर हमने स्टेटमेंट दिलाए हैं। आपने छत्तीसगढ़ की बात कही, मंत्री जी ने जवाब दिया। चर्चा का मामला आप लोगों की तरफ से उठाया गया, सही बात है, मंत्री जी की ओर से जवाब भी आया। आपकी, अब आप अपने आपको सभी विपक्ष की ओर से बोल रहे हैं, तो सभी किसी भी बात को यहां से अन-नोटिस्ड नहीं जाने दिया गया। आपने जिस प्रकार से कहा, चेयर पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। यह आपने अनुभव किया होगा कि हर उस बात का जवाब मंत्रिमंडल की तरफ से दिया गया।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट मेरी बात सुनिए।

विदेश से आने के बाद आज तक की यह परिपाटी है, मैं भी सदन में देखती आई हूं कि विदेश मंत्री उस पूरी बात का ब्यौरा देता है, स्टेटमेंट यहां रखता है। आप जो बोल रहे हैं प्रधान मंत्री जी इसके बारे

में बोलें, जब एक बार मंत्री ने बोल दिया, स्वयं पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने एक प्रकार से कहा कि यह बात उचित नहीं, तो स्वयं मंत्री द्वारा माफी मांगने के बाद मामला वहीं पर समाप्त हो जाता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप तो बोलो ही मत, नहीं तो मुझे वही बात दोहरानी पड़ेगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसलिए बिना नोटिस दिए आप अगर कुछ बोलना चाहें तो मैं क्वेश्चन ऑवर में परमीशन नहीं दे सकती, इसलिए अभी आपको बोलने का मौका दिया था। क्वेश्चन ऑवर में आपके एडजर्नमेंट की जो नोटिस थी, अगर आप उसे उठाते तो एकाध मिनट मैं सुन भी लेती, लेकिन मैंने आपका एडजर्नमेंट नोटिस एलाऊ नहीं किया था।

खड़गे जी, आप भी जानते हैं। यह कोई अर्जेंट बात नहीं थी। जब अर्जेंट थी, मैंने तुरंत उसकी नोटिस लेकर मंत्री जी से माफी मांगने के लिए कहा। इसलिए इस प्रकार से कमेंट नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वेल में आने के बाद मैं कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होती। जब 400 सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, मंत्री जी से उत्तर चाहते हैं, मैं उनकी अवहेलना भी नहीं कर सकती। मुझे इनको भी संभालना है, मुझे आपको भी तवज्जो देनी है। मैं अपनी तरफ से इसके लिए कोशिश कर रही हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे लगता है कि अब इस तरह की बातें नहीं हों तो अच्छा है। अब मैं जीरो ऑवर प्रारंभ कर रही हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्या बोलना चाहते हैं, विषय लिखकर दो, तब तक जिन्होंने लिखकर दिया है, कानूनन जिनका अधिकार बनता है वहीं से शुरुआत करती हूं। आपको क्या बोलना है, आप लिखकर दे दो।

...(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Madam, yesterday this issue was raised. The hon. Minister, Shri Venkaiah Naidu ji made a statement… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप किसी विषय को उठाना चाहते हो। बोलिये।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : He mentioned my Party's name categorically Trinamool Congress and also Shri Tapas Paul by name on this subject. It is my privilege to be allowed to speak and to explain what the hon. Minister said and what is our standpoint… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपका विषय हो गया। आप इसे दुबारा न उठाएं। उस पर मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है।

...(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : If you do not give me time then I have to tell in one word what Shri Kharge ji has said. We fully agree with him and support him. We stand by the statement made by Shri Kharge ji and we are walking out… (*Interruptions*) You are not allowing us to speak… (*Interruptions*) This is not fair… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं अलाऊ कर रही हूं। I am allowing you.

Smt. Ratna De

Shri Jitendra Chaudhury -- Not present

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : पहले नम्बर पर रत्ना डे का नाम है, मैं उन्हें पूछ रही हूं, वे अपना प्रश्न उठाना चाहती हैं क्या? Smt. Ratna De, would you like to speak on your subject – need to open Kendriya Vidyalaya?

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Madam, Speaker, thank you for giving me this opportunity. My parliamentary constituency Hoogly… (*Interruptions*)

12.22 hrs

At this stage, Shri Sudip Bandyopadhyay and some other hon. Members left the House.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, Speaker, in my absence, I was in the other House, it is functioning or not

functioning I had to be there and I went there. I am told that my name is taken out of context. I have not said any word against Mamata ji.

HON. SPEAKER: He wanted to give some explanations about what you said yesterday. It is all right.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am not giving any explanation. I hold Mamata ji in high esteem. What I said was that she had the culture to condemn that. But Beni Prasad Verma ji did not apologise. That was the context in which I mentioned it. I do not think anybody should have objection to that. Everyday they want to say something and curse the Government. Mere curses will not do anything to this Government. It is the wish of the people that prevail. They should understand that.

माननीय अध्यक्ष : श्री छोटे लाल जी।

श्री छोटेलाल (राबट्र्सगंज) : आपने मुझे अति महत्वपूर्ण विषय को शून्य काल में बोलने की अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र राबट्र्सगंज, सोनभद्र में ग्राम खैराही, बराईदार, डडिहरा ब्लॉक मैअरकुल, रेनूकोट, जिला सोनभद्र इत्यादि गांवों में पीने का पानी दूषित हो गया है, उसमें फ्लोराइड है। वहां पर बड़े-बड़े डैम तथा कई बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जिनका गंदा पानी डैम में गिरता है, जिसकी वजह से वहां का पानी जहरीला हो गया है। जिले के अधिकारी और राज्य सरकार भी इस बात से अच्छी तरह से अवगत है, लेकिन कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहां के लोग दूषित पानी पीने से कई प्रकार की बीमारियों, जैसे विकलांगता, फ्लेरिया आदि रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। यह ख़बर इंडिया न्यूज़ तथा दैनिक समाचारों के माध्यम से भी प्रकाशित की जा चुकी है। मैं स्वयं उस गांव का दौरा कर चुका हूं सभी अधिकारियों को अवगत करा चुका हूं। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र राबट्र्सगंज-सोनभद्र के सभी हेण्डपाइप की जांच करा कर लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए उचित व्यवस्था की जाए, आपकी अति कृपा होगी।

[*]SHRI P R SUNDARAM (NAMAKKAL) : Thank you, Hon'ble Madam Speaker. Tamil Nadu Government under the able guidance of Hon'ble *Puratchithalaivi* Amma has taken several precautionary measures to control and contain bird flu in Tamil Nadu. Namakkal is the largest producer of eggs. In my Namakkal parliamentary constituency 3 crore eggs are produced every day. Out of which, 1 crore eggs are sent to different states of the country and also exported to foreign countries. Tamil Nadu Government under able guidance of Hon'ble *Puratchithalaivi* Amma held a meeting last week under the Chairmanship of Hon'ble Minister and in the presence of District Collector to explain the poultry famers the measures to be taken to contain and control bird flu. I also attended that meeting. Tamil Nadu Government functioning under the guidance of Hon'ble *Puratchithalaivi* Amma has announced that there is no bird flu in the State of Tamil Nadu. As per the statements of Tamil Nadu Poultry Farmers Association, the prices of eggs have not come down and eggs are being exported to foreign countries. Hon'ble Madam Speaker. What I want from the Government at the Union is that, as mentioned by me in this august House, the long pending demand of poultry farmers to divide all States as different zones should be fulfilled and Tamil Nadu should be announced as a separate zone with Namakkal as its headquarters. I also urge the Union Government to announce Namakkal district as egg export zone.

---

[*] English translation of the speech originally delivered in Tamil.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Madam Speaker, I would like to take this opportunity to put forward an issue regarding my constituency, Srikakulam.

In the Mandal of Santhabommali, there is a huge swamp area. Every year, due to rains, a lot of water gets collected there. There is a natural flow of water and all this water has to go to the sea. But there is a canal called Gareebula Canal. There is a bridge on the canal which obstructs the natural flow of water. So, the bridge gets submerged when there is heavy rain and for a month, communications to hundreds of villages get obstructed.

I want the Government to take up this issue and build a higher bridge of a much higher height so that there is a natural flow of water from the swamp area to the sea and none of the villages get submerged in this area.

I propose that between the villages of Mollapeta and Palavanipeta, a bridge of a higher height must be built on the Gareebula Canal.

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम बिहार में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का विस्तारित केन्द्र स्थापित करना अतिआवश्यक है।

महोदया, सासाराम में विस्तारित केन्द्र स्थापित करने से बिहार राज्य के रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया तथा बिहार राज्य सहित झारखण्ड प्रदेश के अति पिछड़े जिले पालामू, चतरा आदि एवं अन्य सीमावर्ती राज्य भी शैक्षणिक रूप से लाभान्वित होंगे।

अध्यक्ष महोदया, उल्लेखनीय है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का विस्तारित केन्द्र बिहार प्रान्त के किशनगंज में खुल गया है। अतः मेरा विशेष आग्रह है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी का विस्तारित केन्द्र सासाराम बिहार में स्थापित करने हेतु इस सदन के माध्यम से संबंधित मंत्रालय को निर्देशित करने की कृपा की जाए, जिससे बिहार प्रान्त के शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े जिलों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध हो सके।

[*]SHRI R.K.BHARATHI MOHAN (MAYILADUTHURAI): Hon'ble Madam Speaker, I wish to raise an important issue. The rail route between Mayiladuthurai and Tharangambadi, for a stretch of 30 kms, functioned profitably from 1926 to1991. During that period since road facilities were not upgraded, the rail connectivity remained as the lifeline of this people. In 1991 the metre gauge operations were stopped and remain so till date. Between Mayiladuthurai and Tharangambadi this rail route had railways stations at the following places: (i) Mayiladuthurai Town (3.82 kms); (ii) Mannampanthal (8.35 kms); (iii) Sembanaarkovil (12.35 kms); (iv) Aakoor (18 kms); (v) Thirukkadaiyur (21.89 kms); Thillaiyadi (25.33 kms); Poraiyaar (28.13 kms); and Tharangambadi (29.35 kms). Important schools, Arts colleges like AVCC and TBML, AVCC Engg. College, Teacher Training Institute, and other professional institutions are functioning in this area. Poor people and people below poverty line, students do not find a transport system in this area which can suit their needs. Tharangambadi is an area full of fishermen and fishing activities. Fishermen do not have proper transport facility for exporting to other countries. Moreover they do not have adequate storage facilities. Livelihood of fishermen is affected. Hindu pilgrim centres like Thirukkadaiyur (DharumapuramAatheenam), Thirunallaru (Saturn) and Nagoor Mosque, Vailankanni temple, Tharangambadi Holy Church, Danish Fort are some of the tourist attractions. If this route is extended by 9 km and connected with Karaikkal, you can get a big rail network in southern Tamil Nadu. Around 30 km long land between Mayiladuthurai and Tharangambadi is already with the Railway Department. Only 9 kilo meter stretch of land between Tharangambadi and Karaikkal has to be acquired. This project can be completed at a cost of Rs.100 Crore. Only when this rail route is extended and connected, people of Tharangambadi can have rail connectivity to go to Chennai for medical treatment and technological benefits. Thank you. Tamil Nadu Government under the able guidance of *Puratchithalaivi* Amma has included Tharangambadi in the

---

[*] English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

list of small ports and development activities are being undertaken. I therefore, urge that already existing metre- gauge railway line should be converted as broad-gauge and rail services should be made functional between Mayiladuthurai and Tharangambadi very soon. Thank you.

HON. SPEAKER: You have mentioned your point about gauge conversion. It has come in the records.

SHRI JITENDRA CHOUDHURY (TRIPURA EAST): Madam Speaker, thank you. I would like to raise one very important issue. There are some Kok-Borok speaking communities who are inhabited in Tripura, Mizoram, Assam and some other States of the North-Eastern region.

These Kok-Borok speaking people are enjoying the Scheduled Tribe status in the State of Tripura, but in Mizoram and Assam, where these communities are living in some districts, only a section of these communities are enjoying the facilities meant for Scheduled Tribes and the rest of them are not given the benefits of Scheduled Tribes due to lack of elaboration. They are being deprived of all kinds of facilities that are extended to the Scheduled Tribes.

So, the Ministry concerned in the Government of India may take the initiative and rectify the Scheduled Tribe list in Assam and Mizoram so that this population, which is about 20,000 in number altogether, may also enjoy the benefits extended to the Scheduled Tribes. Thank you.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं, प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस देश की कैश क्राप गन्ना है। देश का 80 प्रतिशत किसान गांवों में रहता है, चाहे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार हो या अन्य कोई राज्य हो, देश के किसी भी राज्य में कैश क्राप, नगदी फसल यदि कोई है तो वह गन्ना है। 2013-2014 के पिछले पेराई सत्र का गन्ने का जो भुगतान बना था, उसमें 8500 करोड़ रुपये आज भी बाकी है। जिसमें केवल उत्तर प्रदेश का जो गन्ना मूल्य है, उसमें 5304 करोड़ रुपये बाकी है। पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्री, आदरणीय पासवान जी ने एक बैठक राज्य सरकारों और उद्योग जगत के साथ की। उन्होंने 15 दिन के अंदर गन्ना मूल्य के भुगतान के निर्देश दिये। यहां तक कि हाई कोर्ट ने भी गन्ना मूल्य के लिए कहा है कि किसान

अपना गन्ना उधार देता, है, इसलिए सरकार का और चीनी मिलों का दायित्व है कि उनके गन्ना मूल्य का भुगतान हो। चूंकि किसान के पास कोई नगदी फसल नहीं है, किसान की बेटी का विवाह गन्ने की पर्चियों के भुगतान के बाद होता है। अपने बूढ़े बाप के इलाज के लिए किसान अगर मैडिकल कालेज जाता है तो वह उन पर्चियों को गिरवी रखकर या उस पैसे के भुगतान के बाद जाता है, अपने बेटे की फीस या तालीम के लिए भी अगर पैसा भरता है तो किसान के पास केवल गन्ने की आमदनी है। लेकिन आज मुझे यह कहना पड़ रहा है कि देश में किसान की स्थिति इसलिए सबसे ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि उनका पिछले पेराई सत्र का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। इस बार पेराई सत्र में जो चीनी मिलें हैं, वे मिलें चलाने के लिए तैयार नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में 133 चीनी मिलें हैं, 15 अक्टूबर से पेराई सत्र शुरू हो जाता था, आज केवल 80 चीनी मिलें चल रही हैं। अब या तो किसानों को गन्ना खेतों में जलाना पड़ेगा या फिर मजबूरन किसान का खेत खाली नहीं होगा। यह एक विषम परिस्थिति है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर रिस्पांड करे, जबकि 280 रुपये प्रति क्विंटल पिछली बार गन्ने का मूल्य था, इस बार उत्तर प्रदेश में उसे घटाकर 260 प्रति क्विंटल कर दिया गया। इसके बावजूद भी किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि दस परसैन्ट ब्याज दिया जायेगा, अगर 15 दिन के बाद चीनी मिलें नहीं चलेंगी। 1668 करोड़ रुपये उन्हें नगदी ऋण गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए मिला। वह पैसा किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए मिला, लेकिन उन्होंने खर्च दूसरे मदों में कर दिया और इस पर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई उन चीनी मिलों के खिलाफ नहीं हुई। पहले आर.सी. जारी होती थी, अगर किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं होता था तो यह दायित्व होता था कि उन मिल मालिकों के खिलाफ आर.सी. जारी करके उसके स्टाक की चीनी जब्त की जाती थी। उसको बेच कर पैसा दिया जाता था। अगर चीनी मिल मालिकों की नीयत नहीं होती थी तो उन्हें जेल भेजने तक की कार्रवाई होती थी। आज केंद्र सरकार ने 4400 करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त कर्ज दिया है। 40 फीसदी उनका आयात बढ़ाने के लिए दिया है। पैट्रोल में एथनॉल बनाने की भी इजाजत दे दी। केंद्र सरकार ने सहूलियत भी दी है कि राज्य की जो चीनी मिलें हैं, वे गन्ना किसानों का भुगतान कर सकें। यह विषय कोई राजनीति का नहीं है। यह पूरे देश के किसानों का है। सभी राज्यों का है और हम किसानों के बीच से चुन कर आते हैं। अध्यक्ष महोदया, आप भी एक माँ के समान हैं। उन बच्चों से पूछिए, जिनकी फीस नहीं भरी जा रही है। इस गन्ने का भुगतान हो, आप इसका निर्देश करें। हमारे केंद्रीय मंत्री कुछ कहें कि उन्होंने दो बैठकें ली हैं, इसके बावजूद भी राज्य पेमेंट नहीं कर रहा है और मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में कुछ सरकारी मिलों के भुगतान हो गए हैं। निजी क्षेत्रों के भुगतान नहीं हुए हैं। इनका एसोसिएशन है, इंडियन शुगरमिल एसोसिएशन। उसने चेतावनी दे दी है कि हम मिलों को नहीं चलाएंगे। किसान एक तो अपना गन्ना उधार देता है, हम बाजार में जाएं तो

बिना नकद पैसा दिए बाजार से कोई चीज मिलती नहीं है। इनका भुगतान जल्द से जल्द होना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा, श्रीमती रमा देवी, श्री शिवकुमार उदासि, श्री प्रहलाद जोशी, श्री पी.पी.चौधरी, श्री देवजी एम. पटेल, श्री नाना पटोले, श्री शरद त्रिपाठी, श्री केशव प्रसाद मौर्य स्वयं को श्री जगदम्बिका पाल के विषय के साथ संबद्ध करते

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदया, नॉर्थ अंडमान में निश्चिंतपुर-कालीघाट का ब्रिज टूटा हुआ है और बहुत दिनों से मैं मांग कर रहा हूँ, लेकिन ब्रिज नहीं बना। स्टूडेंट्स डूंगी में आते-जाते हैं। आज सुबह-सुबह साढ़े आठ बजे डूंगी पल्टी हो गया। समुद्र में मगर भरा पड़ा है। ब्रिज को तुरंत बनाया जाए। अण्डमान निकोबार द्विप समूह की यह हालत है।

असेंबली हमारा नहीं है। केंद्र में हमारी सरकार है। जिस मुद्दे पर मैं बात करने के लिए खड़ा हूँ, पोर्ट ब्लेयर में एक ही म्यूनिसिपल काउंसिल है। उसमें 1361 डीआरएम मज़दूर काम करते हैं, 8 साल से 17 साल तक। उनको सीएल, बोनस, ग्रैचुटी आदि-आदि नहीं मिलती है। ये काम करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर शहर साफ-सुथरा रहता है। उन मज़दूरों को परमानेंट करने की मांग मैंने 15वीं लोक सभा में उठायी थी, वह कामयाब नहीं हुई। मैं फिर इस संसद में मांग कर रहा हूँ, खास तौर से इन मज़दूरों को परमानेंट करने के लिए मैंने पत्र भी लिखे हैं। दो-दो बार स्ट्राइक हो चुका है। 20 फरवरी 17 नवंबर सन् 2014 को स्ट्राइक हो चुका है। इसके बीच में प्रशासन के मुख्य सचिव ने 17 अप्रैल को मीटिंग बुलाई थी और आश्वासन दिया था कि इन मजदूरों को परमानेंट करेंगे और 25 पर्सेंट सैलरी बढ़ा कर देंगे। आठ महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। म्यूनिसिपल काउंसिल ने इनको परमानेंट करने के लिए 17 सितंबर को रैज्युलेशन पास किया था। प्रशासन को केवल तीस करोड़ रूपये देना है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करूंगा कि म्यूनिसिपल कर्मचारियों को परमानेंट करें, जैसा अंडमान प्रशासन ने किया है। 325 लोगों को होमगार्ड में रैग्युलराइज़ किया है। 495 लोगों को बिजली विभाग में, सप्लाई में, पार्ट टाइम चौधरी, एजीबीएस, शिक्षा विभाग आदि में डीआरएम कर्मचारियों को सुपरएन्युमरी पोस्ट क्रिएट कर के रैग्युलराइज़ किया गया है। मैं मांग करूंगा कि प्रशासन को आदेश दिया जाए कि जो 1361 म्यूनिसिपल काउंसिल डीआरएम मज़दूरों को सुपरएन्युमरी पोस्ट क्रिएट कर के परमानेंट किया जाए।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी है। मैं मिड-डे मील में भोजन तैयार करने के विषय पर बोलना चाहता हूँ। यह स्कीम भारत सरकार की है और उनका इंप्लिमेंटेशन राज्य सरकार करती है। स्कूलों

में जो फूड प्रिपेयर किया जाता है, वह लकड़ियां जला कर बनाया जाता है। उसकी वजह से पॉल्युशन होता है और पेड़ों को काटने का काम होता है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार को सुझाव है कि एलपीजी सिलेंडर मिड-डे मील के लिए देना चाहिए। चूल्हे और सिलेंडर की जो डिपॉजिट है, वह सब भारत सरकार को देना चाहिए और भारत सरकार को ऑयल कंपनियों को निर्देशित करना चाहिए कि उसमें से उसको एग्जंप्शन दिया जाए।   सभी जगह स्कूलों में भोजन बनाने की प्रक्रिया के लिए निःशुल्क सिलेंडर दिये जाने चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री देवजी एम. पटेल और श्री नाना पटोले अपने आपको डॉ. किरिट पी. सोलंकी जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : महोदया, बिहार के मोतिहारी और गया जिले में केन्द्रीय विश्वविद्यालय सरकार द्वारा खोलने की स्वीकृति दी गयी है, जो स्वागतयोग्य है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया में कोई केन्द्रीय स्तर का शिक्षण संस्थान नहीं है। यह इलाका शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। सीमांचल क्षेत्र में दो प्रमण्डल तथा कई जिले आते हैं। इसके मध्य में पूर्णिया प्रमण्डल पड़ता है। यह क्षेत्र आर्थिक एवं सामाजिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के गरीब परिवार के मेधावी छात्र-छात्रायें आर्थिक बदहाली के कारण बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह माँग करता हूँ कि इस बात को सरकार अपने संज्ञान में लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की कृपा करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी, आपका स्टेट से सम्बन्धित मैटर है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदया, यह स्टेट में हो रहा है, लेकिन स्टेट का मैटर नहीं है। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। आपने और सदन ने कमेलों के बारे में सुना होगा, जिसमें पशु कटते हैं। यह मेरठ की बदकिस्मती है कि वहाँ एक स्थान ऐसा है जहाँ अन्य प्रदेशों से चोरी किए गए वाहन काटे जाते हैं और वाहनों के कमेले के नाम से वह स्थान प्रसिद्ध है। राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से वहाँ चोरी के वाहन आते हैं और काट दिए जाते हैं। इन चोरी किए गए वाहनों के द्वारा अपराध होता है। अपराध करने के पश्चात् उनको काट दिया जाता है और इस तरह से प्रमाण भी समाप्त हो जाते हैं। स्थिति यह है कि यह संगठित अपराध के रूप में विकसित होता जा रहा है। पूरा शहर जानता है, आसपास के लोग जानते हैं कि कहाँ पर इस प्रकार कटे हुए वाहनों के पाट्र्स मिल सकते हैं। चोर बाजार नाम से वहाँ पर मार्केट लगती है, लेकिन प्रशासन के लोग कुछ लेकर उन चीजों को देखने से मना कर देते हैं। यह कारोबार

इसी ढंग से चल रहा है। स्थिति यह है कि यदि कोई चोरी की रिपोर्ट करता है तो उसको बाकायदा इतना समय दे दिया जाता है कि वाहन इस कमेले में पहुँच जाए और काट दिया जाए।

मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इसमें सरकार हस्तक्षेप करे, अन्यथा संगठित अपराध के रूप में विकसित होकर यह बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। इसके ऊपर नियंत्रण किया जाना बहुत आवश्यक है। आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) : महोदया, मैं मध्य प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में, जहाँ इस वर्ष किसानों ने धान का बहुत अच्छा उत्पादन किया है, उसके मूल्य के ऊपर मैं अपनी चिन्ता सदन के सामने आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ।

महोदया, किसानों ने दिन-रात मेहनत करके इस वर्ष धान की अच्छी फसल का उत्पादन किया है। दुर्भाग्य से पिछली सरकार की आयात-निर्यात नीति में विसंगति के चलते इस वर्ष धान उत्पादक किसानों को धान का जो मूल्य मिलना चाहिए था, वह उन्हें नहीं मिल रहा है। 1200 से 1400-1500 रूपये प्रति क्विंटल का मूल्य किसानों का मिल रहा है, जो उनकी लागत के हिसाब से बहुत ही कम है। किसान को खाद, दवा, पानी, मजदूरी, डीजल, बिजली आदि चीजों पर पैसा खर्च करना पड़ता है और प्रति एकड़ कम से कम 3,000 रूपये प्रति क्विंटल की लागत किसान की आती है। अब अगर 1200 या 1400 रूपये में किसान अपना उत्पाद बेचेगा तो उसकी लागत भी नहीं निकलेगी और किसान घाटे में चला जाएगा।

मेरा आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में दोबारा से इस पर पुनर्विचार करे। मेरे होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन संसदीय क्षेत्र के साथ-साथ मध्य प्रदेश के अनेक हिस्से, हमारा छत्तीसगढ है, जिसे धान का कटोरा माना जाता है। धान उत्पादक किसान पूरी तरह से धान पर निर्भर है। मेरा आपसे अनुरोध है कि धान का समर्थन मूल्य कम से कम 3800 से 4000 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित होना चाहिए। जिससे किसान की जो 20-22 क्विंटल एकड़ पर उसकी धान निकलती है, उसे अपने उत्पाद का समुचित मूल्य मिल सके।

मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो समर्थन मूल्य अनाज उत्पाद का इस देश में लागू होता है, स्थानीय मंडियों में उस मूल्य के ऊपर माल बेचा जाए, इसकी बाध्यता व्यापारी और प्रशासन पर होनी चाहिए। चूँकि अगर समर्थन मूल्य तीन हजार रूपए है तो माल दो हजार रूपए में बिकता है। यह उचित नहीं है। किसान को उसका लाभ नहीं मिल पाता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि समर्थन मूल्य का पालन हो और हमारे धान के किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदया, मैं इनके साथ असोसिएट करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : जी, आप नाम लिखकर भिजवा दीजिए तो हो जायेगा।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री लखन लाल साहू और श्री सुशील कुमार सिंह अपने आपको श्री उदय प्रताप सिंह जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष जी, मुम्बई और कांडला से राजस्थान-गुजरात को दिल्ली से जोड़ने का एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 है। दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं है, इस कारण मुझे सीकर से वाया रोड दिल्ली आना पड़ता है। ढाई सौ किलोमीटर का सफर है और कोटपुतली से दिल्ली मात्र 130 किलोमीटर है। मुझे दिल्ली आने के लिए छह घंटे का समय लगता है। इस बार मेरे पीछे एक एम्बुलेंस चल रही थी। कोटपुतली से दिल्ली पहुंचने में उस एम्बुलेंस को सात घंटे लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि उस एम्बुलेंस में जो मरीज था, उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी सर्विस रोड हैं या जहां पुलिया बन रही हैं, उनके लिए राजस्थान से पत्थर लेकर ट्रक दिल्ली और हरियाणा में आते हैं। हर रोज कोई न कोई ट्रक पलट जाता है और रास्ता जाम हो जाता है। मैं पहले भी इस विषय को उठा चुका हूं तथा अन्य लोगों ने भी इस विषय को उठाया है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय सड़क मंत्री जी से निवेदन है कि इस सड़क को तुरंत ठीक कराया जाए, क्योंकि, जयपुर, मुम्बई और कांडला से दिल्ली आने का केवल एक ही रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की तुरंत मरम्मत कराई जाए और पुलियों का शीघ्र निर्माण कराया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती संतोष अहलावत, श्री सी.आर. चौधरी और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Madam, this is a request for introducing a direct train between Guntur, the new Capital of Andhra Pradesh and New Delhi. Guntur is the third largest populous city in Andhra Pradesh and it is no exaggeration when I say that this region is identified as a major industrial region in India along the corridor up to Visakhapatnam. It has been identified to establish the new capital to the State of Andhra Pradesh.

From rich cultural heritage in the form of ancient temples such as Amaravathi, Mangalagiri, Vykuntapuram and Ponnur to tourist destinations such as Kotappa Konda, Amaravathi Museum, Nagarjuna Sagar, Vundavalli Caves, Kondaveedu Fort, Suryalanka beach to India's one of the largest universities -

Acharya Nagarjuna University - Guntur has carved its niche in the State of Andhra Pradesh.

Being one of the leading producers of paddy, cotton and chillies, Guntur is a centre for business and commerce, agriculture and industry. The city also hosts one of the largest Asian markets for red chillies. The Tobacco Board is also headquartered in Guntur.

In spite of having these many positive aspects and advantages, unfortunately, Guntur does not have a direct train from the Capital of the country. It is the policy of the Railways to run one direct superfast train between the State Capital and the country's capital. The people and public representatives have been demanding since many years for a direct train between Guntur and New Delhi, but nothing has been done so far. We assure you that it will meet all the commercial parameters of Railways as Guntur has immense tourist, passenger and commercial potential; in fact, it crosses those parameters by leaps and bounds.

In view of the above, I would request you to kindly consider favourably for an exclusive superfast Train between Guntur and New Delhi.

HON. SPEAKER: Shri Santokh Singh Chaudhary – not present.

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Madam, I want to draw the attention of the hon. Minister of Defence towards the problems being faced by the residents of Kandivali and Malad in Mumbai. There is a residential area behind the erstwhile Defence Depot in the aforesaid area. Now-a-days, the aforesaid Depot is not in use. However, there are residential quarters of Defence personnel. The Defence authorities have brought stay orders from the Supreme Court for not constructing high rise buildings. But already there are some high rise buildings with 20 to 28 storeys in existence and the Municipal Corporation of Mumbai has given NoC for that.

Madam Speaker, so many old multi-storeyed buildings are also there which are about 30-35 years old and which need re-development. But because of the stay order of the Supreme Court, it cannot be done.

Any unfortunate incident may happen. The Government has to take steps before any unfortunate incident happens.

This issue was discussed under the Calling Attention. No response has come from the Defence Minister. I would request the Government, through you, Madam, to look into this issue very urgently, which is very important for the residents of Kandivali and Malad.

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : महोदया, आपसे, आपके आसन से सार्वभौम सदन प्रतिपादित होता है। जिन सवालों को आप ने उठाने की इज़ाजत दी है, वह सार्वभौम सदन की आवाज़ होती है। मैं पिछले कई वर्षों से आसन के आदेश से उस सवाल को उठाते आ रहा हूं जिसे कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और बिहार केसरी ने बरौनी रिफाइनरी की स्थापना करके किया था। यह परंपरा है और यह होनी भी चाहिए।

महोदया, जब रिफाइनरी का जन्म होता है तो उसके गर्भ से पेट्रो केमिकल कारखाने का भी जन्म होता है। पचास वर्षों में बरौनी रिफाइनरी अब अपना स्वर्णिम काल मना रहा है, लेकिन इसके गर्भ से एक अंकुर भी प्रतिपादित नहीं हुआ और न ही पौधे निकले। दुर्भाग्य है कि राजनीतिक विडम्बनाओं ने बिहार के साथ, बरौनी के साथ जो खेल खेला है, उसके कारण बिहार पिछड़ेपन का शिकार हुआ है और बरौनी की जनता ठगा-सा महसूस करती है।

महोदया, वहां फर्टिलाइजर प्लांट का भी जन्म हुआ और वह बंद हुआ। पर, वह प्लांट पुनः चालू हो, उस दिशा की ओर आज तक कहीं कोई संकेत नहीं है। पिछले दिनों इसी लोक सभा के सार्वभौम सदन में तत्कालीन मंत्री ने और वर्तमान सरकार के मंत्री जी ने भी सकारात्मक घोषणा की थी। पर, उनकी घोषणा के बाद भी कोई अंकुर, कोई पौधा दिखाई नहीं पड़ता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वर्ष 1984-85 में तत्कालीन सरकार ने बरौनी रिफाइनरी के पेट्रो केमिकल कारखाने की मेसर्स इंजीनियर्स इंडिया के माध्यम से इसकी जांच करायी थी कि बरौनी तेलशोधक कारखाने से पेट्रो केमिकल कारखाने की कितनी यूनिट लग सकतीं हैं। मेसर्स इंजीनियर्स इंडिया ने जांच करके बताया कि उसमें से आठ ऐरोमैटिक कारखाने खुल सकते हैं। पर, वहां किसान आज भी ऊहापोह की स्थिति में हैं। खाद महंगा है।

माननीय अध्यक्ष : आपने अपने विषय को रख दिया है। अब अपना भाषण समाप्त करें।

डॉ. भोला सिंह : महोदया, हम आपके सार्वभौम सदन के माध्यम से वर्तमान सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जो वहां ऊहापोह की स्थिति है, जो हमारे साथ विडम्बना का व्यवहार हुआ है, उसे दूर कर बिहार के

पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, बरौनी रिफाइनरी की पेट्रो केमिकल कारखाने को जन्म देने के लिए और उसे लागू करने के लिए कठोरतम कार्रवाई करें। इस ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. भोला सिंह द्वारा उठाए गए विषय से श्री एस.एस.अहलुवालिया, श्रीमती रमा देवी और श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल स्वयं को सम्बद्ध करते हैं।

*SHRIMATI P.K.SREEMATHI TEACHER (KANNUR): Madam Speaker, a very shocking and shameful incident took place in the Bilaspur district of Chattisgarh.

Madam, please think a while, as to what value we have for the life and well being of the women in our country.

A private hospital, subjected 82 women, most of when were below 32 years of age to a sterilization operation. The operation was carried out within 5 hours.

15 women died, and the health of the remaining women has been seriously affected. Has sterilization become a business venture in our country?

Infact, when the Government is conducting such a camp, why were the women taken to a private hospital instead of a government hospital? Please think whether the whole exercise was done with some vested economic interest.

It would be proper, if an enquiry is done to find out whether the private hospital wanted to pocket a share of the incentive amount which the women undergoing sterilization were expected to get.

HON. SPEAKER : There is a judicial inquiry going on.

SHRIMATI P.K.SREEMATHI TEACHER: I am submitting the actual points. All over India, there is a practice of subjecting only women to sterilization. Chattisgarh is only one example. Every where, all over India it happens. Therefore, the action should not be limited to a mere suspension. Such negligence is criminal and hence punishable.The women did not die, it was a murder.

HON. SPEAKER : About that, inquiry is going on. You come to your subject.

* English translation of the Speech originally delivered in Malayalam.

[*]SHRIMATI P.K.SREEMATHI TEACHER : I am coming to that point. Madam, please give me two minutes. In various states, including our state Kerala also, women are subjected to sterilisation.

In earlier times, men too would undergo sterilisation. Now, the mind set has changed. So the poor women are made scape goats.

So, regarding the women, we should ensure that sterilisation is done in healthy environment, without harming or affecting their health.

Without ensuring these, no sterilisation camp should be held. The Health Minister should take a decision that sterilisation should be performed only in government hospital, where the poor women can avail this facility.

Madam, can we take adequate steps? So that such tragic incidents do not occur in the future. Madam, this is the question I want to ask the Government, through you.

[*] English translation of the speech originally delivered in Malayalam.

HON. SPEAKER: Shri M.B. Rajesh, Shri P.K. Biju and Adv. Joice George are allowed to associate with the matter raised by Shrimati P.K. Shreemathi Teacher.

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): The issue that I would like to invite the attention of the Government of India, through you, Madam Speaker, is also related to health. I was on the queue. I am the next speaker to Shrimati Shreemathi Teacher who was previously a Minister of Health in the State of Kerala.

What we now experience in this nation is some kind of fanaticism in the health sector. I may be permitted to use such a word. Why I say so is, now-a-days we are experiencing a very severe shortage of anti-rabies serum. Anti-rabies vaccine can be administered if the dog bit is only skin deep. But if the bite is of very grievous nature, then quite naturally the doctor should give at the earliest the anti-rabies serum. If the bite is on the head or on the neck or on the abdomen, quite naturally, people will be running to get the anti-rabies serum at whatever cost that they can fetch. In many States, including Kerala, we are in short supply of anti-rabies serum.

Madam Speaker, anyway I am quite sure--and you will also agree with me in this matter--that our nation is one where the largest number of people are dying because of dog bite. There are people who are there to save the lives of the street dogs but there are no people to save the lives of the poor people. The anti-rabies serum is very expensive. So, I would like to invite the attention of the Chair and also the Government of India to a Report submitted in August, 2013 by the Standing Committee on Health and Family Welfare.

13.00 hrs.

This is a very serious report. If you permit, this House should discuss it later. The Report is 'Alleged Irregularities in the Conduct of Studies using Human Papillomavirus (HPV) Vaccine in India'. It is being used by certain agencies.

Hon. Speaker, in the experiments that had been conducted on human beings since 2005 upto 2012, a number of 2,644 people had died and most of them were women and girls. The experiments are conduced on women and girls. They are bitten like guinea pigs.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please raise your point.

… (*Interruptions*)

DR. A. SAMPATH : It is a serious matter. It does not have any political colour or any communal colour. This is regarding the health of our own people. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please come to the point. In 'Zero Hour' only one or two minutes are available for each Member. Nobody is objecting to what you are saying.

DR. A. SAMPATH : Madam, just give me one minute. I am very much thankful to you for giving me this opportunity to speak on this matter in this House today. I am a bit lucky that I got selected in the slot also.

My request is that on the one side the experiments being conducted upon people should be thoroughly scrutinized. It is only after the thorough securitization by the concerned authorities should that happen. Then, on the other side, life saving drugs like Anti-Rabies Serum should be provided free of cost through the Community Health Centres in all the States and the Union Territories throughout the nation. Thank you, Madam.

HON. SPEAKER: S/Shri M.B. Rajesh, P.K. Biju and Adv. Joice George are permitted to associate with the issue raised by Dr. A. Sampath.

श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल) : अध्यक्ष महोदया, मेरा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली-सहारनपुर राज्य मार्ग देश की राजधानी को जोड़ता है। उसकी हालत अत्यन्त खराब है। ए.सी.डब्ल्यू. नामक कम्पनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। उस कम्पनी के कॉन्ट्रैक्ट का समय भी खत्म हो गया है, लेकिन आज तक न तो उसने उस रोड को रिपेयर किया है और न ही उस पर कोई काम किया है। हमारे माननीय मंत्री जी बहुत ही इनोवेटिव तरीके से रोड्स के लिए काम कर रहे हैं। वे हजारों करोड़ रुपए बचा चुके हैं।

आपके माध्यम से भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि उनका जो पी.पी.पी. मॉडल है, उस प्रोजैक्ट को खत्म कर, इसको राष्ट्रीय महामार्ग घोषित किया जाए। जब एन.डी.ए. की सरकार थी, उस समय भी मंत्रालय में एक नोट तैयार हुआ था, वह अप्रूव हुआ था लेकिन उसका काम नहीं हुआ। धन्यवाद।

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): महोदया, मैं सदन में एक राष्ट्रीय महत्व का विषय उठाना चाहता हूं। आज से करीब 10 साल पहले पाकिस्तान ने गिलगित और बाल्टिस्तान रीजन का एक एग्रीमेन्ट चाइना के साथ किया था। उस वक्त यह विषय उठा था कि यह पाकिस्तान की भूमि है तो भारत ने उसका प्रतिवाद किया और अंततः चाइना ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टैरिटोरियल डिसप्यूट है, हम उसमें नहीं पड़ेंगे, किन्तु दुर्भागय की बात है कि कल चाइना की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने पाकिस्तान आक्यूपाइइड कश्मीर को पाकिस्तान के रूप में दिखाया है। उसने सिर्फ यही नहीं दिखाया है बल्कि खुंजराब पास on the China side to Pakistan Border, जिसे हम अपने मैप में पाक अक्यूपाइड कश्मीर के एरिया को लाइन ऑफ कंट्रोल दिखाते हैं, वहां पर वे पाक आक्यूपाइड कश्मीर के उस एरिया को लाइन ऑफ कंट्रोल के बदले इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में दिखा रहे हैं। न केवल यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, बल्कि हमारी अस्मिता, अस्तित्व और हमारे देश की जो मांग है, उस पर यह बहुत बड़ा धक्का है।

आपके माध्यम से मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार को तुरंत इसका नोटिस लेना चाहिए और चाइना के एम्बैसडर को बुला कर बताना चाहिए कि जो मैप कल उन्होंने रिलीज़ किया है उसे वे विथड्रा करें। उसे विदड्रा करके लाइन ऑफ कंट्रोल का जो ओरिजनल मैप है, वर्ल्डवाइड रिकगनाइज़्ड है, युनाइटेड नेशंस द्वारा रिकगनाइज़्ड है, उसे रिलीज़ करे और आगे से ऐसी कोई भी धृष्टता न करें जिससे हमारी अस्मिता और राष्ट्रीयता पर आक्षेप हो।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्रीमती मीनाक्षी लेखी और कुमारी शोभा कारान्दलाजे को श्री एस.एस.अहलुवालिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Madam, the Chinese President had gone to Gujarat. वहां उन्होंने ढोकला खाया होगा।...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में बहुत ही महत्वपूर्ण मामला लाना चाहता हूं। आनंदपुर साहिब से अमृतसर के लिए नई रेलगाड़ी चलाने की मांग है। चंडीगढ़ से लुधियाना के लिए वाया न्यू मरिंडा रेल लाइन बनी है। आनंदपुर साहिब की रेल लाइन न्यू मरिंडा से जुड़ जाती है। आप जानती हैं कि आनंदपुर साहिब की 350वीं सालगिरह मनाई जा रही है और देश-दुनिया भर के लोग, संत महापुरुष हजारों की संख्या में वहां आते हैं। आपके क्षेत्र के लोग भी वहां जाते हैं। रास्ते में सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। वहां के लिए रेलगाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। आप इस देश में आनंदपुर साहिब का महत्व जानती हैं। आज देश एक, संस्कृति एक, देश एक, बसावट एक, देश एक धर्म अनेक, यह जो बन सका है, यह गुरु तेगबहादुर साहब के बलिदान के कारण है। मैंने आपसे मिलकर भी कहा था कि गुरु तेगबहादुर साहब का बलिदान दिवस देश में फ्रीडम ऑफ वरशिप के नाम पर मनाया जाए। इस दिन सारे देश में छुट्टी हो, समागम हो। यहां कोई स्मारक बनना चाहिए जिससे आने वाली जनरेशंस गुरु तेगबहादुर साहब के संदेश - भाई काहूं को देत नहन, नहन भाई मानत आन।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप दोनों बातें एकत्रित मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : गुरु तेगबहादुर साहब को इस बात का गौरव है कि इस देश में अगर धर्म बचा है, धर्म की पूजा बची है तो उनके बलिदान के कारण बची है।...(व्यवधान) उन्होंने कहा है -तिलक जंजु राखा प्रभ ताका।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई है। प्लीज़, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

....(व्यवधान)*

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) : माननीय अध्यक्षा जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में धान के क्रय केन्द्रों पर खरीद नहीं हो रही है। राइस मिल मालिकों व आढ़तियों द्वारा इन क्रय केन्द्रों से मिलकर धान की खरीद-फरोख्त में बड़ी कीमत पर हेराफेरी की जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को अपने धान का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों द्वारा लाए गए धान को क्रय केन्द्रों पर आढ़तियों द्वारा खराब व गीला बताकर वापिस किया

* Not recorded.

जा रहा है जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। राइस मिलों व आढ़तियों द्वारा कुछ धान क्रय केन्द्रों पर आपसी सहमति द्वारा अलग-अलग लोगों के नाम से चैक द्वारा पेमेंट कर दी जाती है।

अत: मेरा आपसे सादर अनुरोध है कि किसानों की आर्थिक रूप से दयनीय अवस्था को देखते हुए भुगतान किए गए चैकों के धारक एवं क्रय केन्द्रों की जांच करवाने की कृपा करें।

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पैंशनधारियों में बीपीएल की अनिवार्यता समाप्त करने तथा पैंशन राशि बढ़ाए जाने का मामला सदन के सामने रखने की अनुमति चाहता हूं।

भारत सरकार राज्य सरकारों की सहायता से वृद्धा सामाजिक सुरक्षा पैंशन, निशक्त जनों, विकलांगों और विधवा पैंशन की योजना चलाई जा रही है जिसमें हितग्राहियों में बीपीएल में नाम होने की अनिवार्यता इसमें तय कर दी गई है। मैं समझता हूं कि इससे पूरे देश भर में बहुत बड़ी संख्या में पैंशनधारी वंचित हो रहे हैं। इसलिए बीपीएल की अनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए।

दूसरे, आज महंगाई के युग में पैंशनधारियों को जो पैंशन राशि दी जा रही है, वह बहुत कम है। उस राशि को भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। तीसरे, इसमें पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से पैंशन राशि का जो वितरण हो रहा है, पोस्ट ऑफिसों में इतनी मैन पावर नहीं है, इतनी तकनीकी सुविधा भी नहीं है। इस कारण तीन-तीन, चार-चार महीने तक पैंशनधारियों को पैंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस पर भी कोई कारगर कार्यवाही करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि पैंशनधारियों की राशि बढ़ाई जाए और बीपीएल की अनिवार्यता को भी समाप्त किया जाए।

श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा) : अध्यक्ष महोदया, मैं धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मेरा विषय गोकुल बैराज के बारे में है। यह ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों के साथ हमेशा से अत्याचार होता आ रहा है। उनकी बहुत सी समस्याओं के साथ एक और समस्या मथुरा के गोकुल बैराज सी है। 16 साल पहले सरकार ने किसानों से जमीन ली थी और कहा था कि उन्हें कम्पैंसेशन मिलेगा। लेकिन 16 साल में पर्याप्त मुआवजा न मिलने के कारण किसान लोग बहुत परेशान हैं और वे लोग पिछले एक महीने से मथुरा में आंदोलन कर रहे हैं, मैं भी आंदोलन में गई थी, वे बहुत ही परेशान हैं। मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से प्रार्थना करती हूं कि उनके ऊपर कृपा की दृष्टि दें और उन्हें जो मुआवजा मिलनी चाहिए, वह उनको मिले।

श्री प्रकाश ब. हुक्केरी (चिक्कोडी) : महोदया, कर्नाटक के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट से एक टाइगर भागकर एक महिला और तीन प्राणियों को खा गया। उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर और वहां के ग्रामवासी

टाइगर को पकड़ कर फॉरेस्ट ऑफिसर के हवाले कर दिया। बाद में, फॉरेस्ट ऑफिसर उस टाइगर को बेलगाम डिस्ट्रीक्ट के खानापुर के फॉरेस्ट में छोड़ दिया। यह बड़ी अजीब बात है। भीमगढ़ फॉरेस्ट के खानापुर ताल्लुका में 10-12 विलेज आता है, तलवाड़े, गवली, देवगांव, पाली, ऐसे बहुत सारे विलेज आते हैं। वहां के लोग इतने घबराए हुए हैं कि वे बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। वे घर में बैठे हैं, कब टाइगर बाहर आ जाए। हमने एम.एल.ए. के साथ मिलकर मिनिस्टर को जाकर रिक्वेस्ट किया है मगर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उस टाइगर को वहां से हटाया जाए, वह बड़ा फॉरेस्ट नहीं है, बल्कि छोटा फॉरेस्ट है। आप कर्नाटक और महाराष्ट्र का सब एरिया जानते हैं इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि उस टाइगर को इम्मीडिएटली हटाकर बड़े जंगल में छोड़ना चाहिए। मैं कर्नाटक असेंबली से छह बार चुना गया हूं। उधर अगर जीरो ऑवर में कोई मुद्दा उठाते हैं, इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाते हैं तो मिनिस्टर उसका जवाब देते हैं, इधर क्यों नहीं देते हैं? इधर लेड हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष : 377 में जवाब मिलता है।

श्री हरिनरायन राजभर (घोसी) : मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी से जानना चाहत हूं कि वर्ष 1931 की जनगणना में अछूत और डिफरेंट जातियों की गणना गई थी, उस सूची में सूचीबद्ध क्रमांक 7 में अंकित जाति, सन 1936 में जारी अनुसूचित जाति की पहली सूची से बाहर कर दिया गया, जबकि उस सूची में स्थित अछूत जातियां क्रमांक एक पर अहेरिया, दो पर बदक, तीन पर बहेरिया, पांच पर बनवार, छह पर बेड़िया और सात पर भरथी है। मान्यवर, उनको क्यों हटा दिया गया, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है।

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर) : महोदया, आपने मुझे अपने क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा लोक सभा क्षेत्र बुलंदशहर दिल्ली से मात्र 75 किलोमीटर दूर स्थित है और दिल्ली एन.सी.आर का हिस्सा भी है, लेकिन जितना नजदीक बुलंदशहर दिल्ली से है, उतना ही बुलंदशहर शिक्षा और विकास में पिछड़ा हुआ है। बुलंदशहर में हजारों छात्र आज भी अच्छे विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में एडमीशन पाने से वंचित रह जाते हैं। उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, वे अशिक्षित रह जाते हैं।

मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार द्वारा जो विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है, उसमें बुलंदशहर के लिए भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने की अनुमति दें, इससे आसपास के लगे हुए जिलों को भी लाभ मिलेगा। इससे दिल्ली और एन.सी.आर में जो विश्वविद्यालय हैं, मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, उस पर लोड भी कम होगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश में बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, जैसे पल्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पल्स हरियाणा, जिया न्यूज, 4 रियल न्यूज, आजाद न्यूज, जी. एन.एन आदि को बंद कर दिया गया है। जब चैनल खुलता है तो उसमें 3 करोड़ रुपये की राशि मिलती है, लेकिन जिन चैनल्स का मैंने नाम लिया है, उन्हें बंद करने से पहले किसी को नहीं बताया गया। अभी तीन चैनल्स ऐसे हैं, जैसे श्री न्यूज में सौ लोगों की छंटनी हो गयी, भास्कर न्यूज में तीन महीने से सैलरी नहीं मिली और सहारा चैनल की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है।

मैं समझता हूं कि लगभग 4 हजार ऐसे श्रमिक, जिन्हें मैं बौद्धिक श्रमिक मानता हू, उनमें कोई पत्रकार के रूप में जिले में रिपोर्टिंग कर रहा है तो कोई वीडियोग्राफी कर रहा है। ऐसे लोगों का जीवन अब पूरी तरह से संकटग्रस्त है, लेकिन इसके लिए कहीं कोई कानून नहीं है। दो कुल संस्थाएं हैं, जो काम करती हैं--न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसियेशन और ब्राडकास्टर्स एडीटर एसोसियेशन, जो संपादकों की है, लेकिन उनके द्वारा इसमें कभी कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये दुनिया की न्यूज बताते हैं। ये नौ चैनल्स बंद कर दिये गये हैं, लेकिन अभी तक सरकार के पास कोई कानून नहीं है। जो जर्नलिस्ट के फोरम्स हैं, उन्होंने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये सारे के सारे परिवार तबाही की स्थिति में हैं। उनकी कोई ट्रेड यूनियन भी नहीं है, इसलिए उनकी लड़ाई लड़ने की भी कोई स्थिति नहीं है।

मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसमें जो पैसा लगा है, वह चिट फंड का पैसा लगा है या कुछ ऐसे व्यक्तियों का लगा है, जो जांच का विषय है, इसलिए मुझे

लगता है कि इसे गंभीरता से लेना चाहिए। चिट फंड वाली कम्पनियां चैनल खोलती हैं, इतने परिवारों को तबाह कर देती हैं और चैनल बंद करने से पहले कोई नोटिस या जानकारी नहीं देती।

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इन परिवारों को संरक्षण मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): Madam, today, I am raising an important issue on salt. It is very sad that every Indian is deprived today of the simplest basic need, that is salt. It is an ingredient which we need every day in our daily food.

For centuries, the general population has used the rock and crystal sea salt for their healthy food. Today, we are getting only Iodized salt. The salt which is available for consumption is Iodized salt. The logic used by the promoters of Iodine in our diet is that some areas in India fall under the Goitre Belt.

Madam, Goitre is a problem which may be caused in some people due to deficiency of thyroid hormones. Majority of the population do not have hypo-thyroidism. Providing compulsorily Iodine in the chemical form in our daily food creates imbalance in our human body. The endocrine system of the entire population is being mercilessly destroyed by making every individual to consume Iodine. It is not understood why Iodine is given for every individual when it is not required. It should be added in the diet of only those persons who are sick and who need iodine.

Each day, our body has to work extra to deal with this chemical to flush it out of the body. The entire body and the kidneys are put to task. The side effect of excess iodine on the psychological and physical health of the general population is being deliberately ignored.

Why the consumer is not being given the choice to use non-iodized salt? Through you Madam, I am urging the Union Government to remove ban on non-iodized salt and give the Iodized salt who are in need of it.

This is an important issue for the Indian population.

HON. SPEAKER: Shri Tathagata Satpathy, Shri S.S. Ahluwalia and Shrimati Kirron Kher are permitted to associate with the matter raised by Kumari Shoba Karandlaje.

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Tamil is known as one of the oldest surviving language. "Tholgappium" and Sangam are the oldest literature which belongs to Tamil. Tamil is the first Indian language which was declared as classical language by the Government of India in 2004 during the period of our beloved Amma as Chief Minister of Tamil Nadu. The UNESCO memory of the World register in 1997 and 2005 were written in Tamil. One of the official Russian buildings Kremlin Palace displayed its name in Tamil. It is not only in Tamil Nadu but also in Puducherry and Andaman and Nicobar Islands, the respective Governments have recognised Tamil as the official language. With such a proud history, as guided by our beloved Puratchi Thalaivi Amma, we the people of Tamil Nadu, and on behalf of the Tamil speaking people in Puducherry and Andaman and Nicobar Islands, would request the Central Government to take action to enable the use of Tamil language in High Courts of Tamil Nadu, Puducherry and Andaman and Nicobar Islands.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं। यहां की विषम परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज दिया था। लेकिन क्रियात्मक एजेंसी न होने से किसी विशेष की जिम्मेदारी ने होने से करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। चार जिले, जो उत्तर प्रदेश में आते हैं, वहां 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घपला हुआ है।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि सरकार इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाए और भ्रष्टाचारियों को दंडित करे। उन्होंने जो धन लोगों का बर्बाद किया है, उसे वसूल करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश में गांव से लेकर महानगरों तक बड़ी संख्या में ऐसी बहनें हैं जो नियती की दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना का शिकार होकर असामयिक समय में वैधव्य का जीवन जीने के लिए

मजबूर हो जाती हैं। इनके लिए गांव में स्थितियां बहुत संकटपूर्ण होती हैं। गांव में गरीब मां-बाप बेटी का विवाह करने के बाद जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ ससुराल पक्ष के लोग बेटे के निधन के बाद बहू की जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुंह मोड़ लेते हैं। इनको तरह-तरह के शब्दों से भावनात्मक चोट पहुंचाई जाती है। देश के विशेषज्ञों के अनुसार लगभग 12 प्रतिशत यानी 14 से 15 करोड़ महिलाएं वैधव्य का जीवन जीने के लिए मजबूर हो रही हैं। इस दिशा में राज्य सरकारों द्वार पेंशन में बीपीएल की अनिवार्यता कर दी गई है। कुछ एनजीओ इस दिशा में काम कर रहे हैं लेकिन उनके द्वारा किए जाने वाले काम बहुत अपर्याप्त हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि समाज में ऐसी विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं के संरक्षण, कल्याण और गुजारे के लिए पुनर्वास पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के लिए तत्काल व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिस तरह से कामकाजी, नौकरीपेशा महिलाओं के लिए होस्टल की सुविधाएं की जाती हैं, इसी तरह विधवा महिलाओं के लिए भी आवास गृहों की व्यवस्था करने के साथ रोजगारोन्मुख शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए ताकि वे समाज में सम्मानजनक और आत्मनिर्भरता का जीवन जी सकें। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Shri Badruddin Ajmalji, what is your subject? I do not understand what it is.

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। असम में इस वक्त बॉर्डर लैंड बाउंड्री मामला बहुत हॉट इश्यू है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि चीन की तरफ से है। मेरा कहना है कि बांग्लादेश की तरफ से भी है। इससे पहले वाली मिनिस्ट्री ने बांग्लादेश को असम की बहुत जमीन दे दी थी। हमें मोदी जी के आने से बहुत उम्मीद हुई थी। उन्होंने इलैक्शन से पहले बहुत सख्ती से कहा था कि हम एक टुकड़ा भी माटी नहीं देंगे। लेकिन 29 और 30 तारीख को जब मोदी जी वहां गए और ऐलान किया कि हम देंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले समझ लें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरे ख्याल से यह बेहतर होगा कि पहले इसे समझ लें फिर इश्यू उठाएं।

...(व्यवधान)

श्री बदरुद्दीन अजमल : हमारी पार्टी इसकी मुखालिफ़्त करती है। हमारी एक इंच भी माटी नहीं जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: श्री अजमल बदरुद्दीन, श्री सिराजुद्दीन अजमल, श्री राधेश्याम बिश्वास को श्री बदरुद्दीन अजमल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड (भोंगीर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो मुद्दा उठा रहा हूं वह सारे सदन की समस्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सांसद आदर्श ग्रामीण योजना डिक्लेयर की है। हम इसका स्वागत करते हैं। यंग और पहली बार चुने सदस्यों ने अपने गांव चुन लिए हैं। इसमें समस्या यह है कि हमें जो गाईडलाइन्स इन्टरनैट से मिली हैं, उसमें ह्यूमेन डेवलपमेंट, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट है। That is the theory part of it. The problem is that we have two types of MPs. One of them is of celebrity MPs and of those who are in power and the other is of regular MPs. Whenever a celebrity MP is involved in a project, it attracts a lot of attention. That is fine. The companies also try and come forward with their CSR funds and invest some money. Because they are celebrities, they are able to manage it.

We want that this Model Village programme announced by Modiji should really become a model programme and should not be confined to statements. I, therefore, request the Government that a Nodal Officer be appointed for this programme so that he can coordinate with all the Departments which can help make this programme really successful. I hope the Government of India will take note of this suggestion.

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2:30 p.m.

<u>13.26 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

<u>14.33 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Thirty Three Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we shall take up Matters under Rule 377.

Shri Harish Chandra Meena.

(i)Need to check prevalence of Silicosis and Tuberculosis Among labourers engaged in quarrying of stone in Rajasthan and take immediate measure for treatment of Afflicted persons

SHRI HARISH MEENA (DAUSA): I wish to draw the attention of the Government towards the miserable working condition of labourers engaged in different stone mining Industries of the country, particularly in Rajasthan. It has been found that no safety/precautionary measures are taken in most of the mining centres. The recent report by the National Institute of Miners' Health (NIMH) conducted at Karauli District of Rajasthan stated that 23.2% of mine labourers are suffering from respiratory problems and out of them 78% are found affected with serious disease like Silicosis and others from Tuberculosis (TB). Silicosis is a dangerous disease, which causes loss in weight and leads to death, if not properly treated on time. The same situation prevails in other districts of Rajasthan. It is well known that mining is main source of livelihood in many districts of Rajasthan and a large numbers of families are dependent on it. There are more than 30 lakh people engaged in mining industries in Rajasthan. There is a constant increase in the number of people affected with these diseases. Condition of workers' family is miserable; women and small children are forced to work in the same condition in mining industry for the survival of their family. Some villages are left with only

widows and small children only. Although Government aid is provided to patients affected with Silicosis, but as per Government regulation this should be certified by Pneumoconiosis Board of medical college. Due to delay on the part of Board, many patients lose their life without proper treatment.

I, therefore, urge upon the Government to intervene immediately in the matter to provide early treatment to the affected persons & also provide financial assistance to their families and conduct a comprehensive study involving all persons engaged in stone mining to determine prevalence of silicosis in the area. There is also a need to train local doctors in diagnosis of silicosis as a large numbers of cases are wrongly diagnosed as cases of Tuberculosis. The mine owners and labourers also need to be educated and made aware of health hazards of stone dust and preventive measures required to be taken at the earliest.

(ii) **Need to fix the responsibility for misappropriation of funds allocated under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Assam**

SHRI RAJEN GOHAIN (NOWGONG): Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme is directly related with the poorest of the poor. Corruption in such a scheme means taking away food from the mouth of the poorest of the country. Due to negligence of the Government, a scam of Rs. 4060 crores was detected in Assam alone from 2007 to 2012 as disclosed by CAG. The Gram Rozgar Sevaks appointed on an ad hoc basis are made scapegoat in the entire process of corruption. Hundreds of cases have been filed in the matter but nothing has been done either to nab the culprits or to stop the misuse of public money. Feeling guilty, one Gram Rozgar Sevak took the extreme path of committing suicide. I, therefore, urge the Union Government to take suitable action on the issue.

(iii) Need to run Jodhpur-Delhi Express (Train No. 22481) on daily basis and extend it upto Haridwar in Uttarakhand

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : उपाध्यक्ष जी, राजस्थान के मारवाड़ एवं शेखावटी अंचल को दिल्ली एवं देश के अन्य भागों से जोड़ने के लिए जोधपुर-दिल्ली मेल गाड़ी नं. 22481 वाया मेड़ता रोड, डीडवाना, रतनगढ़, चुरू एवं रेवाड़ी चलती है। यह मेरे लोक सभा क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गाड़ी है। इस क्षेत्र ने भारत के बड़े-बड़े व्यापारिक घराने एवं देश की रक्षा के लिए जांबाज सैनिक दिए हैं। हर गांव में सैंकड़ों की संख्या में सैनिक एवं कस्बे के व्यापारी भारत के कोने-कोने में फैले हुए हैं। इन लोगों को अपने गंतव्य स्थानों पर आने जाने का एकमात्र उचित साधन यह मेल रेलगाड़ी है।

उक्त जोधपुर-दिल्ली मेल आमान परिवर्तन से पूर्व सप्ताह में सभी सातों दिन चलती थी। राजस्व की दृष्टि से यह बहुत ही लाभकारी गाड़ी मानी जाती थी। आमान परिवर्तन के बाद इस ट्रेन को सप्ताह में केवल दो दिन ही चलाया जाता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस ट्रेन को सातों दिन चलाया जाए। उक्त ट्रेन दिन में दिल्ली में ही खड़ी रहती है, इसलिए इसको हरिद्वार तक बढ़ा दिया जाए। इस क्षेत्र के लोगों के लिए हरिद्वार का सीधा साधन हो जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री ए.टी.नाना पाटिल - उपस्थित नहीं।

(iv) Need to control import of rubber in the country

KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): The price of local natural rubber fell below Rs. 130 a kg. for the first time since 2009. There is panic in Karnataka, Tamil Nadu and Kerala's growing areas as the price is likely to fall further. In most small and medium-sized plantations, tapping is not taking place, as wages and other expenses are much higher than returns, according to growers. The persistent fall in the price of natural rubber has caused concern among rubber farmers. The local market is facing a slump in demand. Imports are much higher in the current financial year. This is for the first time, the import has crossed 100,000 tonnes in four months.

In view of the above, I appeal to the Government, through this august House, to take immediate steps to control import of rubber and if immediate steps are not taken to curtail the unrestricted inflow of imports, the Natural Rubber plantations which support over a million growers and half a million workers directly will face serious financial crisis.

(v) Need to take suitable steps to rejuvenate Mithi River in Mumbai, Maharashtra

SHRIMATI POONAM MAHAJAN (NORTH CENTRAL MUMBAI): The Mithi River is an essential part of Mumbai as it covers over 16% of the city's area. Once a vibrant reminder of Mumbai's natural beauty, this river has been reduced to a sewer. Pollutants, encroachments of riverbank, dumping of harmful chemicals and construction debris led to the river's flooding in July, 2005 and it caused havoc in the city. The degradation of the Mithi river is also affecting the mangrove forests of Mumbai. While both the local and State Government authorities have taken up works to rejuvenate Mithi, the same has been painfully delayed and there is a lack of coordination among all the concerned authorities. I, therefore, request the Government to take immediate cognizance of this issue and ensure that corrective steps are taken to arrest pollution of Mithi river.

(vi) Need to provide adequate financial assistance to victims of Endosulfan in Dakshina Kannada, Uttara Kannada and Udupi districts of Karnataka

SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA): There are over 6,200 victims of endosulfan use in the three coastal districts of Dakshina Kannada, Uttara Kannada and Udupi in Karnataka.

The Karnataka high court has directed the state government to pay interim relief to the 6,140 victims of endosulfan use in the three coastal districts of Karnataka. The court has also directed the state government to pay the interim relief to the victims, whose deformity is assessed to be 25%-60% and Rs 3,000 per month to those where deformity is more than 60% per month from March 1 onwards. However, the State Government has released only Rs. 20 crore as compensation to 6,200 endosulfan victims in the state. It is a very meagre amount and does not meet any requirement of the victims It needs at least Rs. 500-600 crores to deal with the endosulfan victims.

Therefore, I urge upon the Union Government to consider the plight of Endosulfan victims in the state on humanitarian ground and come forward to extend financial assistance to the endosulfan victims of Dakshina Kannada Uttara Kannada and Udupi district.

(vii) Need to convert Indara-Dohrighat railway line in Uttar Pradesh into broadgauge line

श्री हरिनरायन राजभर (घोसी) : उपाध्यक्ष जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इन्दारा से दोहरीघाट की रेल लाइन को बड़ी लाइन बनाने की मैं मांग करता हूं। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: As regards Matters under Rule 377, only the approved text would go on record. This is not 'zero hour'. Nothing would go on record.

(Interruptions) ...[*]

(viii) Need to increase the share of grants to State Governments for education in accordance with the recommendations of the 13th Finance Commission.

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): Sir, I would like to draw your attention to the 13th Finance Commission Award. In order to satisfy the requirement of the Right to Education Act to provide quality education to the children between the age group of 6 to 14 years, for the awards between 2010-11 and 2014-15, the Central Government has decided to take 65 per cent of he grants provided by the Finance Commission, and the remaining 35 per cent of funds were allocated to State Governments with the condition that the State Government shall invest 8 per cent additional expenditure now. The share of funds allocation 65:35 is quite contradictory of the intention of the 13th Finance Commission.

Sir, it is my humble request that the 13th Finance Commission award be considered as a 100 per cent State share and the condition of 8 per cent additional expenditure now a burden on the State is to be cancelled.

---

[*] Not recorded.

(ix) Need to enhance the amount of rent for agricultural land used for laying crude oil pipelines in Sanchore in Jalore Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र स्थित सांचौर में केयर्न इण्डिया द्वारा वार्षिक एक बीघा जमीन पर 15 हजार रुपये किराया दिया जाता है जो वहां के किसानों के लिए बहुत ही कम है। बाड़मेर जिला में भी प्रत्येक बीघा 15 हजार रुपये किराया है। बाड़मेर जिला में किसान एक साल में एक ही फसल लेते हैं, जबकि सांचौर के किसान रबी और खरीफ की दो फसल उपजाते हैं। इसलिए यहां के किसानों के खेतों से कच्चे तेल की पाइप लाइन निकालने से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अतः सांचौर में किसानों के खेतों का किराया 30 हजार से 50 हजार रुपये किया जाना अति आवश्यक है।

केयर्न बनर्जी द्वारा किसानों से वर्ष 2003 में जमीन किराये पर ली गयी थी। पाइपलाइन बिछाने का कार्य लगभग एक साल से ऊपर चलता रहा। जिन खेतों से पाइप लाइन निकाली गयी वहां और आस-पास फसल नहीं बोने दी गयी, जिसके कारण किसानों को खरीफ एवं रबी की फसलों से वंचित रहना पड़ा। इन खेतों को कम्पनी द्वारा समतल नहीं किया गया, जिससे किसानों को अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने में अनेक वर्ष लग गए। कम्पनी द्वारा सड़क के किनारे की जमीन को लीज पर लिया गया है जिससे अनेक जगहों पर अंदर के खेतों पर जाने का रास्ता कम्पनी द्वारा नहीं देने के कारण किसानों को अपने खेतों पर जाने में असुविधा होती है। अनेक वर्षों से किसान अपने ही खेतों पर सुगमता से नहीं जा पा रहे हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसानों को हुए नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाए तथा खेतों का किराया जल्द से जल्द बढ़ाया जाए।

(x) Need to impress upon the Government of Uttar Pradesh to restore old pension scheme for retiring teachers and employees

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : महोदय, उत्तर प्रदेश में कर्मचारी और शिक्षकों के लिए पेंशन योजना बंद कर दी गयी है जो कि शिक्षक संघ द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है जिससे उत्तर प्रदेश में कर्मचारी और शिक्षकों में काफी असंतोष है। पुरानी पेंशन योजना में ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन एवं मृतक आश्रित की नियुक्ति आदि की सुविधाएं निहित थीं। नई पेंशन योजना पूर्ण रूप से अलाभकारी है। इसमें न तो सुनिश्चित पेंशन के निर्धारण की गारन्टी है और न ग्रेच्युटी। अन्य सेवा निवृत्ति लाभ भी इस योजना में नहीं है। इसकी वजह से मृतक आश्रित नियुक्ति का लाभ भी प्रभावित होगा। नयी पेंशन योजना कर्मचारियों एवं शिक्षकों के लिए अहितकारी है, वहीं सरकार के लिए लाभकारी नहीं है। देश के कई प्रदेशों में पुरानी पेंशन योजना आज भी लागू है जैसे बंगाल, केरल, त्रिपुरा आदि कुछ प्रदेशों में नयी पेंशन योजना एवं कुछ प्रदेशों में पुरानी पेंशन योजना का लागू होना असमानता का परिचायक है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार जनहित में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए निर्देशित करे ताकि उत्तर प्रदेश के कर्मचारी और शिक्षकों में असंतोष समाप्त हो सके।

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Sashi Tharoor – not present.

(xi) Need to undertake repair of National Highway No. 532 between Cuddalore and Salem in Tamil Nadu and upgrade it into a four-lane road

SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN (CUDDALORE): Sir, the National Highway No. 532 between Cuddalore and Salem is an important road in my parliamentary constituency, Cuddalore. This NH 532 connects Cuddalore, Vadalur, Virudhachalam, Veppur, Sirupakkam and V.Koot road spread over a distance of 110 kilometres. In many places, this National Highway is in a dilapidated condition due to recent excessive rains. It gives a bumpy ride through the stretch causing inconvenience to thousands of commuters. All types of vehicles including trucks and trailers ply on this Highway. Due to the bad condition of this National Highway, many accidents do occur. Government officials, when approached, say that they have submitted a project estimate for Rs. 96 lakh to rectify and repair this whole road stretch of 110 kilometres. The officials claim that they would be able to rectify only when they receive funds from the Departments concerned.

This National Highway assumes importance as it provides main road connectivity to Cuddalore connecting several towns. Cuddalore Port, Neyveli Lignite Corporation, several multi-speciality hospitals, colleges, Government offices and other vital institutions are connected with this National Highway.

I, therefore, urge the Union Government that this prominent National Highway No. 532, being utilized by so many commuters on a regular basis, should be made suitable for travel and be upgraded into a four-lane road during the current year itself with adequate allocation of funds.

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Kakoli Ghosh Dastidar – not present. Prof. Saugata Roy – not present.

(xii) Need to address the problem of drinking water in Balasore Parliamentary Constituency, Odisha

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Mr. Deputy-Speaker Sir, due to the presence of mineral deposits and long coast line, major water quality problems are encountered in ground water sources in Odisha in general and Balasore in particular. Iron is found in all districts in different degrees. Chloride (salinity) is found in the coastal districts of Balasore, Bhadrak, Cuttack, Jagatsinghpur, Kendrapara, Khurda, Pun and Ganjam.

Balasore, Basta and Baliapal blocks fall under low lying and flood prone areas having 90,576 hectares of land which constitutes 24 per cent of geographical land of Balasore District. Basta, Bahanaga, Baliapal, Bhograi, Remuna and Soro C and D blocks under Balasore District are having saline soil group and 75,489 hectares of land constitute 20 per cent of geographical land of the District.

Balasore is one of the most natural disaster-prone districts of Odisha. Flood, cyclone and drought regularly devastate the source of drinking water in the district. There are 93 Gram Panchayats out of a total of 289 panchayats of Balasore District which are flood prone and 76 villages are Tsunami prone.

Only 38.74 per cent of the total habitations are provided drinking water through rural water supply covering only 13.43 per cent of the total population of the district of Balasore.

Hence, I request the Government of India to kindly consider providing safe drinking water through Mega Piped Water Supply Project and also set up a water treatment plant at source.

(xiii) Need to set up a new High Court for Andhra Pradesh

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Telangana State has been carved out by the Andhra Pradesh State Reorganisation Act, 2014. Section 30 of the Act states:

"The High Court of Judicature at Hyderabad shall be the common High Court for the State of Telangana and the State of Andhra Pradesh till a separate High Court for the State of Andhra Pradesh is constituted under article 214 of the Constitution."

Section 31 of the Act specifies that there shall be a separate High Court for the State of Andhra Pradesh.

Hence, I urge upon the Government of India to take immediate steps for establishing a new High Court for Andhra Pradesh.

(xiv) Need to check the menace of Nilgai (vanroj) causing damage to crops in Uttar Pradesh

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में घाड़रोज (वनरोज) की संख्या अत्यधिक हो गई है। वर्ष में दो बार इनके बच्चों का जन्म होता है। अब ये झुण्ड बना कर कृषि उपज को खेतों में ही खा रहे हैं। कहीं-कहीं किसानों पर आक्रामक भी हो जाते हैं। विवश हो कर किसान दलहन एवं सब्जी आदि की खेती बंद कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप दालों एवं सब्जियों का उत्पादन कम हो रहा है और उनके दाम बढ़ रहे हैं। प्रशासन को जमीन की खतौनी दिखाकर जांचोपरांत ही इनको मारने के लाइसेंस की अनुमति मिलती है। प्रश्न यह है क अगर घाड़रोज झुण्ड आ कर जब फसल बर्बाद कर रहा है तो क्या अनुमति मिलने तक वह झुण्ड प्रतीक्षा करेगा कि जब फसल बर्बाद हो चुकी होगी तब मारने की अनुमति का क्या करेंगे? यह भी गारंटी नहीं है कि जिसको अनुमति मिले, उसके पास बंदूक उपलब्ध हो।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इनकी संख्या वृद्धि को रोकने के लिए मौदानी भाग के मादा वनरोजों का बन्ध्याकरण किया जाए एवं इनकी प्रजाति को संरक्षित करने के लिए अभयारण्य बनाए जाएं ताकि फसलें भी सुरक्षित रह सकें और वनरोजों की प्रजाति का अस्तित्व भी बचा रहे।

(xv) Need to declare the calamity caused by floods in Assam as National Calamity and provide more funds for rehabilitation of people affected by the fury of floods in the State

SHRI BADRUDDIN AJMAL (DHUBRI): Assam suffers from huge losses in terms of lives, property, cropped land, dwelling units and infrastructure every year. As per the official report of Assam Government during 2014, Assam has witnessed havoc of floods three times including cloudburst that caused the deaths of at least 67 people and over 42 lakh people of more than 4,000 villages in 23 districts of the State, including my constituency Dhubri and Goalpara were badly affected while about four lakh hectares of cropped area were damaged. The report also said that at least 84 roads, 86 RCC bridges, 113 SPT bridges and 126 culverts were also damaged by the flood.

The Central Government had announced a package of Rs. 674 crore for the State. My question is whether the Government has any information about the amount reaching the affected people. As per my information, they have not received any amount so far. The problem is that every time the flood causes disaster, the Government announces amount for the affected people but unfortunately they have often been deprived of such assistance. Therefore, I would request the Government to put in place a mechanism to make sure that the amount reaches the deserving people and also make the State Government accountable for that. However, I appreciate the Central Government for announcing Rs. 674 crore for the State, but I request for a grant of at least Rs. 1,500 crore because the flood and cloudburst made irreparable losses and Rs. 674 crore is not enough for rehabilitation of flood affected people of Assam. I would also request the Government to kindly think seriously about declaring flood of Assam as a National Calamity as it causes loss of lives and property every year pushing the State towards backwardness and poverty. I also request to grant an appropriate amount for controlling Brahmputra in order to utilize its water in a better way.

15.00 hrs.

(xvi) Need to interlink Par-Tapti-Narmada, Damanganga-Pinjar and Nar-Par-Girna Rivers

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : महोदय, जलगांव जिला मेरा संसदीय क्षेत्र है। यहाँ ताप्ती नदी, गिरना नदी में प्रति व्यक्ति पाई जाने वाली जल उपलब्धता मानक जल उपलब्धता से बहुत ही कम है। इस क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा आदिवासियों से भरा है। फसल की कमी, पीने के पानी की तकलीफ जैसी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, जिस कारण बहुत से किसानों ने आत्महत्या का मार्ग भी अपना लिया है। इससे पहले जिले के कुछ क्षेत्र अच्छी मात्रा में अमरूद, अनाज एवं अंगूर जैसी नकद पैसा देने वाली फसलों की खेती किया करते थे। परन्तु दिन-ब-दिन होती जा रही कम वर्षा और गिरते जा रहे भूजल स्तर के कारण अब यह सम्भव नहीं रहा, इसलिए क्षेत्र के पश्चिमी भागों में गुजरात राज्य की सीमा से लगकर बहने वाली नार, पार, औरंगा, अंबिका जैसी नदियाँ जो नर्मदा नदी से जा मिलती हैं और अरबी समंदर में पानी गंवा देती हैं, वह पानी नर्मदा, ताप्ती और पार, इन तीनों नदियों को तीन निम्नलिखित परियोजनाओं में जोड़कर उपयोग में लाया जा सकता है।

प्रथम परियोजना के अनुसार पार ताप्ती और नर्मदा नदियाँ आपस में जोड़ना, जिससे गुजरात के कच्छ इलाके को फायदा हो सकता है। दूसरी योजनानुसार दमनगंगा और पिंजार, इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ा जाए तो मुम्बई शहर को पीने के पानी की आपूर्ति की जा सकती है। तीसरी योजना में नार, पार और गिरना नदियों को आपस में जोड़ा जाए, जिससे गिरना के कछार में जल की बढ़ोत्तरी हो। इन नदियों के पानी के उपयोग के सन्दर्भ में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और संघ सरकार के बीच प्राथमिक स्तर पर समझौता हो चुका है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.), हैदराबाद द्वारा तीसरी योजना नार, पार और गिरना के जोड़ पर पूर्व व्यवहार्यता का अभ्यास टोपोग्राफिक साईट सर्वे के माध्यम से पूरा किया जा चुका है, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने कुछ शर्तों के अधीन रहकर स्वीकृत भी किया है।

इन दिनों तीनों राज्यों और संघ राज्य के बीच उपरोक्त योजनाओं को पूरा करने हेतु पत्र-व्यवहार भी शुरू है। इन योजनाओं में तीसरी योजना नार, पार और गिरना का कार्यस्थल सर्वेक्षण राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, हैदराबाद द्वारा तुरन्त शुरू करने के लिए आपके द्वारा उचित आदेश देने की कृपा करें, जिससे कि परियोजनाओं का काम तुरन्त शुरू हो और लोगों को उसका लाभ मिल सके।

15.02 hrs.

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

1st Report

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज) : महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

15.03 hrs

REPEALING AND AMENDING (SECOND) BILL, 2014

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Item No.9 on Repealing and Amending (Second) Bill, 2014.

Shri D.V. Sadananda Gowda.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I request the House to take up for consideration the Repealing and Amending (Second) Bill, 2014

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Minister, just wait for a minute. Hon. Members, before we take up consideration of the Repealing and Amending (Second) Bill, 2014, we have to allot time for its discussion. If the House agrees, we may allot one hour. If necessary, we can extend the time afterwards.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, depending on the number of Members, one hour or more may be allotted.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: I do not think it will require much time.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, depending on the number of Members, you can either reduce or increase the time. I have no problem.

HON. DEPUTY-SPEAKER: As it is, only two Members have given their names.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I think Members from the other parties have given the names.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Sir, the purpose of this Bill is to repeal certain obsolete Acts which have become redundant. It also proposes to amend two Acts to correct a formal defect or patent error detected in the Act.

Regarding amending the Bill, I would say that it is one of the periodical measures. By doing these enactments which have ceased to be in force or have become obsolete or retention whereof in the Statute Book itself will create some confusions. So, it has become necessary to do this. All those Acts are to be repealed and removed form the Statute Book.

The second object to be achieved through such a Bill is to correct formal defects or patent errors that are detected in such enactments. Of course, the last such Repealing and Amending Bill was taken up in 2001 in which the Acts from the year 1985 to 1998 were included and 10 such Acts were enacted so far. The total number of the Acts so far repealed is 1291. Section 6 A of the General Clauses Act lays down the principle object why repealing and other things need to be done and what are the effects thereof.

Of course, we are going to repeal these Acts which have been today listed out in this Bill, which are good as dead laws. They are not in force; they are not being used. The co-existence of these dead laws will certainly create some confusion even in understanding laws also. So, the Law Commission has given four reports and the Administrative Reforms Commission has given one report. The Law Commission in its 96th report has suggested to repeal about 22 Acts and recommended to repeal about 9 Acts. Already, nine Acts have been repealed. As per its 148th Report, out of the five Central Acts, the pre-Independence period Acts, four have been repealed and one is under consultation with the States. Especially in its 248th Report, 72 Acts have been identified to be repealed and amended. In its 249th Report about 113 Acts have been identified; in its 250th Report about 74 Acts have been identified; and in its 251st Report about 30 Acts have been identified.

Now, the Administrative Reforms Commission also has identified in 1998 about 1328 Acts out of which 415 Acts have been already repealed and for the rest, actions are being taken. All these recommendations made by the Administrative Reforms Commission, the Law Commissions are under consultation with Central Government Departments of the States.

Today, in the Repealing and Amending Bill we have identified nearly 90 Acts out of which, in two Acts certain small corrections are needed to be done. One is the Railways (Amendment) Act, 2008 and the other is the Indian Maritime University Act, 2008. Small corrections are there. They have been identified. Rest of the things are not in use at all. They are as good as not in force. We are fully aware of the fact that nowadays keeping so many laws in the Statute Book itself creates confusion. So it is the intention of the Government to periodically review, refine and scrap all these outdated laws.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments, be taken into consideration."

SHRI B. SENGUTTUVAN (VELLORE): Mr. Deputy Speaker, Sir, I am most obliged to you for affording me this opportunity to address this august House on such a matter of crucial importance as the Repealing and Amending (Second) Bill, 2014.

The Government has introduced a Bill in which a host of statutes, I think as many as 90 statutes are proposed to be repealed and two of them are by way of errors that have crept into the Acts by inadvertence as stated in the Statement of Objects and Reasons.

15.10 hrs (Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

It has also been stated in the Statement of Objects and Reasons that the Bill is one of those periodical measures by which enactments which have ceased to be operative or have become obsolete or are unnecessary are repealed and by which the formal defects detected in the enactments are corrected.

Sir, it is learnt that the Law Commission has recommended in its Interim Report of September, 2014 that as many as 253 laws have to be repealed as obsolete and that 34 of the repealed laws do find themselves in the Government Website. The Law Commission headed by its Chairman, Chief Justice A.P. Shaw, retired, has urged further to repeal all Appropriation Acts which are more than a decade old and they numbered as many as 700. We are in agreement with the Government and with the recommendations of the Law Commission that obsolete laws are like dead wood and such laws have to be kept in a state of good repair, pruning has to be done of what is totally unnecessary and obsolete. They are occupying the pages of the law books without any purpose and confound the public like will-o'-the-wisp.

From a cursory perusal it is obvious that the various provisions of the Amending Acts which are sought to be repealed have already been incorporated in to the main Acts. They have become either substantive or procedural laws of the country. Therefore, these Amending Acts are spent force and they no longer

require to be placed on the Statute Book. In the Acts, these provisions have already been incorporated and amendments are indicated by way of foot-notes in the main Acts. Therefore, the retention of these Amending Acts is redundant and superfluous. They serve no useful purpose.

Sir, it is my submission that law must be in such state of trimness as to command obedience from all those who come within its purview, however high or mighty he may be. The country that has laws which are not obeyed is not served by Rule of Law. The primary duty of the legislature is to enact laws when such a thing is called for and to repeal them when it is no longer in use. Therefore, we are in agreement with the Government that these useless sets of Acts have to be repealed as they serve no useful purpose. At the same time the Legislature is obligated to the people to codify certain laws also. For instance under Article 141 of the Constitution states that the law declared by the Supreme Court shall be the law of the land. There is a plethora of decisions of the Supreme Court which need to be codified. As a matter of record, our criminal statutes, primarily the Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code and the Evidence Act, which govern the criminal procedures and substantive criminal laws are geriatric and also need to be trimmed and new amendments have to be brought in.

So I support the initiative of the Government that comes at this late hour and the move of the Government. Thank you.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Hon. Chairman, Sir, this is an important initiative taken by the Government. I want that everybody should participate in this debate. I have seen that a lot of parties like Shiv Sena, TDP, LJP, Akali Dal and others, which are part of this Government, are there. Besides that BJD, TRS, YSRCP, AIADMK and even AIUDF and then Mulayamji is also here. After hearing all the speakers from all these parties, if it is needed, I have no problem to take voting tomorrow. I have no problem, if the Congress and other parties want to have some say.

But the only thing is that I would request the Chair to complete the discussion and then take up voting on the Bill tomorrow. Meanwhile, we can take up the Discussion under Rule 193 on Hudhud cyclone and natural calamities after the discussion on this Bill is completed. If the hon. Members of the Congress Party come back now and want to join the debate, that way also I have no problem.

HON. CHAIRPERSON : Now, Shrimati Meenakashi Lekhi.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Hon. Chairperson, Sir, the Repealing and Amending (Second) Bill, 2014 actually enlists 90 Acts for repeal and two Acts for amendment. The Acts for repeal are only amendment Acts that range over a span of 14 years from 1999 to 2013. These are being repealed as necessary changes which have been duly incorporated in the principal Act.

The amendment Act is only to the Railways (Amendment) Act of 2008 and the Indian Maritime University Act of 2008. These include only small defects which are really not substantive in nature.

The Bill basically seems to perform housekeeping activity to make the arena of the Indian legislation free of clutter. The Government has taken over the reigns from an era that was plagued by policy paralysis and does not wish to be impeded by obsolete legislations that will remain floating to the confusion of legislators and advocates like me.

It would be a real mark of creativity and show of mere obstructionism if there is any opposition to this particular Bill. It seems *swachhata* is a virtue. That can only be carried out by the present Government whether of the past deeds or the present. As it turns out, the last such repealing and amending Bill of multiple Acts was introduced in passed in 1999. Friends from the Opposition, a lot of them are missing right now, have been speaking of U turns then and now. The only time that this holds water is in the case way back in 1999 then and now in 2014 we have to turn around to clean up what has been left behind by the lethargy of the previous Government.

In 1998, the Atal Bihari Vajpayee Government had set up a Committee on Review of Administrative Laws which recommended the repeal of 1,382 obsolete Acts. However, only 415 of these have been repealed so far. In the Law Commission of India's Report in 1998, it had recommended the repeal of 253 laws but again sufficient progress was not made on this. Recognizing the need to jumpstart this process, which lay idle in the past 10 years, the hon. Prime Minister

set up a new Committee in August 2014 to clear redundant laws that could come in the way of good governance.

In September 2014, the Law Commission of India, in the Report on 'Obsolete Laws: Warranting Immediate Repeal', has reiterated the need for repealing unwanted laws in the legislative domain and referring to the backlog as 'dead wood' in the Report.

One particular observation in the Report that I would like to emphasize here is the inclusion of a repealing provision in Acts that are of a recurrent nature, and for example, a repeal clause in Appropriation Acts. This is a practice that is followed not only in the UK but also other countries like New Zealand and Australia. If we adopt a similar practice, it will leave us, the legislators, with a reduced burden of sifting through the statute books in a clearing exercise such as this. Moreover, it should be noted here that the demand for clearing obsolete laws is not only government bodies but has also come from civil society organizations as well as the Law Commission.

In line with the past practice and recommendations of the Law Commission, I laud the efforts of this Government in taking the exercise forward and taking this much needed step for simplification and clearing the statute books.

In this very spirit of *swachhata* Mission led by our Prime Minister, I support this Bill.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Sir, I thank you so much for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Repealing and Amendment (Second) Bill, 2014.

This Bill itself is a welcome step taken by the Government of India and the hon. Law Minister because the effort and intention are to clean up and expedite the judicial process. I was listening to the issue of time allocation for this particular Bill. There was a suggestion for allocation of one hour time but then a view came if we can increase or decrease the time that is being allocated to the Bill.

Hon. Chairman, Sir, let me point out a very important fact. How much importance we give to the Bill is a separate issue by itself. But the fact remains that there are about 31.3 million cases that are pending in different courts of our country as of today, including about 64,000 cases that are pending in the Supreme Court of our country and in certain High Courts like Allahabad High Court which has got almost about 10,45,000 pending cases. Hence, this very effort to repeal all those Acts is definitely a welcome step so that the judicial process is expedited.

Added to this, all the Acts contained in this particular Bill are Amendment Acts and hence they find a place in the original Act, and they do not need to exist separately.

Having said that, let me come to the Law Commission Report to which some of our esteemed Members have referred to it. In its 248th Report, the Law Commission of India under the heading 'Obsolete laws warranting immediate repeal', has suggested immediate repeal of 253 laws and their principal laws. Some of these principal laws dates back to 1850, 1860 and have virtually lost its significance and relevance in today's context. Hence, I would urge upon the hon. Law Minister, through you, Sir, that why we should not take immediate steps to clean up those processes to repeal those 253 laws which have been recommended by the Law Commission.

Having said that, I have got one or two observations to make. The Law Commission in its Report also further said that there are 34 Bills which have been

repealed already but unfortunately they find a place in the Government's website under the heading, 'Central Acts chronology'. It is not clear even after the Law Commission's recommendation and report, why this has not been done. And, contrary to this, there are five laws which have been passed in 2008. I will just name one or two out of them. One was National Waterway (Talcher-Dhamra) Act, 2008, and the second was National Waterway (Kakinada-Puducherry) Act, 2008. They had been passed in 2008 but do not form a part and parcel of the Central Government's website which should have been done. My submission here is that by doing so, are we not giving a misleading picture to the people of our country? They depend on the Government's report, Government's website and Government's authenticity. Are we not giving a scenario by which people get misguided, and follow a wrong course?

Having said that, in a sense I rise to support this Bill in its entirety, and also I take this opportunity to urge upon the hon. Law Minister to look at all those observations and also to take such efforts that are necessary in expediting the judicial process of our country so that we do not have to face this mammoth figure of sitting on 31.3 million pending cases as of today. Thank you so much, Sir.

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Thank you, Chairman, Sir. On behalf of my party and myself, I rise to support this Bill.

Sir, the hon. Law Minister has introduced the Repealing and Amending (Second) Bill, 2014 to repeal around 90 amended Acts in the First Schedule as well as in the Second Schedule. But, this Bill is not in tune with Shri Narendra Modi*ji's* agenda which was to do away with the outdated laws. He is of the view that such laws and rules hinder efficient governance. During election speeches as well as in some other meetings, which he addressed, he emphatically said that all the Acts, which are outdated, will be repealed. I would have been happy had the Law Minister introduced a Bill to repeal the Principal Acts, which are redundant.

I was practising as an advocate before I got elected in 2004 in the 14th Lok Sabha. The hon. Law Minister is also an advocate. Many other good friends from the same background are also present here. I would like to say that even magistrates at lower level have quoted such laws, which are outdated and have not been repealed. It is because of such laws that the judiciary in this country is unable to address the issues in the modern society. Thanks to the electronic revolution in this country that at least the practising advocates and the judicial officers are able to connect the latest judgements so on and so forth. The Law Commission in its various reports and not the latest one has suggested for repealing the Principal Acts, which are outdated and not necessary to the society at all.

I have just heard that the hon. Prime Minister has constituted a committee to repeal such Acts which are not useful to the society at large. I hope that the Government, more particularly the Law Minister will take initiative as early as possible to see that, at least in a phased manner, we repeal the Principal Acts, which are not useful to the society at large.

I once again support the Bill *in toto*.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): I wholeheartedly thank the Chair for giving me this opportunity. It once again proves that the hon. Prime Minister does what he says. Our party welcomes this Bill.

In fact, instead of making it once in 10 years, as other countries like Australia does, it could be done annually.

According to me, the precautionary measures that have been provided in the Bill are inadequate. As many as 100 laws are being repealed now and 40 laws are pending with the Parliamentary Standing Committee. If all of a sudden so many Bills are repealed overnight, the people would be at a loss as several cases are pending in various courts. The people would not be able to decide in which direction they go. Either the judges or the concerned parties' stakeholders would be at a loss. So, the precautionary measures could be a little broader, at least, in future.

According to me, more than 30 cases have been referred to the Parliamentary Standing Committee. I am also a party to that. They could also be expedited and helped in repealing quickly. Repealing of Colonial Acts, Partition and Pre-Independence Acts and emergency laws is most welcome. The earlier speaker has mentioned that during Mr. Vajpayee's time as many as 1400 laws were identified but only 400 laws could be repealed. There is a big gap in it. Therefore, whatever the Law Commission recommends or the committee constituted for this purpose recommends, should be done quickly. These laws should also be linked to growth of India either in industry or in social aspects.

It is Prime Minister's vision and dream that 'Make in India' be made more successful, and to make laws more practicable and applicable. Organisations like FICCI and Federation of Indian Industries should also be involved in it, so that the tax systems and other things are also made simple.

While we are very happy in focussing on repealing and amending it, some administrative reforms are also extremely necessary to go parallel with the repealing for the simple reason that whatever growth we expect, like industrial

growth, etc., unless administrative reforms are also done simultaneously, this growth cannot be achieved.

The laws should be made investment-friendly. Why we say this is that we are more happy in repealing it, but the existing laws should also be modernised and updated. This is our request to the Government, and unless that is done, the vision or dream of the Government cannot be achieved.

The World Bank has been repeatedly telling India that the legal remedies in other countries is faster, but when it comes to India it takes as many as 1,400 to 2,000 days to get legal remedy. Therefore, the investors are extremely scared to invest in India. So, I would request the Government to consider this aspect also. Repealing it annually, and updating and modernising the laws could also be done simultaneously. Therefore, my repeated points are simplification, modernisation and updation to be done simultaneously.

I would also like to take this opportunity to mention that a lot of cases are pending. As my earlier speaker was mentioning, as many as 32 million cases are there. In fact, he forgot to mention that 32 million cases are pending for more than 5 years out of which 10 per cent to 20 per cent are pending for more than 10 years. It means that the number of Judges that are sanctioned are much much less, and the vacancies are also very high in India. Therefore, unless these things are seen in a comprehensive manner, I do not think that our legal system will be very effective.

With these few ideas, I once again thank the Chair for giving me this opportunity. Thank you very much.

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Thank you very much, Sir, for affording me an opportunity to participate in the debate for Repealing and Amending Bill, 2014.

I extend my thanks to the hon. Law Minister for bringing this Bill because the law, which is obsolete and has lost its significance should be repealed, and the Law Commission has also recommended that such type of law should be repealed. This is a periodic measure, and if we see between year 1950 to 2001, then we will find that this measure was first taken only in 2001. Now, after passage of such a long time from 2001 till now, this Bill for repeal has been brought before this august House. This should have been done much earlier. But this move is in consonance with the agenda of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, to do away with archaic laws, which have lost its significance. Now, we do not want to keep the statute books unnecessarily heavy.

I would also like to suggest to the hon. Law Minister that even the pre-World War second-era laws exist, and I would like to suggest that with respect to some of the laws we could not take up the exercise from 1950 till now. It relates to the Criminal Law (Amendment) Act of 1938. Basically, that law punishes Indians who dissuaded persons from joining war. It was enacted to punish persons who made public speeches to dissuade people from enlisting in the defence forces and from taking part in any war in which the British Empire was engaged. By this law, the British Empire even punished acts prejudicial to the recruitment of persons to serve in the armed forces of the Union. This Act was meant to serve the need of the British Empire and is now redundant. Not only this law, but also there are such types of many laws which have become deadwood. Now, there is no reason to keep our Statute Books unnecessarily heavy. I would request the hon. Law Minister to repeal all such laws.

In my opinion, whenever we bring any law, we do keep in mind the legislative competence of the Parliament and the legislative competence of the State Legislatures, which is provided in the Constitution of India under Article 246. So far as Article 246 (1) is concerned, it speaks about List I of the Seventh

Schedule, which is termed as 'Union List'. The Parliament is competent to legislate with respect to that. Article 246 (2) relates to List III of the Seventh Schedule, that is, the 'Concurrent List' where both the Parliament and State Legislatures are competent to legislate with respect to it. Artcile 246 (3) relates to List II, which is the 'State List', where the State Legislature concerned is competent to legislate.

While bringing any amendment or any Bill before this august House, I would request the hon. Law Minister to at least specify as to under which provision of the Constitution and under which Entry, the Bill amendment is, whether it is under the 'Union List' or under the 'Concurrent List', or any other residuary powers, as it will help the hon'ble Members of this august House to discuss the issue threadbare. Secondly, in the Bill, a provision has been made which states:

> "…and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing…"

This relates to the 'Savings' provision, but at the same time, it is not clear when this Act will come into force, whether from the date of passage by this august House, or from the date it is published in the Government Gazette, or at any specified date. It is required to be mentioned in the Bill.

These are my views, which I wanted to place before the hon. Law Minister. I thank you once again for giving me an opportunity to participate in the debate.

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in this debate.

This is a very important Bill. The simple thing is that when our Constitution is being amended so many times, there is a need to repeal certain old Acts. When there is a dynamic situation in the country, we are bound to change many laws or Acts to suit the needs of the people, especially when Shri Narendra Modi Ji got a personal mandate to become the Prime Minister. It is absolutely necessary to weed out those Acts which are redundant or repugnant to the welfare of the people. In the past 67 years, we have seen a lot of Governments coming in and going out, and that the gap between the rich and poor kept on increasing making the Supreme Court to repeal so many laws which have become laughable and ridiculous. Instead of repealing the Acts at the instance of the Supreme Court or the High Court, in a parliamentary democracy, it is better that it is done through this august House because the Parliament is supreme. Since the will of the people is reflected in Parliament, it is better that we do this. This is like weeding out files from any office. Whenever there is any office, the old files are always weeded out after testing them for ten years. But in this repeal and enactment of the Bill, I have seen one Act of 2013 which has not been tested enough. Maybe, it has been tested for one year or two years. So, such hastiness should also be avoided. Any Act should be tested for at least three, four years before it is repealed so that the purpose of the Act is served. But, we really welcome these Acts which are being repealed now.

The Telugu Desam Party headed by our dynamic leader Shri Chandrababu Naidu also require a lot of changes in the existing laws. But changing existing laws or old laws does not help as long as we do not change our attitude. Our attitude should also change. The Act should commensurate with the attitude of the people. At the moment, people want a change, a big change because they have voted for Shri Narendra Modiji personally like the President of India and not to any party. Therefore, I would suggest that if there is any Act which can be brought

out repealing the old Act, which did not help the country much either in the economy or in the social sector or in any sector, let us not burden the legal system. Let us not make the Acts as a means to Heaven for the lawyers. Let us make Acts as simple as it should be understood by a common man so that people have a lot of respect in the Legislature and also in the legal system. High Courts and the Supreme Court being the Heavens for the litigations and lawyers, it is high time we attempted to repeal those Acts which are archaic which are not useful. Therefore, this Act is highly welcome. From the Telugu Desam Party, we fully support this. We expect that more changes would be brought in by the BJP led Government. We expect more dynamic laws to suit to the people's aspirations.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Chairman, I just now heard the Member of the Telugu Desam Party. Earlier I heard the Members of other Parties also including TRS and others saying that there are many obsolete and redundant laws. The Law Minister who has taken over recently is studying every Act. To the extent possible, as many Acts as possible which are redundant, which are obsolete, are all going to be annulled. That effort is going on. The Prime Minister gave us a three 'S' Mantra. He said: Skill, Scale and Speed. Why I have intervened is for one reason. Some people were asking me outside also and some of our friends from the Opposition are saying as to why the Government is in a rush. We are not in a rush. People's expectations are very high. So, we have to work with alacrity and speed. That is why, we are bringing this legislation. Members can participate for as much time as they want. They can give their suggestions. If necessary, we can sit up to late in the night also or even tomorrow morning also. We have no problem. The Government is very clear. We want to discuss, debate and decide and not disturb. This is the approach of the Government.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2014 के बारे में मुझे अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी है।

सभापति जी, जो विधेयक हमारी सरकार लाई है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। ऐसे कितने ही कानून बने हैं, जो सिर्फ कानून की किताबों में हैं, व्यवहार में उनका कोई औचित्य नहीं है। ये कानून लोगों पर बोझ हैं और ऐसे कानूनों को निरस्त करने के लिए हमारी सरकार यह जो बिल लाई है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मुझे स्मरण है कि वर्ष 2014 के चुनाव के वक्त हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बना था, उसमें भी इस मुद्दे को शामिल किया गया था कि जितने ऐसे कानून हैं, जो व्यवहार्य नहीं हैं, लोगों पर बोझ हैं, उनको हम निरस्त करेंगे, ऐसे कानूनों को हम दूर करेंगे। लोगों के लिए कानून का सरलीकरण करने का जो यह प्रयास है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे कई कानून हैं, जो ब्रिटिश काल में बने थे। ऐसे कई कानून सिर्फ किताबों में ही पाए जाते हैं। मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं है कि पिछली सरकार जिसने दस साल तक शासन किया, कई नए कानून तो बनाए, लेकिन जो पुराने कानून लोगों पर बोझ थे, उन्हें दुरुस्त करने का प्रयत्न नहीं किया। हमारी सरकार जो इस सम्बन्ध में यह विधेयक लाई है, इसे पारित करने के लिए मैं पूरे सदन से प्रार्थना करता हूं। इन कानूनों की वजह से लोगों को कई दिक्कतें होती हैं।

मैं उदाहरण के रूप में दो-तीन बातें यहां रखना चाहूंगा, जिससे पता चलेगा कि ऐसे कई कानूनों की वजह से लोगों को परेशानी होती है और ये जनता पर बोझ हैं। इसके अलावा कई कानूनों के होने से लोग या शासन भी ठीक से काम नहीं कर पाता है। सन् 1878 में बने एक कानून के तहत सड़क पर पड़े नोट को देखकर आपको सरकार को जानकारी देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जेल की सजा हो सकती है। इसी तरह से 1934 के कानून के मुताबिक पतंग बनाना, बेचना और उड़ाना प्रतिबंधित है। इसके लिए पहले आपको परमिट लेना होगा। मैं गुजरात से आता हूं। वहां पर पतंगबाजी को बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। वहां लोग पतंग उड़ाने के काफी शौकीन हैं और वे इसका आनंद लेते हैं। अब आप ही सोचिए कि इस तरह के कानून जनता के लिए बोझ हैं या नहीं।

इसी तरह से एक अन्य कानून है जो विदेशी नागरिकों के यहां ठहरने की अवधि को लेकर है। इस कानून को 1938 में बनाया गया था। इसके अनुसार अगर कोई विदेशी हमारे यहां 180 दिन से ज्यादा अवधि तक ठहरता है तो उसे सरकार को अपनी गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट देनी होगी। यह कानून भी

ब्रिटिश साम्राज्य में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। उस समय इस कानून का यह मकसद था कि भारत के क्रांतिकारियों पर अंकुश लगाया जाए।

इस तरह के अप्रचलित कानूनों को हटाने के लिए सरकार जो यह विधेयक लाई है, इसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने पिछले लोक सभा चुनावों के दौरान लोगों से वादा किया था कि अगर हमारा शासन आया तो लोगों के बीच में जो ये अप्रचलित कानून हैं, अप्रासंगिक कानून हैं, इन्हें हम हटा देंगे। इसलिए उनके द्वारा जो यह कार्य किया जा रहा है, मुझे इस पर गौरव है। मुझे गर्व है कि जब 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी थी, तो उन्होंने पी.सी. जैन समिति का गठन किया था, जिसका काम था कि वह ऐसे कानूनों की पहचान करे। उस समिति ने इस तरह के अप्रचलित 415 कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव किया था। हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने ऐसे कानूनों को चिन्हित करने के लिए श्री रामानुज की अध्यक्षता में समिति बनाई और उससे कहा गया कि जो भी ऐसे अप्रचलित कानून हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए। अब इस विधेयक के जरिए इन कानूनों को रिपील करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय काम है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसी भाषा में कानून की प्रस्तुति होनी चाहिए, जिसे आम आदमी समझ सके। देखा जाए तो लगभग सभी कानूनों की भाषा इतनी कम्पलीकेटेड होती है कि आम आदमी समझ ही नहीं पाता है। मेरा कानून मंत्री जी से निवेदन है कि कानून ऐसी भाषा में प्रस्तुत करें कि लोग उसे समझ सकें। कई न्यायालयों में प्रादेशिक भाषा के उपयोग पर प्रतिबंध है। जहां तक हाई कोर्ट्स का सम्बन्ध है, वहां पर क्षेत्रीय भाषा पर रोक है। अब आप ही देखें कि कैसे गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति इस कानून की प्रक्रिया समझ सकता है। अगर वह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, और कभी-कभी वह भाषा इतनी कम्प्लीकेटेड होती है कि पढ़े-लिखे लोगों की समझ के बाहर होती है।

मैं गुजरात से आता हूं और गुजरात सरकार ने गुजरात हाई-कोर्ट में गुजराती में काम करने के लिए, पहले कई बार केन्द्र सरकार को निवेदन किया है, मगर आज तक गुजराती भाषा में गुजरात के हाईकोर्ट में काम नहीं होता है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सभी न्यायालयों में रीजनल भाषा में कार्य करने का अनुरोध किया जाए। मैं पेशे से डाक्टर हूं और इस विधेयक में, यह मुद्दा शामिल है या नहीं है, इसका मुझे पता नहीं है। जहां तक पोस्ट-मार्टम का सवाल है, पोस्ट-मार्टम के बारे में शायद ऐसा नियम है कि पोस्ट-मार्टम दिन के समय होता है, रात में नहीं होता है। कभी-कभी शाम को 6-7 बजे हादसा होता है, तो पूरा परिवार रात भर डैड-बॉडी के पास बैठा रहता है। शायद कानून में ऐसा कहा गया है, लेकिन अधिकारिक तौर पर मुझे इसका पता नहीं है। सार्वजनिक जगह पर आप जाओ तो पोस्ट-मार्टम डे-लाइट में ही होता है। मेरी समझ ऐसी है कि डे-लाइट में पोस्ट-मार्टम के जो कलर्स आते हैं जैसे कि साइनोसिस

होता है, ब्ल्यूइस कलर होता है, तो वह अच्छी तरह से एप्रीसिएट नहीं होता है। मेरा आंकलन है कि जब लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, तब ऐसे कानून बने होंगे। आज बड़े-बड़े ऑपरेशन रात को होते हैं, तो पोस्ट-मार्टम नाइट में क्यों नहीं हो सकता । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि पोस्ट-मार्टम दिन के उजाले में होने का जो कानून है उसे बदलकर किसी भी समय यह हो सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसे एक सेमी-इमरजेंसी के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को रात भर बैठना पड़ता है। जब परिवार में हादसा होता है तो लोगों की स्थिति क्या होती है, हम सभी इसे जानते हैं।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पोस्ट-मार्टम को कानून के दायरे में लाया जाए और किसी भी वक्त पोस्ट-मार्टम इमरजेंसी के तौर पर किया जाए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR) :** I thank you, Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on "The Repealing and Amending (Second) Bill, 2014".

Sir, this is an important bill. I thank the Hon'ble Minister Shri Gowda for bringing this bill in this august House. This is a timely step and all credit must go to Hon'ble Prime Minister Shri Modi.

As other Hon'ble Members have pointed out, there are several obsolete and redundant laws that had been framed prior to independence. They have lost their relevance now. They are still present in the statute-books. They have lost their usefulness now.

So, the need of the hour is to repeal these laws that are no longer pertinent. Some other laws need to be amended. I will give some instances of such laws.

Sir, we are living in a mechanized age. The laws regarding accidents are out-of-date. These laws need to be updated. A person who is responsible for killing people in a road-accident is not given a severe sentence as there is no provision for that in the accident laws. This law is outdated and needs to be amended. Errant drivers should not escape with lighter sentences. So, the Road Act needs to be reviewed and amended.

Similarly, Sir, no bystander or onlooker comes forward to help the accident-victims on the road. It is because they are harassed by police officials later on. This is a flaw in the law that needs to be amended.

Sir, I hail from Punjab. Large swathes of land earlier fell under the 'forest area'

---

*English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

and were registered as such. However, with the passage of time, forests were cut down and people started living over there. However, they are still registered as forest land. But, now, villages have come up over there and cultivation is done on the land. So, it is high time, this land is granted to the villagers. There are other such cases too. Roads and canals had come up long ago on such ‘forest land’. The law needs to be amended keeping in view the present reality.

Similarly Sir, there are places that were initially ‘Cantonment Areas’. However, now they have become part of towns and cities. Poor people have their houses there but they cannot get these houses allotted in their names. This is the case in Ferozepur too. Half the town is still in the Cantonment area. The case was sorted out by Hon’ble Minister Shri Jaitly recently. However, problems remain and these need to be looked into. Such land, where houses of poor citizens are there, should be allotted to them.

Sir, in the end, I thank the Hon’ble Minister Shri Gowda and wholeheartedly support this bill.

Thank you.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने शायद इस बात का गहराई से अध्ययन किया होगा कि अभी जो वर्ल्ड बैंक में एक रिपोर्ट पेश की गयी थी, जिसके अंतर्गत भारत उन देशों में था, जहां अपना कारोबार शुरू करने के लिए 14 सौ दिन तक लग सकते हैं। कानून के इतने हिन्डरेंसिज़ हैं कि किसी को अपना कारोबार शुरू करने में दिक्कतें आती थीं, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के लिए नया कारोबार करना ही बहुत कठिन हो गया। वक्त की मांग है कि भारत को एक अग्रणी राट्र बनाने के लिए और यहां बिज़नेस को तेज़ी से चलाने के लिए इस प्रकार के कानून का आना अतिमहत्वपूर्ण है।

37 साल पहले इमरजेंसी के ज़माने में एक कानून बना, जिसके अंतर्गत उस समय के प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी को पक्का करने के लिए संविधान में संशोधन करके एक धारा 329 (ए) जोड़ दी, ताकि कोई उनकी सत्ता को चुनौती न दे सके। यह तो शुक्र है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में एक आंदोलन चला।

16.00 hrs.

और भारत माता के लाल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उस समय देश की अगुवाई की और उस प्रकार के कानूनों से हमें उस समय छुटकारा मिला। आज क्या मतलब है कि एक कानून 1861 का है, घोड़ा-बग्घी का केस है, जो अंग्रेजों के जमाने में चला करती थीं, लेकिन आज उस कानून का भी कई जगहों पर दुरुपयोग करके लेबरर्स को तंग किया जाता है। ऐसे कानून की आज क्या मान्यता है। इसी प्रकार 1957 में एक टेलीग्राफी एक्ट बना था, उसके तहत टेलीग्राफ में जब मैसेज भेजते थे तो तब तांबे की तारें आती थी और उन तारों की बड़े पैमाने पर चोरी होती थी। लेकिन आज डिजिटल क्रांति आई है और शायद आज तांबे का तारों का प्रयोग उतना नहीं होता है। इसलिए उस कानून को भी आज बदलने की जरूरत थी।

आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की विभिन्न अदालतों में चार करोड़ से भी अधिक मुकदमे लम्बित पड़े हैं। इतने लम्बे समय तक केस क्यों चल रहे हैं, कुछ केसिज में सारी उम्र निकल जाती है, क्योंकि कानून पर कानून निकलते जाते हैं और हर कदम पर कुछ ऐसे अवांछित कानून रास्ते में आ जाते हैं कि न्याय मिलने में सारी उम्र निकल जाती है। आज जो ज्युडिशियल रिफार्म्स कमीशन् बना है, उसे इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां अमरीका जैसे देशों में एक मिलियन लोगों को न्याय देने के लिए लगभग 108 जजेज होते हैं, लेकिन भारतवर्ष में एक मिलियन लोगों पर मात्र 12 जजेज होते हैं। फिर किस प्रकार से मुकदमों का जल्दी फैसला होगा। मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में भी बहुत क्रांतिकारी कदम उठाये जाने की जरूरत है, ताकि भारत के लोगों को स्पीडी न्याय मिले।

आज वक्त आ गया है कि जो इस प्रकार के अनुपयोगी और अप्रासंगिक कानून सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं और जो भारत की न्याय व्यवस्था में दीमक की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे कानूनों से हमें छुटकारा पाना चाहिए और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह बिल लाया गया है और माननीय सदस्यों ने इसमें भागीदारी लेते हुए अपने भाषणों में बोला है कि किस प्रकार से पोस्टमार्टम के समय पुराने कानूनों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अस्पताल में जाने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। इसी तरह से हम सड़कों पर देखते हैं कि एक्सिडैन्ट्स में लाशें पड़ी रहती हैं, लेकिन उनके पास से जाते हुए लोग जानते हैं कि एक हादसा हो गया है, लेकिन कानून इस प्रकार के हैं कि कोई उनकी मदद नहीं करता। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे समय में उनकी कोई मदद कर दें, उपचार के लिए पास के अस्पताल ले जाए तो बहुत से लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। लेकिन पुराने कानूनों की वजह से, कानूनी अड़चनों की वजह से लोग इस प्रकार की हिम्मत नहीं कर पाते कि वे उनकी किसी प्रकार की सहायता कर सकें और इस प्रकार हमारे देश में हजारों लोग हर वर्ष सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। आज इस तरह के कानूनों में बदलाव लाये जाने की आवश्यकता है। मैं कई बार हैरान होता हूं कि अंग्रेजों के जमाने के कानून सैकिंड वर्ल्ड वार के समय के कानून आज तक हमारी किताबों में चल रहे हैं। कुछ कानूनों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया कि जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार और सैकिंड वर्ल्ड वार में भारत के लोगों को इंग्लैंड की मदद के लिए वहां की मिलिट्री में किसी सहायता के लिए भर्ती किया गया, हिंदुस्तान के लोग उस फिरंगी शासन के खिलाफ बातें किया करते थे। लेकिन जैसे ही उन बातों का पता चलता था, हिंदुस्तान के लोगों को गिरफ्तार कर के वे फिरंगी लोग अण्डमान निकोबार के काला पानी में भेज दिया करते थे। क्या आज 68 साल की आजादी के बाद उन काले कानूनों की भारत के अंदर जरूरत है? आज वक्त आ गया है कि इस प्रकार के उन पुराने कानूनों से छुटकारा दिला कर भारत के अंदर एक नए खून का संचार हो रहा है।

सभापति महोदय, एक नई क्रांति हिंदुस्तान के अंदर आ रही है। हम चाहते हैं कि हमारे बिजनस को बढ़ावा देने के लिए, इस ग्लोबलाइज़ेशन और लिब्रलाइजेशन के युग के अंदर हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे देश के अंदर निवेश करने के लिए आए और हमारी आर्थिक स्थिति को मज़बूत बनाने में सभी देश भागीदार बनें। हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर रेलवे के नए-नए प्रोजेक्ट्स आएं। हम चाहते हैं कि हमारा देश को ऑयल एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में, तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगर कुछ लोग, कुछ देश हमारी मदद करना चाहते हैं तो उस मदद के रास्ते में जो पुराने कानून आ रहे हैं, ऐसे सभी कानूनों से हमें मुक्ति पानी होगी। उसी दिशा में एक यह बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। मैं इस बिल का पूरा-पूरा समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : सभापति महोदय, कानून मंत्री जी के द्वारा ऐसे नियम और कानून जिनकी उपयोगिता अब समाप्त हो चुकी है, उनके निरसन के लिए यह जो विधेयक लाया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वास्तव में सभ्य समाज में नियम और कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके और उनको उनके कर्त्तव्यों के विषय में बताया जा सके। कालांतर में धीरे-धीरे ऐसे बहुत सारे कानून बन जाते हैं, विभिन्न संदर्भों में बनते हैं, जिनकी उपयोगिता बाद में खत्म हो जाती है, लेकिन वे कानून सरकारी मशीनरी के हाथ में एक ऐसे हथियार के रूप में रहते हैं, जिनका दुरूपयोग कर के जनता को समय-समय पर बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हमारे बहुत सारे साथियों ने ऐसे विभिन्न कानूनों का जिक्र किया, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। लेकिन वे वर्तमान में मौजूद हैं, जिनका दुरूपयोंग होता है और लोगों के आम जीवन में जो सरलता होनी चाहिए, उसमें वे कठिनता लाने का काम करते हैं। अभी जैसे बहुत सारे मुकदमों की बात चल रही है। जगह-जगह पर चर्चा होती है कि लोगों को समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे भी ऐसे बहुत सारे कानून जो विभिन्न अदालतों द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे समयों में और संदर्भों में दे दिए जाते हैं, जिनका दुरूपयोग ऐसे लोग करते हैं जो अपराधी होते हैं, जिनको सजा होने वाली होती है, ऐसे लोग करते हैं। ऐसे उन नियमों कानूनों का दुरूपयोग कर के समय सीमा लगातार बढ़ाते चले जाते हैं और कानून का दुरूपयोग कर के वे बचे रहते हैं। ऐसे में वे सारे कानून जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उनको समाप्त करने के लिए माननीय कानून मंत्री जी द्वारा जो विधेयक लाया गया है, निश्चित रूप से यह प्रशंसनीय है और सराहनीय है। इसको हम लोग सर्वसम्मति से पास भी करना चाहेंगे।

हमारे विरोधी दल के बहुत सारे साथी, जो सुबह-सुबह बहुत शोर मचाते हैं, कभी-भी सदन को ठीक ढंग से चलने नहीं देते हैं, हम लोग जो पहली बार सदन में चुन कर आए हैं, बहुत प्रयासों के साथ, नियम और कानून के साथ अपने नोटिसेज देते हैं। लेकिन उन नोटिसों को भी संज्ञान में न ले कर वे शोर मचा कर हम लोगों के अधिकारों को समाप्त करने का हमेशा प्रयास करते हैं। जब कि आज यह इतना बढ़िया समय था कि कितने सारे कानून निरसित किए जा रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। लेकिन खास कर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के लोग आज यहां पर मौजूद नहीं है। अब उनकी जिम्मेदारी का अहसास उनको कौन करायेगा? उनके मतदाताओं ने उनको बहुत अपेक्षाओं के साथ, बहुत आशाओं के साथ इस लोक सभा में चुनकर भेजा है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर, जब उनको यहाँ पर होकर बहस में हिस्सा लेना चाहिए था और इन नियम-कानूनों की समीक्षा करनी चाहिए थी, वे लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। वे

शोर मचाते हैं, वैल में आते हैं और हम जैसे लोगों को जो यह अधिकार दिया गया है, यहाँ पर लोक सभा में जो व्यवस्था बनाई गई है, हमें यह अवसर मिलता है कि हम अपने क्षेत्र की बात यहाँ पर कह सकें, उसको भी ये रोकने का प्रयास करते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी प्रार्थना करूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई न कोई ऐसा कानून जरूर बनाया जाए, जिससे हमारे अधिकार को रोकने का जो उनका प्रयास होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो ऐसे कानून हैं, जिनकी अब उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, जब पहले एन.डी.ए. की सरकार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी थी तो उन्होंने इसका प्रयास किया था। जैन कमेटी के माध्यम से एक हजार से ज्यादा ऐसे कानूनों को खोजा गया था, जिनको समाप्त करने की आवश्यकता थी। कुछ कानून उनमें से समाप्त किये गए, लेकिन बाद में प्रक्रिया धीमी हो गई। पिछले दस सालों में बहुत धीमी प्रक्रिया रही।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस देश ने बहुत आशाओं और अपेक्षाओं के साथ भारी जनादेश दिया है। उन्होंने यह प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि हम देश में वे सारे काम करेंगे, जिनके द्वारा हमारे देश के लोग सुखी हों। देश के लोगों को रोजगार मिले, उन्हें शिक्षा के अवसर मिलें, उन्हें चिकित्सा का अवसर मिले, उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा हो, इसके लिए वे लगातार काम कर रहे हैं। उसी काम के सिलसिले में उन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो काम छोड़ा गया था, उसको तुरन्त हाथ में लिया और ऐसे सभी कानूनों को निरसित करने का यह जो विधेयक लाया गया है, इसके पीछे सीधा-सीधा यही प्रयास है। वे सारे कानून जिनकी उपयोगिता नहीं है, वेहमारे अधिकारों को रोकने का काम करते हैं।

16.11 hrs.

(Shri Hukum Singh *in the Chair*)

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अजय मिश्रा टेनी : महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट का समय लूँगा। कानून मंत्री जी, मैं तीन विषयों पर बहुत संक्षेप में आपसे बात करना चाहता हूँ। वन विभाग, राजस्व विभाग और रेल विभाग में कुछ ऐसे कानून हैं, जैसे अगर हम राजस्व विभाग की बात करते हैं तो राजस्व में बहुत छोटे-छोटे मुकदमे होते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई तहसील स्तर पर तहसीलदार और एस.डी.एम. के द्वारा की जाती है। इन अधिकारियों के पास बहुत सारे अन्य काम भी होते हैं। इससे किसानों का समय व्यर्थ जाता है, धन भी व्यर्थ जाता है और उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। मैं आपसे यह भी अनुरोध करूँगा कि वह व्यवस्था समाप्त करके नये

राजस्व न्यायालयों की स्थापना की जाए, जिसमें खेती-बाड़ी से सम्बन्धित मुकद्मे सुने जाएं। आप राजस्व न्यायालयों की अलग से स्थापना करने का काम करें और पुरानी प्रथा को समाप्त करें।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप समाप्त करें और अपना आसन ग्रहण करें।

श्री अजय मिश्रा टेनी : महोदय, केवल एक मिनट का समय दीजिए। दूसरा, वन विभाग से सम्बन्धित मसला है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री गोपाल शेट्टी ।

श्री अजय मिश्रा टेनी : मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से चुना गया हूँ, वहाँ पर लगभग 60 प्रतिशत वन क्षेत्र है।

महोदय, मुझे एक मिनट का समय दीजिए। यह बहुत सारे लोक सभा क्षेत्रों का मसला है। हमें आपका संरक्षण चाहिए। मेरे लोक सभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा वन विभाग का क्षेत्र आता है। वहाँ पर बहुत सारे गाँव भी बसे हुए हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब मैंने दूसरे वक्ता को बुला दिया है। वे खड़े हैं, अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिए।

श्री अजय मिश्रा टेनी : आप जरा एक मिनट बैठ जाइये।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपस में बात मत कीजिए।

श्री अजय मिश्रा टेनी : यह बहुत आवश्यक है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : पहले मैं आपको समझा देता हूँ। निर्देश तो यहाँ के चलेंगे। अब आप दोनों काम करेंगे, आप भाषण भी देंगे और आप ही बिठायेंगे। आप एक ही काम कीजिए और अब समाप्त कीजिए।

श्री अजय मिश्रा टेनी : महोदय, आप मुझे एक मिनट घड़ी देखकर टाइम दे दीजिए। हमारे जंगलों के अन्दर बहुत सारे गाँव बसे हैं। उनका विकास इस कारण से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि, वन विभाग के लोग वहाँ पर रोक लगाते हैं। वहाँ पर न तो सड़कें बन पा रही हैं, न हैंडपम्प लग पा रहे हैं, न वहाँ सोलर लाइट्स लग पा रही हैं और न ही वहाँ का विद्युतीकरण हो पा रहा है। मैं कानून मंत्री जी का ध्यान उधर भी आकर्षित करना चाहूँगा और साथ ही साथ आप रेल मंत्री रहे हैं। रेलवे की बहुत सारी सड़कें, संस्थान ऐसे हैं, लेकिन उन सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है, संस्थानों में रंगाई-पुताई नहीं हो पा रही है। इसके लिए भी आप कुछ न कुछ कानून बनायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। हम आज ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे समय पर जो कायदे बने हुए हैं, उनमें समय पर बदलाव करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए मैं कानून मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे सही समय पर इन्हें बदलने का कानून यहाँ पर लाये हैं। जब लोग बहुत दिनों तक कोर्ट में केस लड़ते-लड़ते परेशान हो जाते हैं और जब उसकी जजमेंट आ जाती है, तो लोग कहते हैं कि बाबा आदम के ज़माने का बना हुआ कायदा है या ब्रिटिश के ज़माने में बना हुआ कायदा है। आज हम जब ग्लोबलाइजेशन के युग में हैं, तो ऐसे पुराने कानूनों को बदलना बहुत ही जरूरी है। ब्रिटिश ज़माने में बना हुआ कानून है कि जून में नए स्कूल बनाने के लिए वे परमिशन नहीं देते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि देश के लोगों को अनपढ़ रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दिन तक भारत में राज कर पाएंगे। ऐसे समय के लिए 420 का एक कानून बना हुआ है कि अगर कोई परमिशन लिए बिना स्कूल बनाएगा तो उस पर 420 का कानून लागू होगा। जब मैंने मुम्बई नगर पालिका में 15 साल नगर सेवक के तौर पर काम किया, तो जून महीने में बहुत सारे लोगों पर इस प्रकार के केस लगाए जाते थे। मैंने वहां कहा था कि आपको स्कूल चलाने वाले लोगों पर 420 का कायदा नहीं लगाना चाहिए। जो स्कूल की व्यवस्था नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पर कायदा लगाना चाहिए, क्योंकि, लोगों की संख्या बढ़ गई है और स्कूल नहीं होने की वजह से प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं। यह कायदा अभी भी अस्तित्व में है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के कायदों को भी बदलने की जरूरत है।

महोदय, आज भी हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं, उनके लिए भी कोई अलग कायदा नहीं है। जो क्रिमिनल कायदे हैं, वही कायदे इन पर लगाए जाते हैं। मेरे जैसा सामान्य पार्टी का कार्यकर्ता जब कभी भी आंदोलन होता है तो आंदोलन में हिस्सा लेता हूं। पुलिस पकड़ती है तो मैं अरेस्ट हो जाता हूं। आज के समय में मुझ पर नौ केस हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा चुनाव के समय हमेशा मुद्दा बनाते हैं कि गोपाल शेट्टी के ऊपर नौ केस हैं। लेकिन ये सभी केस पालिटिकल हैं। राजनीतिक लोगों के ऊपर किस प्रकार का केस लगाना चाहिए, इसका भी नया कायदा बनना चाहिए। पुराने कानूनों में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। पालिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता को अगर पकड़ते हैं तो छह या बारह महीने में उसे फ्री कर दो। उस पर छोटा-मोटा फाइन लगाकर छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था बनानी चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने चुनाव के पहले इस बात को उठाया और कहा कि जितने भी पालिटिकल पार्टी के नेता या कार्यकर्ता हैं, जो चुने हुए

प्रतिनिधि हैं, उन पर इस प्रकार के केस फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा जल्दी समाप्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में टिप्पणी की। उनके सोचने और समझने पर शायद फर्क हुआ होगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री की बात स्पष्ट थी कि पालिटिकल पार्टी के लोग अगर गलत करते हैं तो वे जेल जाने चाहिए और नए लोगों को मौका देना चाहिए। हमारे न्याय मंडल में भी " लॉ एंड जस्टिस " का उल्लेख हुआ है। लॉ के हिसाब से वह सही है, लेकिन जस्टिस भी तो मिलना चाहिए। ऐसे सारे जो नियम हैं, वे समय-समय पर बदलने आवश्यक हैं, वरना देश में जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वे इस प्रकार के बाबा आदम के ज़माने के कानूनों से परेशान हो जाएंगे। आने वाले दिनों में देश इस बात से पहचाना जाना चाहिए कि इस कानून को नरेन्द्र मोदी जी ने बनाया है जिसके माध्यम से जल्दी से जल्दी केस का निपटारा हुआ और लोगों को न्याय मिला। इस प्रकार की एक आवाज आने वाले 25-50 सालों में सुनने को मिले। इस प्रकार का प्रोविजन होना चाहिए। जितना हो सके कम से कम समय में पुराने कानूनों में बदलाव करते हुए जब हम ग्लोबलाइजेशन के युग में जा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, जब दुनिया से कम्पीट करने के लिए हम मैदान में उतरे हैं, ऐसे समय पर पुराने कानूनों को बदल कर नए कानूनों को अमल में लाने की आवश्यकता है। सही समय पर लॉ मिनिस्टर पुराने कानूनों में बदलाव करने का प्रस्ताव सदन में लाए हैं, इसके लिए मैं उन्हें अभिनंदन करता हूं। मुझे मेरी पार्टी के नेता मेघवाल जी ने अंतिम समय में बोलने का अवसर प्राप्त करके दिया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री राजकुमार सैनी (कुरुक्षेत्र) : सभापति जी, आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी गुड गवर्नेंस, जिसके लिए आज पूरी दुनिया नरेन्द्र भाई मोदी को न्याय और जस्टिस के लिए देख रही है, वहीं आज हमारे कानून मंत्री जी इस अमेंडमेंट बिल को लेकर आए हैं।

महोदय, मैं पुलिस के बारे में स्पष्ट करना चाहूंगा। आज पुलिस की स्थिति एक लाचार व्यक्ति से ज्यादा की नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा बदतर है। यदि कोई एफ.आई.आर. लॉज कराता है। एफ.आई.आर. लॉज कराने के पश्चात् पुलिस को तफ्तीश में सब कुछ मालूम होने के बाद भी वह अगर किसी चीज़ को डिलीट करना चाहे या उसे न लिखना चाहे, तो भी कोर्ट उसको कॉल कर लेती है और उसकी तफ्तीश के कोई मायने नहीं बचते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस की स्थिति को कानून में स्पष्ट अंकित किया जाए। पुलिस की इंवेस्टीगेशन पर हायर ऑथोरिटी रि-इंवेस्टीगेशन तुरंत करे। जो पुलिस लिखे, उसे कोर्ट में जो रि-कॉल का सिस्टम है, उससे कानून में देरी होती है। इसके कारण कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का उसमें छूट जाना भी हमारे लिए एक दुःखद घटना साबित होती है।

महोदय, न्याय में देरी भी इसी वज़ह से होती है कि तफ्तीश पर तफ्तीश और कचहरी में पेशी पर पेशी लगती रहती है। इससे कानून एक मज़ाक जैसा लगता है। इससे हमारे कानून की स्थिति एक घायल पक्षी की तरह हो जाती है कि न्याय पाने वाला व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता जाता है, पर फिर भी उसे न्याय नहीं मिलता और देरी से मिले हुए न्याय को न्याय न मिलने के बराबर समझा जाता है।

महोदय, विवाह संबंधी कानून का आज बहुत दुरूपयोग हो रहा है। अगर इसके संबंध में स्पष्ट बात रखी जाए तो वह बात फिर पुलिस की तफ्तीश पर आकर रूक जाती है। हिन्दू मैरिज एक्ट के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है और शादी के सात साल तक अगर उसकी गृहस्थी में किसी तरह की गड़बड़ी आ जाए और उनकी वैवाहिक स्थिति ठीक न चले तो हमेशा महिला पक्ष की स्थिति को कंसीडर किया जाता है, पुरूष पक्ष की नहीं, चाहे पुरूष पक्ष की गलती नाममात्र की हो। इस पर भी पुनर्विचार होना चाहिए।

महोदय, इसी प्रकार से हमारे जंगली जानवरों के संबंध में वन-विभाग के कई कानून हैं, जिसके विषय में आज नियम-377 के तहत कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे भी हैं। अपने कुरूक्षेत्र से लगे हुए बहुत सारे जंगल हैं। आज वहां जानवरों के कारण किसान अपनी फसलों को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। जैसे दलहन की फसलें हैं, शाक-सब्जी की फसलें हैं, इन फसलों को वहां के किसानों को सिर्फ जंगली जानवरों के कारण उस पशु संरक्षण कानून की वज़ह से छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। इस कानून में भी कुछ इस तरह के प्रावधान आना चाहिए कि उनके लिए कुछ बाउंड्री बनायी जा सकती है, जैसे ज़ू होता है,

उसमें वे पशु रखे जाएं। आज जंगली जानवरों की तो परिभाषा है, पर नीलगाय के कारण आज उत्तरी भारत के किसानों की फसलों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आज किसान आत्महत्या पर इसलिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि वे इन जानवरों के कारण अपने फसलों की बिजाई नहीं कर पाते।

माननीय महोदय, मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि आज के जो कानून हैं, उनमें बहुत सारी खामियां हैं। जैसे वन्य कानूनों में रोड निकलने, टनल बनने, बिजली की लाइनें बनाने से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हमारे कुरूक्षेत्र में एक सड़क की फोर लेनिंग की परमिशन और उसके इनॉगेरेशन के लिए आए थे। लेकिन, बी.एफ.ओ. ने अभी तक उसकी परमिशन ग्रांट नहीं की कि उसकी फोर लाइनिंग कर दी जाए। इस प्रकार सरकारी मशीनरी में डिले होने की वज़ह से और काम का रिजल्ट न होने से वे ठेकेदार लोगों से रिश्वत लेने में लगे रहते हैं कि वे इसमें जितना डिले करेंगे, वे ठेकेदार उन्हें उतना ही पैसे देंगे। इसलिए कानून में विलम्ब न हों और जंगल के जो कानून हैं, उसमें इन कामों को लेकर पारदर्शिता से उसको प्राथमिकता दी जाए। धन्यवाद।

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): Thank you, Mr. Chairman, Sir. I rise to speak in support of the Repealing and Amending (Second) Bill, 2014. I appreciate the effort of the Government to revise, amend and drop certain laws which were framed in the colonial times and which have become redundant and lost their pertinence. They are quite obsolete and they need to be done away with. It is high time to have laws in our nation which are in sync with the modern times and need of the nation. There are many such laws in our country which have become obsolete and they are of no use to the nation.

I will quote two examples here. We have the Oudh Taluqdars' Relief Act, 1870 which remains alive in our country even when the State of Oudh and the Taluqdars do not exist any more. We also have the Prevention of Cruelty to Animals Act of 1960 which allows the poachers and animals to go scot-free by paying a small penalty fine of Rs. 50 only. There are many such examples and most of them relate to the weaker sections of the society like the farmers, the labourers, the tribals who live in the forests and the women, which need to be done away with. It is high time that the Government revised or dropped some of the laws in the larger interest of the nation.

So I appreciate the effort that the Government is making today to amend these laws, to get rid of some of these obsolete laws and to make and create and adopt a list of laws which are more in sync with the modern times. I congratulate the Government and on behalf of my Party, I extend my fullest support. Thank you so much.

श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। मैं रोड के संबंध में कहना चाहूंगा कि जब भी कोई रोड बनती है, उसका उद्घाटन होने के बाद भी एक-एक साल बाद तक फॉरेस्ट विभाग की परमीशन नहीं मिलती है, कभी पॉल्यूशन के नाम पर या कभी किसी और के नाम पर और वे काम दो-तीन साल तक लेट होते रहते हैं। माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इससे जो काम रूके पड़े हैं, वे दोबारा शुरू हो जाएंगे और जो समय बर्बाद हो रहा है, वह बचेगा।

अगर फॉरेस्ट की जमीन पर चार पेड़ भी कटने हों तो उसमें भी 6, 8 महीने से लेकर साल भर तक कई बार परमीशन लेने में लग जाता है। हमारे यहां माइनिंग का ईश्यू है। पिछले दस साल से रेत की माइनिंग हो रही है, लेकिन वह सारी इल्लीगल है। इससे न सरकार को पैसा आ रहा है और न ही इसका कोई मतलब है। सिर्फ इस बात पर कि पॉल्यूशन का बैन लगा है, तो जो रेत का ट्रक 10-12 हजार रूपए में मिलता था, वह 35-40 हजार रूपए तक आज बिक रहा है। सरकार के खजाने में उसका कोई अंश नहीं जा रहा है।

जब भी हम चौराहे पर होते हैं तो अक्सर देखते हैं, हालांकि कानून जरूर बना हुआ है, लेकिन छोटे-छोटे बच्चे चौराहे पर खड़े मिलते हैं, दिल्ली के किसी भी चौराहे पर जाएं या दूसरी जगह जाएं, वे भीख मांगते हुए मिलते हैं। हमें इसके सम्बन्ध में कानून में सुधार करना चाहिए, ताकि वह सख्ती से लागू हो सके। बच्चों का जो अपहरण होता है, उससे भी हमें निजात मिल सकती है।

जब कोई भी फाइल जाती है, तो वह ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर एडीशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी के पास जाती है। जहां कोई फाइल सीधी जा सकती है, लेकिन उसमें चार-पांच जगह रोक लगती है। उस फाइल के जाते-जाते बहुत लम्बा समय हो जाता है।

पुलिस के सौ साल पुराने कानून बने हुए हैं। आज तक वही लागू हो रहे हैं। इससे लोगों के साथ बड़ा अन्याय भी होता है, चाहे जुडिशियरी में हो या कहीं दूसरी जगह, लोगों के केस लटके रहते हैं। इसमें भी सुधार की बहुत जरूरत है।

तीसरा, मैं डॉवरी के संबंध में कहना चाहूंगा। डॉवरी वाले केस में जिस बहन की शादी हुए भी दस साल हो चुके हों, चाहे वह पिछले दो, सात या दस साल से घर न आयी हो, फिर भी उनके नाम लिखवाये जाते हैं। इन केसों में लोगों के साथ बड़ा भारी अन्याय होता है। कई बार इस सदमे में परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। भाई अलग-अलग रह रहे हैं, चाहे वह उस शहर में रह रहा हो या नहीं, उन सबका नाम इसमें लिखा जाता है। इस कानून पर हमें ध्यान देना चाहिए और सुधार करना चाहिए।

कृषि का मामला सबसे महत्वपूर्ण है। आज हमें ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे किसान के साथ अन्याय न हो। आज धान प्रति क्विंटल 2200 रुपए, 2400 रुपए या 2500 रुपए बिक रही है इससे किसान परेशान हैं। इसके लिए हमें कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए ताकि किसान को कुछ नुकसान न हो। जब किसानों की धान खत्म हो जाती है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। किसानों को सेलरवालों से बड़ा भारी नुकसान होता है, उनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। किसानों के फसल की कीमत के लिए कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिससे 1 महीने या 15 दिनों में उन्हें पैसे मिल जाये। ईख की फसल के बारे में हो या अन्य फसलों के बारे में हो, किसानों को बहुत कठिनाई होती है। अगली फसल बोने के लिए भी उन्हें पैसे की बड़ी जरूरत होती है।

खाद के लिए भी कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे किसानों को समय पर खाद मिल सके। किसानों को समय पर बिजली मिल सके, इसमें भी सुधार करने की बहुत जरूरत है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम इसी के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर किसान बर्बाद होते हैं तो देश का नुकसान होता है, हमें इनके ऊपर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है।

जिस तरह से हमनें सड़कों को जोड़कर पूरे देश को एक किया है उसी तरह नहरों को भी जोड़ा जाये। जिस समय बिहार या अन्य राज्यों में बाढ़ आती है उस समय हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों में सूखा पड़ता है। अगर सभी राज्यों को नहरों से जोड़ दिया जाये तो उधर का पानी इधर आ सकता है, जैसे - बिजली और सड़कों से राज्य जुड़े हुए हैं। हमें सभी पुराने कानूनों में सुधार करने की जरूरत है। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : As mentioned by the hon. Minister of Parliamentary Affairs and agreed to by the House, we will take this Bill for further consideration and passing tomorrow.

Now, Item No. 10 – Discussion under Rule 193 – Shri M. Rajamohan Reddy.

16.32 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193
Natural calamities in various parts of the country…Contd.

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to participate in the discussion on the natural calamities in various parts of the country, floods in J&K, heavy cyclonic storm 'Hudhud' in Andhra Pradesh and neighbouring districts of Odisha and drought in Maharashtra.

In Jammu and Kashmir, particularly, the Kashmir Valley has experienced heavy floods, causing heavy loss of human lives and property. The hon. Prime Minister immediately visited the affected areas and announced an interim relief of Rs. 1,000 crore. But the State of Jammu and Kashmir has to be compensated suitably to overcome this natural calamity.

On October 12th the Eastern Coastal areas of Andhra Pradesh, particularly, the Visakhapatnam, Vizianagaram and Srikakulam and adjoining districts of Odisha and East Godawari district have experienced heavy cyclonic storm, causing heavy destruction and loss to the human lives, properties as well as standing crops. The standing crops have been completely destroyed. Properties worth crores of rupees have been lost. The whole life has come to a standstill for a few days. There were no fresh water, milk, vegetables, electricity and other things. Immediately, our hon. Prime Minister, within 48 hours, visited those areas and announced an interim relief of Rs. 1,000 crore.

The Eastern Coastal area, the Bay of Bengal is prone to cyclonic storms. Every year, in one or the other part of the East Coast is being affected by cyclone storms. We had three cyclones and unseasonal rains during last three years namely Nilam, Lehar and Phailin and now Hudhud is causing extensive damage to life and property. Hudhud has caused devastation in three districts of Visakhapatnam, Vizianagaram and Sreekakulam .

As per official reports, as many as 61 persons lost their lives and 35 others were injured. Thousands of houses were either partly or fully damaged causing an estimated loss of several thousand crores of rupees. This is in addition to the Government reports certifying the deaths of 1,425 cattles, 3,352 small animals and 3.5 million poultry birds. An estimated 3.3 lakh hectares of agricultural crops have been completely damaged, while another 3.09 lakh hectares have been affected with more than 50 per cent loss. Additionally, 71,457 hectares of horticultural crops have been affected. They include crops like coconut, banana, sugarcane cashew, teak. The estimated agricultural loss runs into several thousand crores of rupees according to official reports alone, without considering the unreported distress.

An estimated 3,753 km of R&B roads, 3,176 kms of Panchayat Raj roads and 1,345 kms of Municipal roads have been very badly damaged as per official records. The worst damaged, however, is to the power sector. An estimated one lakh distribution poles were damaged making it very expensive for restoration of power. Besides, drinking water pipelines, extensive damage was caused to medium, minor and major irrigation projects in North Coastal Andhra and Odisha also. Several sona boats, motored fibre boats, wooden boats along with their fishing nets, running into several thousand in number, were missing or damaged.

Our Party President and Leader of Opposition in the Andhra Pradesh Assembly, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy also toured extensively the affected areas immediately after the cyclone for 10 days and consoled the affected people. Also Shri Y S Jaganmohan Reddy along with party MPs met the hon. Finance Minister Shri Arun Jaitely and the hon. Home Minister Shri Rajnath Singh on 8th and 9th of November and requested for liberal help to the State of Andhra Pradesh to overcome the hardship being faced by the people of three districts in Andhra Pradesh.

Some estimates say the total loss would be around Rs.70,000 crore. It appears that the State Government submitted a detailed report on the estimated loss caused to the state in the wake of Hudhud Cyclonic storm requesting the Union Government for a financial assistance of Rs.21,640.63 crore. In addition the damage caused to the Central Government/PSU establishments like the railways, telecom, airport, seaport eastern naval command, ship yard, steel plant is enormous.

Unless and otherwise the Government of India comes forward in a big way and help the State Government, it is very difficult to overcome and help the people of three districts.

The Undivided Andhra Pradesh once a very progressive State has now been reduced to the category of special Status State. But under the State Re-organisation Act 2014, the Government of India has promised to give Andhra Pradesh a special status but till now we have not accorded that special status. I would request the Central Government to come forward and declare that. Also I would request the Central Government to come forward to help, in a big way, the Andhra Pradesh, Jammu & Kashmir and Odisha, and also the drought affected Maharashtra State in order to overcome the natural calamity.

Thank you.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा पर भाग लेने के लिए मुझे आदेशित किया है। चूंकि मुझे बहुत सारी आपदाओं में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यह काम मैं राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते करता था और अपने आराध्य परम पूज्य बाबा श्री की प्रेरणा से भी करता था।

एक बार मैं भूकंप में काम कर रहा था, जब जबलपुर के कोसम घाट में भूकंप आया, उस समय मैं सांसद था, नर्मदा का परिक्रमावासी था, जटे-वटे थे। जब हमने भूकंप में काम किया, सेना के बाद हमने उस गांव को अपने हाथ में लिया। मुझे जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि जब ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इनको पहले दिन से आपदा कहना ठीक नहीं है, यह प्राकृतिक परिवर्तन है। जो नेतृत्व होता है उसकी परीक्षा का क्षण होता है। यदि नेतृत्व अच्छा और दूरदर्शी है तो यह वरदान बनेगा, अगर वह विफल रहा तो यह आपदा बन जाएगी। मैं संसद सदस्य था, वह मेरे क्षेत्र का गांव था, लेकिन मैं इतना लाचार था, जहां सेना कुछ नहीं कर सकती थी, वहां मैं क्या कर सकता था, लेकिन मैंने रास्ता निकाला, जो बचा-खुचा सामान है, उससे घरौंदा बनाकर हमने इनके तात्कालिक जीवन का प्रबंधन किया। महोदय, मुझे गर्व है कि हम उस गांव को बसाने में सफल रहे, मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पहली जरूरत लगी कि बरसात में इनके मवेशी कहां जाएंगे, भूसा कहां रखा जाएगा, ये लोग कहां रहेंगे। हमने 15 दिन के लिए गुरूद्वारा से लंगर का प्रबंध किया। उन्होंने लंगर ऐसे पहुंचाया, जैसे घड़ी मिलाकर काम होता है। 15 दिन हमने उनको लंगर खिलाया। हम सबने मिल कर अपना घरौंदा तैयार किया, सोलहवें दिन हमने खाना नहीं दिया। हमारे काम से इस बात को बल मिला कि हमने मुफ्तखोरी नहीं होने दी, वह गांव अपने पैर पर खड़ा हो गया। जो सुविधाएं मिलनी थी, वह मिल गईं। उस समय मुझे इस बात एहसास हुआ कि आपत्ति के समय धन और पद काम नहीं आता, व्यक्ति और वस्तु काम आते हैं। काम करने के लिए आदमी चाहिए, मदद चाहिए, जो चीज खड़ी करनी है, उसके लिए वस्तुएं चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं चाहे बिहार हो, जम्मू-कश्मीर हो, आंध्र हो, वहां उससे नुकसान होता है। उसको कोई नकार नहीं सकता, लाशों की गिनती नहीं की जाती, जो ब्यूरोक्रेसी है वह नुकसान का आंकड़ा इकट्ठा करेगी, लेकिन जो समाज में खड़ा आदमी है, उसको इस बात का फैसला करना चाहिए कि मैंने नुकसान को कितना कमतर किया, क्योंकि तूफान को कोई नेता या सरकार रोक नहीं सकती, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को घटाया जा सकता है। जो जरूरत की चीजें हैं, उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे। जम्मू-कश्मीर सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए जो फिल्टर सरकार की ओर से आया था, उसे हमने आम आदमी और गरीब

आदमी को दिया। समय से पहले और बिना मांगे, यदि वे न दिए जाते तो हजारों लोग तो पानी की बीमारी से मर जाते। मैं अनुभव करता हूं कि बरसात के समय सर्वाधिक कठिनाई होती है। किसी प्रबंधन में, चाहे वह आपदा प्रबंधन हो या बाकी चीजें हों, लेकिन इस पर मैं बहुत दूर तक नहीं जाऊंगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह सूखे से पीड़ित क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र में आपदाएं मुंह बाएं खड़ी है। मेरे क्षेत्र में चौथी फसल नष्ट हुई है, लेकिन कानून देखिए, आप किसान हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप इस आरबीसी को भी समझते हैं, रेवेन्यू के कानून को भी समझते हैं। हमारे यहां एक क्षेत्र है जिसे धान के लिए आरक्षित कर दिया गया है, सभी जानते हैं कि जब पानी नहीं गिरेगा, तो धान नहीं होगा। किसान के जीवनयापन की जब चौथी फसल नष्ट हो जाती है, तो किसान का क्या हाल होता है। उसकी तीन फसल नष्ट हो गई है, ओले से, पाले से, सूखे के कारण और बुंदेलखंड में जल स्तर कैसा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, सब के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं उसने चना लगा लिया, गेहूं लगा लिया, सोयाबीन लगाया, वह सब नष्ट हो गया, क्योंकि रिकार्ड में वह धान का आरक्षित क्षेत्र है, इसलिए उसको मुआवजा नहीं मिला।

जिन परिस्थितियों का सामना आज किसान कर रहा है, इस सदन में बैठे हुए सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह सरकार हमारी है, लेकिन हमें तय करना होगा कि जब अकाल पड़ता है, सूखा आता है, चाहे बाढ़ हो, सूखा हो या भूकंप आए, तीनों ऐसी चीजें हैं, जिनके बारे में हमें प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। अगर आप सूखे पर विचार करने के लिए खड़े हैं तो आपको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, क्योंकि पानी जमीन के अंदर नीचे जाएगा। वहां पर लगे हुए संसाधन पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, मवेशी कहां जाएगा। उसका पलायन होगा या बिकेगा या कसाइयों के हाथों में जाएगा। मैंने सिवनी जिले के तहसील में देखा है कि पानी का जब स्रोत नहीं बचा, तब लोगों ने मवेशी को धार्मिक होने के कारण बेचा नहीं, उसको छोड़ दिया। उसने सोचा मैं खुद पानी नहीं पी सकता, मवेशी कहां जाएगा। वह अपने बच्चों को लेकर मजदूरी के लिए चला गया। उस पशु को बचाने का काम कौन करेगा? वह व्यक्ति नहीं कर सकता जिसके पास खुद खाने का प्रबंध नहीं है, वह अपने बच्चों की दो टाइम की रोटी के लिए 100 किलोमीटर दूर दूसरे जिलों में काम करने के लिए जा रहा है। वह अपना मवेशी नहीं बचा पाएगा। वह अपने वृद्ध माता-पिता को नहीं ले जा सकता है, वह अपने पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई छुड़ाकर ले जाएगा, यह बड़ी विकराल परिस्थिति है। धरातल के नीचे जलस्तर घटने के कारण आने वाली गर्मियों में जो संकट पैदा होगा, वह इतना गंभीर होगा, जिसे बहुत आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता है। आपके पास एक ही विकल्प है। आपने जैसे जम्मू-कश्मीर में बहते हुए पानी को फिल्टर देकर लोगों के जीवन को बचाया, वही रास्ता आपको सूखे के क्षेत्रों में अपनाना होगा। लेकिन मवेशियों को तो एक जगह करना पड़ेगा, उनके लिए भी तो

प्रबंध करना पड़ेगा। व्यक्ति तो सौ किलोमीटर दूर जाकर अपना जीवन यापन कर लेगा, लेकिन वह पशुओं को साथ में नहीं ले जा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि यह बड़ी अहम बात है। जब कभी सूखा पड़ता है तो उसके बाद हमारे बीज नष्ट होते हैं। हमारी लागत जाएगी, हमारा खाद जाएगा, हमारा बीज नष्ट होगा। कृषि मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं बड़ी विनम्रता से उनसे कहूंगा कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कीजिए। जब कभी आप आर.बी.सी. के तहत मुआवजे का एलान करते हैं तो मुझे लगता है कि उसके लिए कभी कोई, हमारी जितनी बीमा योजनाएं हैं, वे सभी हमारे जिलों को लेकर हैं, हमारे ब्लॉक्स को लेकर है, तहसीलों को इकाई मानकर है, उनमें न तो कहीं पंचायत का स्थान है और न ही हमने पटवारी हलके को आधार बनाया है। मैं नहीं मानता कि कभी किसानों के साथ न्याय हो सकता है। मैंने विदर्भ की सीमाओं से लगे हुए तीन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा है और आज मैं उत्तर प्रदेश के बार्डर पर हूँ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जहाँ आज फिर मेरे भाग्य में बुंदेलखण्ड आया, जहाँ का मैं रहने वाला नहीं हूँ, जहाँ पहले था, वह विदर्भ से लगा हुआ क्षेत्र था। विदर्भ के लोगों का दर्द मैं समझ सकता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए क्योंकि वे लगातार उस संकट से जूझते हुए, आत्महत्या की ओर अग्रसर होते हुए राज्य के लोग हैं, जिन क्षेत्रों में ऐसी परिस्थितियाँ हैं, मैं कहूंगा कि कृषि मंत्री जी उनकी तरफ ध्यान दें। वे इसमें इंटरवीन करके पैकेज दें। मैं अपने क्षेत्र में वोट के लिए उनसे मदद नहीं मांग रहा हूं। लेकिन जिस किसान की चौथी फसल नष्ट हो जाए, उसके जीने की स्थिति नहीं हो सकती है। यह बात कोई किसान महसूस कर सकता है, उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार के मंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य की सीमाओं में हस्तक्षेत्र करने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कानूनों में भी यदि कहीं सुझाव देने की जरूरत पड़े तो हम जैसे लोग अगर ईमानदारी से उस किसान के दर्द को आपके सामने रखें और मांगे तो भीख के रूप में नहीं, अधिकार के रूप में उनसे प्रार्थना करेंगे कि उनको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस संबंध में जरूर अपनी बात रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR) :** I thank you, Deputy Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak under Rule 193 on the important issue of 'Natural Calamities' that have plagued various regions of the country.

Sir, some time ago, Kashmir valley was hit by floods as a result of incessant rains. Andhra Pradesh and Orissa also bore the brunt of cyclone Hudhud which resulted in floods in many areas. On the other hand, Maharashtra was in the clutches of severe drought.

Sir, the Kashmir valley was badly affected by floods. However, Himachal Pradesh and Punjab have also been affected by floods. Ferozepur parliamentary constituency shares a long border with Pakistan. River Sutlej flows through this area. It often wreaks havoc during rainy season.

Sir, some areas of Punjab are often in the grips of drought while others are badly affected by the swirling water of rivers Sutlej and Beas. This is an annual phenomena. The seven districts of Ferozepur, Moga, Faridkot, Muktsar, Fazilka etc. were badly affected by floods this time too. Other districts were affected by severe drought. In the flood affected areas, standing crops were destroyed while in the drought affected areas, the crops dried up. So, it was double whammy for the farmers of Punjab.

Sir, the need of the hour is to bail out the hapless farmer. The farmer is in a pitiable condition. The backbones of the farmers have broken as their standing

---

* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

crops have been destroyed. This is why a large number of farmers have committed suicide.

The farmers are neck-deep in debt. They are weighed down by the massive debt of 35,000 crores as the crops were regularly destroyed over the years due to floods or drought. Hence, the Central Government must waive off the loans of the farmers.

My parliamentary constituency of Ferozepur is often hit by floods. River Beas joins river Sutlej near Hari Ke Pattan. The rivers are in spate in the rainy season. Large areas are inundated. Houses collapse. Standing crops are destroyed. Cattle is washed away. People are marooned on tree-tops and roof-tops. There is loss of life as well as property. This year, over 30 people were killed and over 120 cattle perished in the fury of floods. Over 14,000 houses of the poor people collapsed. Standing crop in over 1,26,000 hectares was destroyed.

Sir, a survey of the entire loss was also done. It calculated the loss to be worth over 200 crores. The compensation granted to the affected farmers is a pittance. A paltry sum of Rs.3500 per acre is a cruel joke. The standing crop per acre is generally worth Rs.50,000/-. In fact, Basmati rice gives the yield of Rs. 1 lakh per acre. So, the measly amount of Rs.3500/- per acre is like adding insult to injury. The Government has released a sum of only Rs.101 crores till now. The entire compensation amount is yet to be released.

HON. CHAIRPERSON: Please wind up.

SHRI SHER SINGH GHUBAYA : Sir, a handsome compensation package must be granted to the farmers. In Ferozepur parliamentary constituency, the groves of citrus fruits like 'Kinnu' and 'Malta' have also been destroyed. The Government has not yet compensated their growers.

HON. CHAIRPERSON: Please finish your speech, Now, Shri C.R.Choudhary.

SHRI SHER SINGH GHUBAYA : Sir, a compensation of Rs.1 lakh each must be provided to these affected fruit-growers.

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : सभापति महोदया, आपने मुझे नेचुरल कैलेमिटी के बारे में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं उस प्रदेश से आता हूं जो ड्रॉट एरिया है। जब हम नए चुनकर आए थे, तब यह लग रहा था इस देश में ड्रॉट की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, लेकिन ईश्वरीय कृपा से 20 जुलाई के बाद अच्छी बारिश हुई, उसका परिणाम यह हुआ कि जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ-ईस्ट, कोसी नदी, इन सभी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी। मैं प्रधान मंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने नेचुरल कैलामिटीज के दौरान बहुत साहस और अच्छे प्रबंधन के साथ कार्य किया, जिसे पूरे देश ने सराहा है। इस सरकार ने ऐसी आपदा के समय में अच्छा प्रबंधन करके दिखाया है। यह हमारी सरकार और हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधान मंत्री जी के अच्छे नेतृत्व में ऐसा कार्य हुआ।

मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इस नेचुरल केलेमिटी के दौरान 1571 ह्यूमन लाइव्स का नुकसान हुआ, 92,000 कैटल्स की क्षति हुई और सात लाख घरों को नुकसान पहुंचा। इसके बावजूद जो प्रबंधन किया गया, चाहे जम्मू-कश्मीर हो, वहां प्रधान मंत्री जी तुरंत गए और 1,000 करोड़ रुपए का पैकेज तत्काल रिलीज किया। इसी तरह से करीब 400 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश में हुदहुद तूफान से हुए नुकसान की भरपाई के लिए रिलीज किए गए। इसी तरह से महाराष्ट्र में जो लैंड्सलाइडिंग हुई, उसके लिए भी राहत की घोषणा की गई। अभी हमारे एक साथी ने ठीक कहा कि आपदा को आपदा न मानकर साहस के साथ अगर उसका मुकाबला किया जाए तो आपदा को सही ढंग से मैनेज किया जा सकता है। सरकार ने कुशल तरीके से इसे मैनेज किया।

हमारे पूर्व वक्ता जो ओडिशा से आते हैं, कह रहे थे कि केन्द्र सरकार ने वहां पर आई आपदा के लिए सहायता नहीं दी। मैं कहना चाहता हूं कि वहां एसडीआरएफ है, उसमें केन्द्र सरकार का भी हिस्सा है और 400 करोड़ रुपए उसमें दिए हैं और उसमें भी यह छूट दी गई है कि पैसा दिया जाएगा। इस तरह से शानदार प्रबंधन किया गया है।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं नागौर से चुनकर आता हूं। वहां पर भी ऐसी स्थिति पैदा हुई कि तत्काल रिलीफ की आवश्यकता थी। हमारे यहां सूखे की स्थिति है, जिसमें आठ-नौ महीने तक काम करना पड़ता है। वहां रोजगार की समस्या है, पानी की समस्या और पशुओं के लिए चारा भी नहीं है। इसलिए उसके प्रबंधन, it is quite different from the management of other kinds of natural calamities. इसलिए हमें उसे उसी ढंग से देखना पड़ेगा। वेस्टर्न राजस्थान में 11.12 जिले हैं। इनमें पानी की कमी हुई, क्योंकि बारिश लेट हुई। जब बारिश हुई तो जो बुवाई हो चुकी थी, उसे पानी नहीं मिला। इसका नतीजा यह हुआ कि फसल पकी नहीं और अनाज पैदा नहीं हुआ। हालांकि थोड़ा

चारा जरूर पैदा हुआ, लेकिन वहां की कैटल पापुलेशन को देखते हुए वह भी बहुत कम है। मेरा संसदीय क्षेत्र नागौर ब्रैकिश बैल्ट के नाम से जाना जाता है, वहां 700 फीट तक पानी नहीं है। अगर 700 फीट से नीचे का पानी ट्यूबवैल द्वारा निकाला जाए तो वह बहुत खारा है और उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उससे मानव शरीर और पशुओं पर भी बुरा असर पड़ता है। टैंक्स द्वारा भी पानी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि तालाबों में पानी नहीं है।

मैं राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंधरा जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नागौर जिले के लिए इंदिरा गांधी कैनाल से लिफ्ट कैनाल वहां ला रही हैं। पिछली सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में इस योजना पर अमल नहीं किया, लेकिन अब इसे शुरू किया गया है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि a special package should be given for the lift canal. जिससे पानी को पहुंचाया जा सके। इसी तरह से पशुओं के लिए चारे के लिए भी पानी की आवश्यकता है। A special package for Western Rajasthan should be given by the Central Government. It should help the State Government so that they are in a position to face the drought situation in the State.

मैं अंत में एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। नेचुरल केलेमिटी के लिए प्रबंधन बहुत अच्छा था, लेकिन इसके साथ प्रिकॉशन की भी आवश्यकता है। सिर्फ कागजों पर ही प्रिकॉशन नहीं होना चाहिए, कागजों पर ही मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। यह वास्तविक मैनेजमेंट होना चाहिए।

… (*Interruptions*)

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, I would like to give one clarification.

HON. CHAIRPERSON : The hon. Member whom I have called is already standing on his legs, so let him complete his speech. After that, you can say what you want to say.

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO : Sir, the SDRF is devolved to all States on a constitutional provision. The hon. Member should know that there is no special patronage given by the Central Government to Odisha. It goes to all the States under the constitutional provisions. I am just giving a clarification.

HON. CHAIRPERSON: That was his view. He has all the liberty to express his view. The Minister is here and he will give all the explanations.

17.00 hrs.

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Hon. Chairperson, I thank you very much for giving me time to participate on this subject. This topic was discussed on the 2nd of December initiated by our hon. Member from Odisha. The subject is about Flood in Jammu and Kashmir, cyclone Hudhud in Andhra Pradesh and Odisha and drought in Maharashtra. These are the particular cases.

17.01 hrs (Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

In Kashmir, there was a huge devastation. In Pune, there was a huge loss. Andhra is also having a huge loss. But I want to draw your attention to our State. The very severe cyclonic storm Hudhud that made a land fall near Visakapatnam in Andhra Pradesh close to Odisha on 2nd October, 2014, has severely affected the Southern and Central coastal districts of Odisha. However, the Odisha Government under the leadership of our beloved leader Shri Naveen Patnaik ensured adequate pre-preparedness in due time as a result of which human casualty could be restricted to three out of which two were due to unfortunate incident of boat accident during the evacuation purpose. More than 2.47 lakh people were evacuated to safe shelter from the areas likely to be hit by the cyclone

to save their lives. About 16 units of National Disaster Response Force, ten units of Odisha Disaster Rapid Action Force and 1265 fire service personnel were deployed to undertake rescue operation. All other required measures were undertaken to tackle the situation. Even though the death toll could be restricted due to high degree of preparedness by the State Government, yet there is extensive damage to provide houses, public infrastructure. The State Government has submitted a memorandum to the Union Home Ministry demanding an assistance of Rs.777.12 crore for restoration, rehabilitation work in 22 districts affected by very severe cyclonic storm Hudhud. Out of this, the cyclone has caused extensive damage in 15 districts while seven other districts have been partially hit. A Central Team has visited Odisha to take stock of the damage caused by cyclonic storm in our worst hit areas like Koraput, Rayagada, Malkangiri and Gajapati.

The memorandum has detailed the assistance sought under different heads: Repair of roads and bridges Rs. 374.31 crore; restoration of power supply Rs.104.35 crore; agriculture input subsidy Rs.23.77 crore; repair of rural-urban drinking water system Rs.85.65 crore; repair of irrigation works Rs.80.10 crore; repair of community asset owned by panchayats Rs.34.60 crore and repair of primary school building Rs.37.95 crore. In the power sector, Hudhud has damaged Rs.2155.9 kilometre of conductor of 11 KV feeders; 239.95 kilometre conductor of 33 KV feeders; 8 power transformers; 1754 distribution transformers; 1088.75 kilometre conductor LT lines; as many as 587 number of rural pipe water supply system and 168 tube wells have been damaged in the rural areas due to the cyclone and consequent floods. The damage has also occurred to urban pipe water supply works and tube wells in urban areas.

According to the Memorandum, the cyclone has fully damaged 80 pucca houses and 883 kutcha houses, while partially damaging 343 pucca houses and 40,244 kutcha houses, crops in 502 hectares of irrigated land, and 1,072 hectares of non-irrigated land, and twenty hectares of perennial crops. Farmers other than small and marginal farmers have sustained crop loss of more than 50 per cent due

to cyclone. About 3.34 million people in Odisha from 9,657 villages under 1,276 Gram Panchayats, and 99 Blocks of 13 Districts were severely injured.

In this House, on 26th November there was an Unstarred Question asking whether the Government had assessed the damages such as loss of human lives, private and government properties caused by Hudhud in Andhra Pradesh and Odisha and other parts of the country. It was clearly mentioned in the answer given by the Minister that in order to support the affected people of these two States the Government of India had released assistance of Rs.515.42 crore. Out of that, Rs.115.42 crore was from SDRF, plus Rs.400 crore from NDRF to Andhra Pradesh, and Rs.178.495 crore from SDRF to Odisha were given for immediate relief operation. Not a single paisa from NDRF has been sanctioned till today to our State.

I would like to state that it would have been better if the hon. Prime Minister had visited our State. Through you, Sir, I would like to demand that irrespective of the funds the other States are given, our demands should be fulfilled.

Thank you.

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this discussion under Rule 193.

I rise to participate with a heavy heart in the debate on the Hudhud cyclone which had hit Andhra Pradesh on the 12th of October 2014 with a wind speed of 260 kms per hour. People thought that Hudhud cyclone will be like any other cyclone, but it was not so. We have seen many cyclones in the past but this cyclone has completely torn through the city of Visakhapatnam. The cyclone has unleashed widespread destruction upon this bustling city of nearly 20 lakh people and brought it to a grinding halt. The cyclone that made its landfall on the port city around noon sent hoardings and tin roofs flying like saucers, shattered windows leaving the streets littered with glass pieces.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, there was no power, no water, no communication, no transport, no milk, and no food for many days. People were shocked and there was panic situation. Trees were uprooted and roads including National Highways were blocked due to which supply of essential commodities and relief work could not be undertaken. The NDRF team and the State Government officials cleared the roadblocks. Manpower was brought from other States like Odisha, Tamil Nadu and Telangana.

Our hon. Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu has strong capabilities, particularly during crisis management. After the cyclone hit, he reached Vizag within 24 hours by road and stayed there for a week. He met the affected people and assured them of all help, like relief and rehabilitation at the earliest. He worked relentlessly right from 7 a.m. to midnight 1 a.m. At the same time, he deputed all the State Ministers, MLAs, MPs, MLCs from all over the State and all officers, in the three affected districts of Visakhapatnam, Viziayanagaram and Srikakulam. I am proud to say that within 48 hours, we restored water connection to Vizag city, within five days, restored power connection to Vizag city. All these

have been done in a record time, because of Shri Chandrababu Naidu's willpower, dedication and determination. Otherwise, it would not have been done.

Within 48 hours, hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi visited Vizag city along with Union Minister Shri Venkaiah Naidu. After Independence, he is the first Prime Minister of India to have visited the District Collector's Office and monitored the situation personally.

After assessing the situation, he has responded with a big heart; he has immediately announced a temporary relief of Rs.1000 crore. In this regard, I convey my sincere thanks to the Prime Minister, on behalf of the people of those three districts. But this amount is not sufficient to carry out relief work; the damage caused due to Hudhud cyclone was estimated to be more than Rs.40,000 crore. So, I request the Union Government to provide more funds in order to provide relief and rescue work to the affected people.

The Hudhud cyclone has rendered many poor people, including street vendors, homeless and jobless. Thousands of farmers are on the verge of committing suicide. This State is affected by the cyclone every year. Therefore, I suggest that the insurance and input subsidy should be provided to the farmers immediately. Last year, our State was affected by three cyclones, but till now, we have not got the input subsidies for the last year. Hon. Agriculture Minister is here; I request him, on behalf of all the agricultural and horticultural farmers, who are in depression, to release input subsidy immediately.

The NDRF Centre should be set up permanently at Visakhapatnam as it has a long sea coast to tackle the situation. The NDMA is presently headless; the Government should appoint its Chairman immediately. An expert in the national disaster management from Andhra Pradesh should be appointed in the NDMA. The amount demanded by the AP Government for carrying out relief and rehabilitation work should be released by the Centre immediately.

Already our friends mentioned about the figures. In our State, nearly for 20 lakh people, we have given food and other essential commodities, for one week

and the roads and power sector have been repaired. In the power sector, the damage was about Rs.500 crore. The Defence Minister is here; we have our industries in Visakhapatnam. We have given Rs.2000 crore for Navy, Rs. 500 crore for steel plant; all put together, we have given more than Rs. 30,000 crore. But the major problem is for the farmers; agricultural farmers are in a depressed state. All the crops like sugarcane, paddy, cashew, mango, etc. got damaged. All these farmers are affected; now it is like a zero-per cent crop in those three districts. Moreover, those districts are most backward like the districts of Bihar and Jharkhand. Our State was newly formed with the old name. so, I request the Central Government to declare this Hudhud cyclone as a national calamity. Then only our economic condition will improve. It is because our Government is not in a position to pay the salaries of employees. We have a deficit of Rs.15000 crore. I would request the Central Government to adopt our State. Our State does not have any Capital. There are no educational institutions. There are no industries. There are no income generating avenues. Only the old name of Andhra Pradesh is there. Everything including Hyderabad has been given to Telangana State by the former UPA Government. Now we have become orphan. If the Central Government comes to our rescue, only then we would be safe. Otherwise, our people will become like ...*. Therefore, I would request that you do not compare new State with the old State. Our State is a new born State. Kindly look at our State with affection because we are also part of India. With no fault of ours, we are suffering for the last five years. We are jobless, homeless and helpless. Therefore, kindly help us.

HON. DEPUTY SPEAKER: The Government is against terrorism. So, do not advocate this here. You should not mention that. That is not good. You can say whatever you want. You do not say that your people will become like them. That word cannot be taken. Please remove that word.

---

* Not recorded.

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि सभी किसानों की चिंता कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित कई राज्यों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें महाराष्ट्र का जो सूखे का विषय है, मैं उस संबंध में अपनी कुछ बातें रखूंगा। पूरी चर्चा का उत्तर गृह मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। संसद के पहले सत्र में हमने चार दिनों तक सूखे पर चर्चा की थी। निश्चित रूप से जब चर्चा होती है तो इसका बड़ा लाभ मिलता है। खास कर के सूखे के मामले में मौसम विभाग की जो रिपोर्ट आती है, वह जोनवाइज़ आती हैं या सब-जोनवाइज आती है। किस तहसील में, किस एरिया में सूखा है, उन सरकारी आंकड़ों में यह परिलक्षित नहीं होता है। चार दिनों तक जब हमने सूखा पर चर्चा की थी, माननीय सदस्यों ने जो जानकारी दी, उससे लगा कि देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ा हुआ है। वह चर्चा काफी उपयोगी थी। जब माननीय प्रधान मंत्री जी के संज्ञान के बातें लाई गईं कि मौसम विभाग की जो जानकारियां है, उससे अलग हटकर सांसद बता रहे हैं, उससे तो लगता है कि देश में कई तहसील, तालुका और जिले ऐसे हैं, जहां सूखा है वर्षा नहीं हो रही है तो प्रधान मंत्री जी ने तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुला कर निर्णय लिए थे और एक हज़ार करोड़ रूपये की राशि की व्यवस्था की थी कि यदि किसी क्षेत्र में, किसी भी जिले में, किसी भी एरिया में 15 दिनों तक माइनस 50 परसेंट वर्षा है, तो उसे डीजल पर 50 फीसदी की सहायता दी जाएगी और इसके लिए कैबिनेट की मीटिंग में सौ करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई थी इसी प्रकार से समेकित बागवानी विकास मिशन के तहत 700 करोड़ रूपये की स्वीकृति कैबिनेट ने दी थी यदि बारहमासी बागवानी की क्षति होती है तो उसको मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। फिर बीज पर राज सहायता बढ़ाई गई थी और चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सौ करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई थी। जो चारा आयात किए जाता है, जैसे खल्ली, जौ का भूसी या सूरजमुखी आदि इनको आयात शुल्क से मुक्त कर दिया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि बिहार के अंदर डीजल पर राज सहायता शुरू हुई। इसके बाद कुछ राज्यों ने सूखा घोषित किया। फिर इसके बाद कुछ राज्यों ने सूखा घोषित किया। सूखे की घोषणा राज्य सरकार कर सकती है। भारत सरकार सूखे की घोषणा नहीं कर सकती है। जब सूखे की घोषणा कोई राज्य सरकार करती है, लेकिन किसी भी सरकार ने सूखे की घोषणा नहीं की थी, जब भारत सरकार ने यह व्यवस्था की, तब बिहार ने सूचना दी है कि हमारे यहाँ वर्षा कम हुई थी तो हमने डीजल पर राज सहायता दी है, लेकिन उसका विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ राशि नहीं गई है।

महाराष्ट्र ने सूचना दी और चारे की उपलब्धता के लिए उन्होंने 12 करोड़ रूपये की माँग की थी तो उसमें 625 करोड़ रूपये यहाँ से उनको भेजे गये हैं। इसी तरह से बाद में तेलंगाना ने सूखे की घोषणा

करने की सूचना दी है, लेकिन कोई अधिसूचना या कोई मेमोरेंडम नहीं दिया है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ने जो अधिसूचना जारी की है वह और पूरा विवरण भी उन्होंने भेजा है। उसके बाद वहाँ टीम भी गई है, आंकलन भी हुआ है और वह पूरी रिपोर्ट एन.डी.आर.एफ. में जायेगी और उनको राज सहायता दी जाएगी। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, हमारे चन्द्रकांत खैरे जी बता रहे थे कि यह स्थिति पहले ही आ गई थी। यह स्थिति जुलाई-सितम्बर में ही आ गई थी। उस समय सरकार को घोषणा करनी चाहिए थी, लेकिन उस समय सरकार ने घोषणा नहीं की और इस बार सरकार ने न सिर्फ घोषणा की है, बल्कि बहुत अच्छा ज्ञापन बनाकर दिया है। परसों रात्रि में उनका ज्ञापन आया है और आज कृषि मंत्री जी स्वयं लेकर आये थे, कल वहाँ के मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई थी और एक-दो दिन में टीम वहाँ जाएगी। टीम का गठन हमने कर लिया है, लेकिन इसमें आठ मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी जाएंगे, इसलिए एकाध दिन का विलम्ब हो सकता है, लेकिन वह टीम निश्चित जाएगी। महाराष्ट्र के चन्द्रकांत खैरे जी अभी यहाँ नहीं हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ रिलीफ कमिश्नर से बातचीत की है कि महाराष्ट्र के अन्दर आपको पिछले वित्तीय वर्ष में भी एस.डी.आर.एफ. होता है, जिससे तत्काल सहायता दी जा सकती है, उसके मद में 567 करोड़ रूपए गए थे और एन.डी.आर.एफ. के द्वारा 1270 करोड़ रूपए गए थे। लेकिन 567 करोड़ रूपए जो एस.डी.आर.एफ. के अन्दर गए थे, उसके खर्चे का ब्यौरा नहीं आया है। इस वर्ष के लिए भी 403 करोड़ रूपए का आबंटन है, लेकिन कल जब हमने कमिश्नर से बात की तो उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में हम उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजते हैं। जैसे ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र आ जाएगा, यह 403 करोड़ रूपया हम भेजेंगे, लेकिन जब हमारी टीम जाएगी और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी, तो फिर वह रिपोर्ट एन.डी.आर.एफ. में जाएगी और निश्चित रूप से महाराष्ट्र की पूरी सहायता की जाएगी। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य है, जिसे वर्ष 2012-13 में और वर्ष 2013-14 में दोनों बार, एक बार 1800 करोड़ रूपया और एक बार 1200 करोड़ रूपया एन.डी.आर.एफ. से सहायता दी गई है। वहाँ पर पशुधन की बात भी चन्द्रकांत खैरे जी कर रहे थे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पशुधन विकास योजना के लिए जो पैसे जाते हैं, वर्ष 2013-14 में पाँच हजार करोड़ रूपए गए थे और मुश्किल से 2200 करोड़ रूपए खर्च हुए थे, 2800 करोड़ रूपए खर्च नहीं हो पाए थे। इसमें राज्य सरकार के सहयोग की जरूरत है।

हुदहुद और बाढ़ पर हमारी इस चर्चा का उत्तर गृह मंत्रालय की ओर से आएगा, लेकिन मेरे पास एक आँकड़ा है। अभी उड़ीसा की चर्चा हो रही थी कि उड़ीसा के अन्दर एस.डी.आर.एफ. के तहत इस वर्ष 276 करोड़ रूपए रिलीज हुए हैं। 356 करोड़ रूपए का आबंटन है और 276 करोड़ रूपए रिलीज हुए हैं। खर्चा हो गया होगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की ऐसी स्थिति है, हमारे मंत्रालय में भी वही स्थिति है और वहाँ भी

यही स्थिति है कि खर्चा होने के बाद भी वे उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजते हैं। अब यहाँ कागज में है कि पैसा खर्च नहीं हुआ, वहाँ कागज में होगा कि पैसा खर्च हो चुका है। जैसा पूर्व वक्ता ने बताया कि पैसा खर्च हो चुका है तो निश्चित रूप से जरा मंत्रालय में प्रयास करके इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र आ जाए तो वह पैसा भी जाएगा।

इसी तरह से उड़ीसा के संबंध में देखेंगे जो कृषि विकास की योजना है तो वर्ष 2013-14 में 813 करोड़ रुपये रिलीज़ हुए थे और 768 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। यह अच्छी उपलब्धि है। इस वर्ष के लिए 600 करोड़ रुपये का आवंटन है। उसमें 390 करोड़ रुपये रिलीज़ हुए हैं, अभी खर्चा 188 करोड़ रुपये हुआ है। उड़ीसा में हुदहुद का जो संकट है और निश्चित रूप से इस खर्च का रिपोर्ट जितनी जल्दी आएगी, तो शेष बचा एस.डी.आर.एफ. का पैसा जाएगा। महाराष्ट्र की सरकार और वहां की जनता को मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं...(व्यवधान) मेरा विषय सूखे से संबंधित है जो महाराष्ट्र का है और यदि आप और जगह के आंकड़े जानना चाहेंगे तो वह भी मैं बता दूंगा।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: The hon. Minister has not concluded his reply. Why are you interrupting now? Please take your seat.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The debate is not over. He is only intervening now. If you want, I will allow you after the Minister completes his reply. The Minister is on his legs. I cannot allow you now. Please take your seat.

Mr. Minister, please address the Chair.

श्री राधा मोहन सिंह : महाराष्ट्र में आज जो संकट है, हम सभी को पता है कि एन.डी.आर.एफ. से अतिरिक्त सहायता मिलेगी। एस.डी.आर.एफ. के पास...(व्यवधान) हमारे यहां से राज्यों के पास...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान) यदि आप नोटिस देते हैं तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अभी जो विषय है...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: I have told you that I will give you an opportunity to speak later. It is only an intervention that he is making now.

… (*Interruptions*)

श्री राधा मोहन सिंह : माननीय सदस्य का कहना सही है कि वहां सूखा जुलाई-अगस्त से है। उस समय की सरकार को यह क्लियर करना चाहिए था। इसे भारत सरकार डिक्लेयर नहीं कर सकती है। वहां के मुख्यमंत्री को हम बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने इसे डिक्लेयर किया। पिछले वर्ष की तुलना में वहां आधी

वर्षा हुई। विदर्भ में तो इस वर्ष कुछ अच्छी वर्षा हुई है। मराठवाड़ा में तो पिछले वर्ष के मुकाबले में आधी वर्षा हुई है। उस समय की सरकार को वह क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए था। परसों रात को आपका पेपर मिला है। हमने कल मुख्यमंत्री से बात की है, आज वहां के कृषि मंत्री जी के साथ बैठे थे। आपके रिलीफ कमिश्नर से हमने बात की है और हमारी टीम कल जा रही है। इतनी तत्परता से आज तक किसी सरकार ने न तो टीम का गठन किया है और न टीम गई है।

उत्तर प्रदेश ने चुनाव के समय घोषणा की थी। हरियाणा चुनाव का नोटीफिकेशन हुआ और एक दिन पहले घोषणा हुई तो तीसरे दिन हमने वहां टीम भेजी थी। लेकिन घोषणा करने का काम राज्य सरकार का है, भारत सरकार का काम घोषणा करने का नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री जिला मुख्यालय तक जाते हैं। कहीं आपदा आती है तो माननीय सदस्य बता रहे हैं कि पूरी दुनिया ने प्रशंसा की है कि जम्मू-कश्मीर में संकट आया, तो आज ऐसा नेतृत्व है कि देश पर किसी भी प्रकार का संकट आएगा, तो उस संकट का सामना करने का न केवल साहस है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करने का साहस इस सरकार और नेतृत्व के पास है।

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): महोदय, मैं मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मैं समझा कि मुझे सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के सभी सांसद मंत्री जी से मिलने के बाद, जैसा मंत्री जी ने आश्वासन दिया, वैसे ही आश्वासन की पूर्ति की है, इसके लिए मैं ह्रदय से सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का और मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, जैसा मेरे मित्र चन्द्रकांत खैरे जी ने बताया, वैसी दयनीय अवस्था हमारे महाराष्ट्र में है। यह एक गंभीर मुद्दा है। महाराष्ट्र के 43,663 गांवों में से करीब 19,059 गांवों की पैसेवारी 50 पैसों से कम है, यह मंत्री जी को मालूम है। बेमौसमी बरसात, बर्फबारी, बाढ़ तथा चक्रवाती तूफान जैसे संकटों में महाराष्ट्र का किसान पूरी तरह से जकड़ गया है। वहां 422 लोगों की मौत हो चुकी है, लोगों ने सुसाइड की है। जैसा मंत्री जी ने बताया कि यह जुलाई से ही शुरू हुआ था। जुलाई में कांग्रेस की सरकार थी तो हम उनके पीछे पड़े थे कि आप वहां सूखा घोषित करें, पर वह नहीं किया गया। यह जो भाजपा की नई सरकार आयी तो उनके पास जाकर हमने इसके लिए निवेदन किया। माननीय मंत्री जी ने सूखा घोषित करके वहां टीम भेजने की तैयारी की है। मैं मंत्री जी से गुज़ारिश करता हूं कि आपको उस टीम को वहां तत्काल भेजना चाहिए। आपके पास कल ही रिपोर्ट आयी है।...(व्यवधान) मंत्री जी, अगर वह टीम कल जा रही है तो आपको बहुत-बहुत शुक्रिया।

महोदय, इसके लिए 4,000 करोड़ रुपये की मांग है। जितना नुकसान हुआ है, हमने आपको सबका ब्यौरा दिया है। मैं उसके बारे में बोल कर इस सभागृह का समय नहीं लेना चाहता। एक रिपोर्ट है, वह मैं आपके सामने पेश करता हूं- According to the official figure, 15 districts comprising 11,800 villages are declared as drought affected. There is an acute water scarcity in 1,779 villages and 4,709 smaller habitations. Some of the villages are facing drought for the second consecutive year. यह सूखा दूसरी बार है। इससे विदर्भ में 6,200 गांव प्रभावित हैं। आपके पास ये सारी रिपोर्ट्स हैं।

हिन्दुस्तान के 25% डैम महाराष्ट्र में हैं। हमारे जो सबसे बड़े डैम उजनी और ज़ायकवाड़ी में हैं, वे सूखे हैं। उनमें पानी नहीं हैं। वहां जानवर मर गए, वहां चारा नहीं हैं। हमारे सब विद्युत उपकरण टूट गए। अगर इनके लिए हमें 4,000 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी तो हम इसका बहुत अच्छी तरह से मुकाबला कर पाएंगे।

महोदय, मैं आपके सामने एक अन्तिम बिन्दु रखना चाहता हूं। जब यह सूखा आता है तो सूखे के लिए हम लोग तुरंत मदद देते हैं, लेकिन उसका असर काश्तकार पर अगले दो-तीन वर्षों तक पड़ता है। आज की जो मदद मिली है, उस मदद के बाद भारत सरकार की जो स्कीम है, जैसे क्रेडिट-कम-सब्सिडी स्कीम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना इत्यादि, उनका लाभ वहां के आपदाग्रस्त काश्तकारों को आने वाले दो वर्षों में ज्यादा देनी चाहिए। यह सेवा निरंतर होनी चाहिए, ताकि ये किसान अपना जीवन अच्छी तरह से चला सके।

महोदय, मैं सारे महाराष्ट्र की जनता, अपनी पार्टी शिव सेना और सूखा प्रभावित गांवों के काश्तकारों की तरफ से माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): स्पीकर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहुत ही सीरियस इश्यू के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, इस ने लाखों लोगों की ज़िंदगी उजाड़ दी। इसमें बहुत लोग अपनी जान गंवा बैठे। वहां लोगों के घर के घर तबाह हो गए, आबादी की आबादियां तबाह हो गयीं। आंध्र प्रदेश का हुदहुद हो, ओडिशा का हो, कश्मीर का हो या असम का हो, तबाही सब एक जैसी होती है। बहुत से लोग दाना-दाना, तिनका-तिनका जोड़कर पचासों साल में अपना घर बनाते हैं। जब इस किस्म की आपत्ति आसमान से आती है, तो उनकी पूरी जिन्दगी तबाह हो जाती है और फिर नस्लों तक उनका घर नहीं बन पाता है। यह जिन लोगों के साथ होता है, वही लोग इसका अन्दाजा कर सकते हैं, दूसरे लोग इसका अन्दाजा नहीं कर सकते हैं।

मैं खुद कश्मीर गया और मैं पांच दिन वहां रहा। मैंने वहां लोगों की हालत देखी। आंध्र प्रदेश में हुदहुद से नुकसान हुआ। असम में तीन जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ। 42 लाख लोग उससे इफेक्टेड हुए, 23 डिस्ट्रिक्ट उसके अन्दर प्रभावित हुए और कई लाख हेक्टेअर जमीन उसके अन्दर तबाह और बर्बाद हो गयी। जमीनों के ऊपर बालियां चढ़ गयीं और उसके ऊपर रेती चढ़ गयी। अब पता नहीं यह कब ठीक होगा? कैसे इन लोगों की जिन्दगी गुजरेगी? एक झोपड़ा भी इन लोगों के पास रहने के लिए नहीं हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 674 करोड़ रूपए का पैकेज दिया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। यह पैसा असम के लिए बहुत कम है। मैं कश्मीर में गया, तो वहां के लोगों ने बताया कि पैकेज सेंट्रल से आया है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हमें कब मिलेगा। सब जगह यही अफसोस है। मैं खुद अपने यहां डिस्ट्रिक्ट मानीटरिंग विजिलेंस कमेटी का चेयरमैन हूं, लेकिन हम लोग सिर्फ बैठकर रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट में 98 परसेंट से नीचे कंप्लीट कुछ लिखा ही नहीं होता है। 98, 99, 100 परसेंट कंप्लीटेड, मतलब हैंड्रेड परसेंट पैसा खा लिया गया और खाकर कंप्लीट कर दिया गया। गरीब लोग अपनी जगह पर रह जाते हैं, जो उजड़े हैं, वे अपनी जगह पर रह जाते हैं, जो उनकी तबाही और बर्बादी है, वह अपनी जगह पर रह जाती है।

आज साइंस का जमाना है। साइंस एंड टेक्नॉलाजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। जैसे हुदहुद के मामले में एक हफ्ते पहले से हमने देखा कि टेलीविजन के ऊपर वार्निंग आ रही थी, सरकार वार्निंग दे रही थी, इसलिए पांच लाख लोगों को दूसरी सेफ जगहों पर पहुंचा दिया गया। वहां तबाही हुई, लेकिन वह नहीं हुआ, जो कश्मीर में हुआ, वह नहीं हुआ, जो असम में हुआ। यह साइंस एंड टेक्नॉलाजी का काम है। हमारे

यहां डिजास्टर मैनेजमेंट है और गवर्नमेंट के बहुत से विभाग हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कंट्रोल बोर्ड है, हर चीज का विभाग है। उन ऑफिसेज को देखकर ऐसा लगता है कि शायद किसी ने पांच-छः साल से उसका ताला भी नहीं खोला होगा। पैसा पूरा जाता है और अफसोस की बात है कि वह पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। यहां रिपोर्ट आ जाती है कि हैंड्रेड परसेंट पैसा यूटीलाइज हो गया। साइंस एंड टेक्नॉलाजी का इस्तेमाल बारिश आने से पहले, तबाही और बर्बादी होने से पहले, क्लाउड बर्स्ट होने से पहले किया जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि हर तरफ के लोग इसे भुगत रहे हैं। क्या यह पहले से लोगों को नहीं बताया जा सकता है? असम में जो हुआ, कश्मीर में जो हुआ, वह तबाही नहीं होती, जो कश्मीर में हुयी, जो असम में हुयी, वह तबाही नहीं होती। 1.24 करोड़ हेक्टेअर जमीन बर्बाद हो गयी। ये लोग कहां जाएंगे? ब्रह्मपुत्र नदी में हर साल सैलाब आता है। हर साल इसमें तबाही आती है। इसमें केवल एक आदमी का घर नहीं उजड़ता, उसकी खेती नहीं उजड़ती, पूरे साल की बच्चों की शिक्षा बर्बाद हो जाती है। वे डिसप्लेस हो जाते हैं। उनको पता नहीं कहां से कहां जाना पड़ता है। कोई जाकर फॉरेस्ट की जमीन में शेल्टर लेता है, कोई हाईवे की साइड में झोंपड़े बनाकर रहते हैं। इस तरह से उनके बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है।

यह बहुत इंपोर्टेंट विषय है। इसके ऊपर जो आपने मुझे चर्चा करने का मौका दिया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे विभाग हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए, लोगों को पहले से इसके बारे में मालूम हो। ऊपर की कुदरत से क्या आएगा, आज हम मालूम कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि इसका फायदा उठाया जाएगा।

इसी के साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): At the very outset, I would like to thank the hon Deputy-Speaker for calling me to speak on this subject.

Sir, India has been a victim to almost every form of destruction by nature, be it floods, droughts, famines, landslides etc. Lately, we have had the worst floods in Jammu and Kashmir, the cyclone Hudhud in Andhra Pradesh and Odisha as also the worst drought in Maharashtra causing tremendous loss.

Sir, it is very unfortunate that we as a nation are a disaster when it comes to dealing with natural disasters. We do not have any preparedness to deal with these natural calamities. We wake up to these disasters only when they strike, not before or after. This is why, it is not the disaster *per se* which causes more deaths but it is our lack of preparedness and our inability to handle these disasters which increases the casualty rate. Our Environmentalists, our Ecologists have been warning us repeatedly that we are causing damage to the nature. But our planning for developmental activities and construction still does not take cognizance of the damage and the risk that we pose to our ecosystem. It is high time that protecting our ecology, our ecosystem and our nature became our priority.

We have had the National Disaster Management Act in 2005 in this Parliament which envisaged the creation of the NDMA, an apex body under the chairmanship of the hon. Prime Minister, to lay down the guidelines and policies for dealing with these disasters, effective management of these disasters, risk mitigation and the prevention of such calamities across the nation. But we have seen how ineffective it has proved to be in the case of Jammu and Kashmir when people, Government, Armed Forces, everybody was caught unawares. This is when the CAG also in its report mentioned that the NDMA has been ineffective since the time of its inception seven years back. It does not have any information about the progress regarding the disaster management works which are being taken up by the State Governments. Also, several crucial posts in the NDMA are still lying vacant. To add to this, the NDMA has been working without the Core Advisory Committee of Experts which is mandatory. At the top of it, the NDMA

is supposed to be supplemented by the SDMAs in every State. In Andhra Pradesh and Odisha the NDMA's role was appreciated because the two States had their State disaster management rescue forces which were fully capacitated; the States were fully equipped. NDMA is supposed to support the role of the States. So it is a major challenge that if the States do not have the SDMAs then it is very difficult for the NDMA to operate with efficiency because it is only the State which is going to provide a network from the district headquarters to every village, every nook and corner of the State and the NDMA can provide any form of relief and assistance.

Many of my colleagues in the House have given a suggestion for creating a separate Ministry. However, I do not feel the need for the same. I feel that if we can make certain changes with our political will, if we can strengthen our existing National Disaster Management Authority, we can serve the purpose.

There are certain steps which can go a long way in providing teeth and nails to the NDMA and empowering the NDMA. For example, the NDMA should be empowered to issue directions to the State to comply with its guidelines. Also, the fire and civil defence authorities should be brought under the NDMA. Apart from this, the NDMA clearance must be made mandatory to carry out construction and developmental activities in the flood and earthquake prone areas. Also, the National Disaster Mitigation Fund should be created in order to strengthen this Agency.

I feel, with these efforts and making this a political priority, we can strengthen our NDMA and we can take care of the disasters across the nation with more efficiency. Thank you so much for giving me this opportunity.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर और आंध्रप्रदेश में जो प्राकृतिक विपत्ति आई, वहां प्रधानमंत्री जी तुरंत पहुंचे। मैं पिछले अनेक वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं के समय सर्वोच्च नेतृत्व का व्यवहार देखता आ रहा हूं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, परन्तु प्रधानमंत्री जी वहां गये तो निश्चित रूप से उन्होंने देश को एक संदेश दिया है। चर्चा में बातें विस्तार से बताई गई हैं।

कुल मिलाकर आपत्ति के समय यदि हम संवेदनशील ह्दय के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, पूरे देश को एक मानकर अपनी सम्पूर्ण शक्ति उसमें नहीं लगा सकते तो आपत्तियों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। संवेदनशीलता स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं तत्काल इन स्थानों पर जाकर इस प्रकार का संदेश पूरे देश की जनता को दिया है। मैं उनका बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूं।

तेरे पांव में कांटा लगे, मुझे दर्द का एहसास हो,
तेरी मुस्कुराहट छीन ले तो दिल मेरा उदास हो।

यदि यह भाव नहीं है तो हम कैसे किसी की तकलीफ दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं पुन: इस बात को कहकर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता, परन्तु मैंने केदारनाथ की त्रासदी के दृश्य देखे हैं, मैं स्वयं वहां गया था। किस प्रकार के रीजनीतिक आधार पर उसमें निर्णय किए गए, वहां राहत कार्य को रोका गया। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू, ओडिशा या जम्मू कश्मीर की जनता केवल उन प्रदेशों के राजनीतिक नेतृत्व की ही जनता है। वे सब राष्ट्रीय नागरिक हैं। उनकी सहायता, सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उसे रोका जाना या उसके रास्ते में किसी प्रकार की बाधा पैदा करना सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार का दृष्टिकोण इसलिए हुआ क्योंकि संभवत: व्यक्ति में राष्ट्रीय संवेदनशीलता का अभाव था, संभवत: राजनीतिक सोच की कमी थी, मैं इस बात को बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि संभवत: वोट बैंक की राजनीति वहां हावी हो रही थी।

मैं कल भी बहस देख रहा था। एक प्रकार का अविश्वास विपक्ष के दल करते हैं कि संभवत: केन्द्र सरकार मदद देगी या नहीं। हमारे टीएमसी के अनेक सांसद कल जब प्रश्नोत्तर काल में सवाल पूछ रहे थे तो मेरे ध्यान में यह बात आ रही थी कि शायद जो पिछली परम्पराएं, विधियां हैं, उनके कारण वे आशंकित हैं। मैं पुन: प्रधान मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहता हूं कि वे जब यह कहते हैं कि हम 125 करोड़ देश के नागरिकों को साथ लेकर विकास करेंगे, वे उसी प्रकार व्यवहार करते हैं। उसी कारण आज आपदा से निपटने में जो भी उपाय हुए हैं, उनमें गुणवत्ता दिखाई देती है, गति दिखाई देती है।

समय की सीमा है, इसलिए मैं केवल एक-दो सुझाव देना चाहता हूं। Prevention is better than cure.

दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय,
जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए।

मुझे लगता है कि फौजें शान्ति काल में जितना पसीना बहाती हैं, उन्हें युद्द के समय कम खून-पसीना बहाना पड़ता है। अभी हमारे से पूर्व सदस्या ने भी इस बात का उल्लेख किया। कुल मिलाकर हमारे कॉम्प्रीहैनसिव चिंतन में कहीं अभाव दिखता है। हम होलिस्टिक व्यू से भटकते हैं। कहीं तूफान आया, कहीं भूकम्प आया, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में लगभग नियमित रूप से बाढ़ आती है। हम वहां इंतजाम क्यों नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमारा जल प्रबंधन, चाहे वह अंडरग्राउंड वाटर का हो, हमारी नदियों की कैपेसिटी बढ़ाने का विषय हो, चाहे तालाब निर्माण करने का विषय हो, हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस को ध्यान में रखेंगे तो इन समस्याओं से निपटने में हमारी क्षमता बढ़ेगी।...(व्यवधान)

आपने घंटी बजा दी है, मेरे समय की सीमा का संकेत दिया है। मैं पुन: सहायता आदि के लिए अभिनन्दन करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि आगे हमारी तैयारी और बेहतर होगी। हम इस प्रकार के किसी भी संकट को अवसर में बदलने में सफल होंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज जम्मू कश्मीर में बाढ़, आंध्र प्रदेश, ओड़िशा में साइक्लोन और महाराष्ट्र में सूखे के बारे में यहां चर्चा हो रही है। मैं बताना चाहूंगा कि अकेला महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि हरियाणा, राजस्थान का थोड़ा हिस्सा, पंजाब का थोड़ा हिस्सा और उत्तर प्रदेश का थोड़ा हिस्सा भी इस बार सूखाग्रस्त हुआ है। मंत्री जी ने जब अपने शब्द रखे थे तो कहा था कि हरियाणा में भी हमने इसे गंभीरता से उठाया है।

इस सदन का सबसे छोटा सांसद होने के नाते मुझे इस सैशन में दूसरी बार यह चर्चा सुनने को मिली। पिछली बार भी हमने सिर्फ सूखे और बाढ़ के बारे में चर्चा करने में छः दिन लगाए। आज भी शायद चौथा दिन है, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, बड़ी गंभीरता के साथ इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। अगर सूखे की बात करें तो इसका कारण है कि हम किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचा सकते। मैं सदन से अपील करूंगा कि एकजुट होकर इस आवाज को उठाएं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्ष 2003 में इस बात को रखा था कि इस देश की सभी नदियों को जोड़ा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी इस बात को दोहराया है कि सभी नदियों को जोड़ जाएगा। मैं अपील करता हूं, आप सभी हमसे उम्र में बड़े हैं, नदियों को जोड़ने का प्रयास हम इसी सेशन के दौरान शुरू करें। अगर नदियां जोड़ दी जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कभी सूखे की हालत किसानों को देखने को मिलेगी। वर्ष 2003 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सतलुज-यमुना को लिंक का दिशानिर्देश दिया गया था। भारत की सरकार सतलुज-यमुना को जोड़ने का काम जल्द से जल्द शुरू करे। महोदय, जहां सूखे की बात आती है, सरकार बड़े आराम से ग्रांट रिलीज कर देती है। मगर जब ग्रांट किसानों तक पहुंचती है, उसमें अनेकों महीने लग जाते हैं। कई बार ऐसी हालत होती है कि जब किसानों के पास चेक जाता है तब दो रुपये, तीन रुपये और पांच रुपये का चेक भी हमारी सरकार ने किसानों को देने का काम किया है। क्या एक एकड़ जमीन पर जब किसान खेती करता है, उसकी वैल्यू लगाने का काम सरकार दो रुपये और तीन रुपये करती है? हरियाणा के झज्जर में, रेवाड़ी में, मेवात में, अनेकों किसानों को पिछली यू.पी.ए सरकार ने दो रुपये, पांच रुपये का चेक देने का काम किया था। अब, दुबारा सूखा आया है, सरकार ने हरियाणा को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है, किंतु प्रदेश की सरकार ने अभी मात्र 5 डिस्ट्रिक्ट्स को सूखाग्रस्त घोषित किया है। मैं माननीय कृषि मंत्री से अपील करूंगा कि सरकार से जल्द जवाब मांगे और सभी 21 जिलों के किसानों की गिरदावरी करवाकर उनको सूखाग्रस्त कराकर उनको मुआवजा जल्द से जल्द पहुंचाने का काम करें। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, जब केन्द्र सरकार की तरफ से पैसा जाता है, जिस तरह मेरे से पूर्व सांसद

बोल रहे थे कि जब तक कम्पलीशन सर्टिफिकेट नहीं आता, तब तक पूरा पैसा रिलीज नहीं होता। क्या केन्द्र सरकार एक सेपरेट एजेंसी बना सकती है, क्योंकि, बाढ़ और सूखे के काम तत्काल होने वाले काम हैं, वह एजेंसी जल्द एक्टिव हो, जल्द से जल्द किसानों तक पैसा पहुंचाने का काम यह सरकार करें।

मैं निवेदन करूंगा कि जल्द एक ऐसी एजेंसी बनाने का प्रावधान किया जाए। जिस तरह सभी सांसदों ने एन.डी.आर.एफ के बहुत अच्छे योगदान की सराहना की, उसने जम्मू-कश्मीर और उड़ीसा में बहुत अच्छा कार्य किया, उसकी सबने सराहना की, मगर Prevention is always better than cure. हमारा मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेंट है, वह इतना वेल इक्यूप्ड नहीं है कि परफेक्शन को लेकर आ पाए। मैं सरकार से अपील करूंगा कि एन.डी.आर.एफ को ऐसी ऑथारिटी दी जाए, जिसके तहत वह प्रिवेंशन का कार्य पूरा कर पाए। जो कल करने वाली चीज है, उसको आज करके किसानों को सुरक्षित करने का काम करे। आजकल पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि ऐसे संकट आते हैं, अमेरिका में साइक्लोन आता है।

माननीय उपाध्यक्ष : Minister wants to say something.

श्री राधा मोहन सिंह : उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से नहीं, बल्कि 44 जिलों को वहां की सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया है, हरियाणा के सभी 21 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। दोनों जगहों पर हमारी टीम गई थी, टीम ने आकर उसका पूरा आकलन तैयार किया है। हरियाणा से कुछ और पेपर मांगे गए हैं, एन.डी.आर.एफ में रिपोर्ट जाएगी, हरियाणा के सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।

श्री दुष्यंत चौटाला : मंत्री जी ने जानकारी दी कि हरियाणा के सभी 21 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। जिस किसान का खेत चार महीने से सूखा पड़ा है, मैं अपील करूंगा, प्रदेश में भी आपकी सरकार है। इस कार्य को तत्काल कराया जाये। किसानों का मुआवजा हरियाणा के उन 21 जिलों में जल्द से जल्द पहुंचाया जाये, क्योंकि आज भी हरियाणा सरकार केवल मात्र पांच डिस्ट्रिक्ट्स को ही सूखाग्रस्त जिला घोषित करके बैठी है। आज भी बाकी बचे हुए 16 डिस्ट्रिक्ट्स सूखे की मार में बैठे हैं, जिसे सरकार सूखा घोषित नहीं कर पायी। जो गिरदावरी का कार्य है, जो अधिकारियों का कार्य है, मैं अपील करूंगा …(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : इसे हमने घोषित नहीं किया। जो चुनाव अधिसूचना जारी हुई, उसके दो दिन पहले हमारी सरकार थी, किसकी सरकार थी, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। उस समय हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन उन्होंने सभी जिलों को सूखा घोषित किया है। वहां जो टीम गयी है, उसने सभी जिलों का सर्वे किया है। वह सभी जिलों की रिपोर्ट लेकर आयी है। आप अपनी जानकारी ठीक कर लीजिए, मेरा यही सुझाव है। …(व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला : मंत्री जी, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि प्रदेश में आपकी सरकार है। आप उस सरकार से कहकर जल्द से जल्द उन 21 जिलों को सूखाग्रस्त जिला घोषित करायें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): Hon. Deputy Speaker, Sir, disasters occur. In most cases, they are natural and unpredictable. Various diverse factors, natural and human induced, adverse geo-climatic conditions, topographic features, environmental degradation, etc., are reasons for disasters. We must accept the fact that whenever any disaster occurs, the mother earth which bears all natural and human induced activities on its surface and sub-surface, atmosphere etc., put us in an unenviable position. On innumerable occasions, throughout the world disasters have occurred with unimaginable negative impacts. However, human efforts have been taking place continuously to successfully overcome them. India is no exception.

The Indian sub-continent with its geographical location south of Himalayan ranges and having a long coastal region covering its deccan plateau is prone to many natural disasters. We have faced many calamitous situations throughout our history and in order to meet the disaster situations, we have presently in place a National Disaster Management Authority, headed by the Prime Minister, and State Disaster Management Authorities headed by respective Chief Ministers to spearhead and implement a holistic and integrated approach to disaster management in India. More and more involvement of State Governments in disaster preparedness is the most important thing. The projects to sensitize the school children in disaster preparedness and disaster management are a welcome step.

Due to proper stewardship and guiding spirit, the impact of many disasters have been contained to the most minimal levels like that one happened during tsunami. The political will at that time to direct and constantly engage the authorities for swift and tireless action prevented damages to the lowest levels. The World Bank has approved the Tsunami Reconstruction Project to repair damaged houses and provide for multi-hazard resistant houses, reclaim

agricultural lands, strengthen fisheries infrastructure etc. The rehabilitation action was more than the targeted one.

Overdrawing natural resources has been proved to be one of the major causes of disaster other than the naturally happening one. Hence the thinking of sustainable disaster management has dawned worldwide and is really going to help us in disaster preparedness and disaster management.

Tamil Nadu, in particular, due to its geographic location with vast coastal line is prone to recurring cyclone threats. Monsoon brings with it the added misery of inundation of crops by heavy and continuous downpour of rains and flooding. Despite preparedness, the havoc caused is more than the expected. But many drought prone districts of Tamil Nadu suffer heavily due to scanty and insufficient rains.

There is a need for constant review of the situations like drought, flood, earth quake, etc., year-round so that the bad effects are contained. The Government of India should be liberal to help the States in dealing with situations of disaster. Therefore, we should strive to achieve our goals on a mission mode. Thank you, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 5th December, 2014 at 11.00 am.

18.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 5, 2014/ Agrahayana 14, 1936 (Saka).